खण्ड-411, अंक-2
शुक्रवार, 28 चैत्र, शक संवत् 1916
(8 अप्रैल, 1994 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 411 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)

1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	
प्रश्नोत्तर	
नियम 311 की सूचना लिये जाने की मांग	1
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	107
जनपद फतेहपुर के कस्बा किशनपुर में सत्रह वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने वाले को दण्डित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
वाराणसी के औराई क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद बांदा मे पुलिस बल की कमी से बढ़ रहे दस्यु गिरोहों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बाघम्बरी आवासीय योजना में सीवर लाइन के सुधार हेतु धन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद बांदा के विकास खण्ड-रामनगर मानिक पुर मऊ में हैण्ड पम्पों के खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद वाराणसी के भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गरीबों की भूमि पर आवासीय योजना बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
सीतापुर निर्वाचन क्षेत्र में आवागमन की सुविधा हेतु सेतु बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
नियम 311 की सूचना न लेकर उसे नियम 56 में सुने जाने की सूचना	112
डंकल प्रस्ताव सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा की मांग	113
हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा मे हो रही नकल के सम्बन्ध में नियम 311 की सूचना पर चर्चा की मांग	115
प्रदेश में भीषण ओला वृष्टि से हुई क्षति के मामले को सुने जाने की मांग	116
सीतापुर आंख का अस्पताल, सीतापुर के प्रबन्धन में व्याप्त अनियमिताओं के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	117

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद आगरा की तहसील-किरावली के ब्लाक अछनेरा में स्थित ग्राम-खेड़ा वाकन्दा में पुल बनवाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	117
श्री अक्षयवर लाल सदस्य विधान सभा का अपर पुलिस अधीक्षक बहराइच के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी)	117
श्री बदन सिंह स०वि०स० द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर निर्णय की मांग	123
श्री अक्षयवर लाल स०वि०स० का अपर पुलिस अधीक्षक बहराइच के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)	125
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	130
सूचनायें निर्धारित क्रम में न लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	133
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)	135
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 (पारित)	153
कार्य-स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत जनपद आगरे में ओला वृष्टि तथा तूफान से सम्बंधित सूचना पर राहत दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	154
उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994 (पारित)	157
कार्य स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत जनपद आगरे मे ओला वृष्टि तथा तूफान से सम्बंधित सूचना पर राहत दिये जाने के सम्बन्ध मे व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)	159
वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा), अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) , (स्वीकृत)	161
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	164
नत्थियाँ	166–185

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	बाबू राम वर्मा, श्री	बस्ती
अमरजीत सिंह, जनसेवक, श्री	फतेहपुर	बी० के० गुप्ता, श्री	पीलीभीत
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर	भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	भागवत पाल, श्री	मिर्जापुर
उदय भान सिंह, श्री	आगरा	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
ओंकार सिंह, श्री	एटा	महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	महेन्द्र पाल सिंह, श्री	बिजनौर
काशी सिंह, ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार	मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	यशपाल आर्य, श्री	नैनीताल
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	यश पाल चौधरी, श्री	खीरी
तेजपाल सिंह पवार, श्री	हरिद्वार	रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर उर्फ राजा भइया	प्रतापगढ़
त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़
दौलत राम, श्री	सीतापुर	राजबीर सिंह, श्री	अलीगढ़
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद	राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी	रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर	राम कृष्ण वर्मा, श्री	मेरठ
प्रीतम सिंह, श्री	मुरादाबाद	राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
बची सिंह रावत, श्री	अल्मोड़ा	रामदवर	जौनपुर
बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद		

राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाल जी, श्री	वाराणसी
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
श्रीराम पाल, श्री	जालौन
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री	मुरादाबाद
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल, 1994]

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

नियम 311 की सूचना लिये जाने की मांग

(विरोध पक्ष के अधिकांश माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे, जिसे घोर व्यवधान रहा।)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, आगरा में किसानों पर गोली चलाई गयी है और लूट-पाट हुई है। (घोर व्यवधान)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, वहां पर फसलें नष्ट हो गयी हैं.....

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, कानपुर के एक संजय सुमानी नामक व्यक्ति ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। यह बहुत गम्भीर मामला है.....

(घोर व्यवधान)

श्री रंग नाथ–

मान्यवर, किसानों पर गोली चल रही है। यह बहुत गम्भीर मामला है। मैंने नियम 311 में सूचना दी है, सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जानी चाहिए।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सब बैठें। प्रश्न काल के बाद हम सबको सुनेंगे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न।

राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान मकान किराया भत्ता भुगतान करने की मांग.

**1—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान ही मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों को भुगतान किये जा रहे समान वेतनमान के सिद्धान्त के आधार पर उक्त भत्ता भी समान किये जाने की स्पष्ट घोषणा सदन में करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जी नहीं।

राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अतिरिक्त अन्य भत्तों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान भत्ता देने के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जहां राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से समता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है, वहां महंगाई भत्ते के अतिरिक्त अन्य भत्तों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से समता के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । मान्यवर, हमने स्पेसिफिक प्रश्न किया था कि प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान ही मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। मैंने विशेष रूप से मकान किराया भत्ता की सुविधा जैसे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये है, उसी प्रकार की सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रदान करने के संबंध में प्रश्न किया था। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अतिरिक्त अन्य भत्तों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान भत्ता देने के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है। आपने यह नहीं बताया कि इसमें क्या सरकार को कोई वित्तीय कठिनाई है। मान्यवर, अगर वित्तीय कठिनाई नहीं है, तो उसे न स्वीकार करने का क्या कारण है, उसको स्वीकार करने में क्या कठिनाई है?

दूसरा प्रश्न मान्यवर, यही जो विधान भवन है, मेरी जानकारी को सही मानते हुए, 27 ऐसे कर्मचारी हैं, जिनको, पति-पत्नी, दोनों को किराया भत्ता मिल रहा है और जब उनको किराया भत्ता मिल रहा है, तो उस विषमता को दूर करने के लिये सारे राज्य कर्मचारियों को वही सुविधा प्रदान करने की घोषणा करेंगे?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन् उत्तर में कहा गया है कि समता समिति का जो गठन हुआ था, उसकी संस्तुतियों के आधार पर वेतन की समानता को स्वीकार कर लिया गया है लेकिन भत्तों के सम्बन्ध में केन्द्र की समानता को स्वीकार नहीं किया गया है। समय-समय पर राज्य सरकार जो किराया भत्ता देती है, उसमें संशोधन करती है और जो हमारे प्रदेश के अधिकारी या कर्मचारी बाहर जाते हैं, उनको केन्द्र के समान भवन किराया मिलता है। समता समिति ने मकान भत्ते को केन्द्र के समान दिये जाने के प्रश्न को सिद्धान्ततः स्वीकार नहीं किया है इसलिये इसको नहीं माना गया है और अब प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, भिन्न-भिन्न नगरों का मकान किराया भत्ता भिन्न है। अपने ही यहां पर लोगों को दोहरा मकान भत्ता मिल रहा है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप लिखकर दे दें, उसकी जानकारी करा लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतन दिये जाने की नीति को अपनाया है, तो मकान भत्ता उनको केन्द्र के समान क्यों नहीं दिया जाता है। मेरी जानकारी में है कि तमाम मामले मुख्य सचिव स्तर पर और विसंगति समिति के सामने लम्बित हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सारे मामलों का कब तक निपटारा कर दिया जायेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इन सारे मामलों पर विचार हो रहा है और जहां तक मेरी जानकारी है इन पर अंतिम निर्णय होने वाला है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को जो मकान भत्ता दिया जाता है, वह भिन्न-भिन्न नगरों में भिन्न-भिन्न है तो उसे देने का मानक क्या माना गया है, इसको माननीय मंत्री जी बता दें? प्रदेश के शहरों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? विसंगति समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी है, वह समय-समय पर इन पर विचार करती है, उसकी रिपोर्ट तो आ चुकी है और अंतिम निर्णय हो चुका है। जो अंतिम निर्णय हो गया है, वह किन-किन पदों के लिये संस्तुतियां लागू की जाती हैं और जो शेष संस्तुतियां हैं उनको कब तक लागू कर लिया जायेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह भवन किराया भत्ता के सम्बन्ध में प्रश्न था, वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में तो यह प्रश्न नहीं था। जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है, मकान भत्ते का निर्धारण विभिन्न शहरों की आबादी के अनुसार होता है।.....

जहाँ पर 2.5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाएं हैं वहाँ उससे कम होता है और जहाँ पर 1000 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले हैं, जो स्तम्भ 2,3 में नहीं आते हैं उनका अलग से भवन किराया भत्ता होता है। मानक आबादी और क्षेत्र का होता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अभी मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि वेतन समिति के प्रत्यावेदन के बाद वेतन विसंगति समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी, उसकी फाइंडिंग्स भी आ

गयी, नियमतः वह सब मामले मंत्रि-परिषद् तक जाते हैं। मेरी जानकारी है कि मंत्रि-परिषद् तक जाने के बाद आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और आंशिक रूप से फिर उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि उस बारे में और केन्द्र से पैरिटी के बारे में किया कुछ भी नहीं। मैं दो बातें जानना चाहता हूँ–

1–वेतन विसंगति के जितने भी मामले, 300 मामले थे जिन पर सब का प्रत्यावेदन आ गया था, मंत्रि-परिषद् के सामने भी चला गया। उसमें भी सार्वजनिक बयान पढ़ा था मुख्य मंत्री जी का जिसमें शीघ्र ही निपटारे की बात कही गयी थी तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय उसकी लेटेस्ट पोजीशन क्या है और जो लम्बित मामले हैं उन पर अंतिम निर्णय कब तक हो जायेगा उसकी समय सीमा निर्धारित करेंगे?

2–कर्मचारियों ने अनेक प्रत्यावेदन शासन को दिये हैं जिसमें अलग-अलग नगरों में जनसंख्या का आधार है जैसे मुरादाबाद के लोग समय-समय पर शिकायत करते रहते हैं क्या उसको दिखवा कर जो प्रत्यावेदन उसका है, उनका निस्तारण कर दिया जायेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, वेतन विसंगति के संबंध में जो गुप्ता जी ने प्रश्न किया वह तो मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन जो आपने कहा कि मंत्रि-परिषद् अंतिम निर्णय लेती है, यह सही है। मंत्रि-परिषद् गुणदोष के आधार पर और संसाधन के आधार पर निर्णय लेती है और वह मंत्रि-परिषद् का अधिकार है, जनहित में जिसे मेरी सरकार करेगी। इन सब मामलों में बहुत विलम्ब नहीं होना चाहिए, शीघ्रता होनी चाहिए, यह सब मैं मानता हूँ। भवन किराया भत्ते की जहाँ तक बात है उसके सम्बन्ध में बता दूँ कि प्रदेश के संसाधन और कार्य के वर्गीकरण के अनुसार यह फिक्स कर दिया जाता है और इस पर बहुत पहले ही निर्णय हो चुका है।

प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने की मांग

**2–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने के पक्ष में हैं? यदि हां, तो इसके लिये कब तक घोषणा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–47 में निरूपित सिद्धान्त के अनुरूप प्रदेश सरकार की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है, तद्नुसार मद्य निषेध नीति को प्रमुखता देते हुये आबकारी विभाग यह सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से समुचित राजस्व प्राप्त किया जाय।

सरकार मद्य निषेध सम्बन्धी शिक्षात्मक कार्यकलापों के माध्यम से मादक वस्तुओं के दुरुपयोग के दुष्परिणामों के विरुद्ध जन जागृति हेतु सतत् प्रचार-प्रसार का कार्य करती है। जब

तक जनता मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग की बुराइयों और मद्य निषेध की अच्छाइयों से अवगत नहीं हो जाती और नशाबन्दी को स्वतः स्वीकार नहीं कर लेती तब तक सम्पूर्ण प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी किये जाने का औचित्य नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह सरकार बराबर दोहराती है कि हम गांधीवाद के पक्षधर हैं और गांधीवादी सिद्धांतों पर चलते हैं। महात्मा गांधी जी नशाबन्दी के सबसे प्रबल पक्षधर रहे। सिद्धांततः यह सरकार स्वीकार करती है कि नशाखोरी एक गलत चीज है और जब स्वीकार करती है तो नये क्षेत्रों में शराब की दूकानों को खोलने का क्या औचित्य है? जो नशाबन्दी के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार करते है उस पर पिछले दो वर्षों में कितनी कमी आयी, कितने लोगों ने प्रभावित होकर नशाखोरी छोड़ी? वर्तमान बजट में आबकारी से कितने राजस्व प्राप्ति का अनुमान है और इस वर्ष मद्य निषेध पर कितना पैसा खर्च किये जाने का प्राविधान है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कई सारे प्रश्न कर दिये। मद्य निषेध पर इस वर्ष 64 लाख 80 हजार व्यय किया जायेगा। श्रीमन् पूरे प्रदेश में जो नीलामी हुई है पिछले सालों के मुकाबले में 72 करोड़ रुपये की राजस्व में वृद्धि हुई है। गुप्त जी थोड़े असफल हो गये थे वृद्धि करने में, हम सफल हैं। यह बढ़ने से भी आर्थिक बोझ बढ़ेगा तो पहुंच से बाहर हो जायेगा उससे भी कुछ लोग कम पीयेंगे। सरकार की स्थापित नीति मद्य निषेध की है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी हैं कि जो पीने वाले लोग हैं वह जहरीली शराब नकली शराब न पियें, स्वास्थ्य खराब न हो। मद्य निषेध विभाग अलग से प्रचार करता है। आबकारी विभाग अच्छी शराब उपलब्ध कराने का काम करता है। हमारी स्थापित नीति है मद्य निषेध की।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं आया।

जब सिद्धांततः सरकार यह स्वीकार करती है कि नशाखोरी एक गलत चीज है तो नये क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने का क्या औचित्य है सरकार उनको कब तक बन्द करने का आदेश देगी?

दूसरे, जो प्रचार-प्रसार मद्य निषेध के लिये करते हैं उसमें पिछले दो सालों में कितनी कमी आयी है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अपने राम राज में तो यह बन्द नहीं कर पाये थे। नये क्षेत्रों की जो बात है, हमारी जिम्मेदारी है कि लोग अगर जहरीली शराब पी रहे हों और नये माफिया वहां पैदा हो रहे हों तो

सही शराब उपलब्ध करायें। हम मद्य निषेध की कोशिश करते हैं आप भी कोशिश करिये। नये क्षेत्रों में जो दुकानें खोलें वहां कोई खरीदने वाला ही न जाये, जब शराब की बिक्री नहीं होगी तो दुकानें ही नहीं खुलेंगी। लेकिन अगर शराब पीने वाले हैं दुकान नहीं होगी तो जहरीली शराब से मौतें हो जायेंगी तब भी आप सवाल करेंगे।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, मथुरा नगर एक धार्मिक नगर है कृष्ण की जन्म स्थली है। आज से कुछ समय पहले वृन्दावन में कोई शराब की दुकान नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में 10 कि० मी० की सीमा को घटाकर 3 कि० मी० कर दिया गया। इस पर फिर से विचार कर वृन्दावन जैसी धार्मिक नगरी में पहले की भांति उस सीमा को बढ़ाकर 10 कि० मी०- करने की कृपा करेंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह जो तीर्थ स्थान हैं, हमारे हरिद्वार, ऋषिकेश, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ मिश्रिख, नैमिषारण्य, पीरान कलियर, देवबन्द और देवां शरीफ.....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

देवां शरीफ भी इन धार्मिक स्थलों में शामिल है, यहां पर तीन किलोमीटर की परिधि में मद्य निषेध लागू है। इसके अतिरिक्त पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली एवं उत्तर काशी जनपदों में वर्तमान में केवल परिमिट धारकों को ही विदेशी शराब की सुविधा उपलब्ध है।

(व्यवधान)

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने यह पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो सीमा घटाकर तीन किलो मीटर कर दी गयी थी उसे पूर्व की भांति दस किलोमीटर करने की कृपा करेंगे?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर एक अनुपूरक करने की अनुमति हमें दे दें।

श्री अध्यक्ष—

कितने ही दफा यह प्रश्न आ चुका है और इसमें काफी चर्चा भी हो चुकी है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह पहली दफा ही आया है। अगर पहले आ गया होता तो आप अनुमति न देते।

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली, 1958 के नियम, 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद लखनऊ में इन्दिरा नगर कालोनी की सड़क पर अनधिकृत बाजार को हटाने की मांग

*श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में इन्दिरा नगर कालोनी के सी ब्लाक में एच० ए० एल० से चर्च की ओर जाने वाली सड़क पर, आवासीय क्षेत्र में लोगों के घरों के सामने पुनः एक अनधिकृत बाजार लगाया जा रहा है जिससे वहां के निवासियों का जीना दूभर हो रहा है और आवागमन में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? क्या इस अनधिकृत बाजार को अविलम्ब हटाया जायेगा ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सन्त बख्श रावत)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, शहरी क्षेत्रों में दिन प्रति दिन सड़क के किनारे मकानों के सामने लगातार अवैध तरीके से दुकानें लगायी जा रही हैं । इन्दिरा नगर हो या महानगर हो सब जगह यही स्थित है । इनको हटाया भी जाता है तो चार दिन बाद यह पुनः लग जाती हैं और इस सम्बन्ध में कई बार उनकी और मकान मालिकों की मार-पीट भी हो चुकी है तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार ऐसी कोई नीति तय करेगी कि आवासीय क्षेत्र के घरों के सामने दुकानें और बाजार न लगें। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो सड़कों के किनारे बाजार लगती है जैसे कभी बुध की बाजार लगती है तो कभी मंगल की बाजार जिससे सड़क जाम हो जाती है । तो यह अवैध दुकानें जो लगती हैं , हालांकि हमको भी इन बेरोजगारों की चिन्ता है लेकिन, क्या इनको स्थायी रूप से कहीं दुकानें देंगे ताकि ट्रैफिक रूल्स का भी पालन हो सके ?

श्री संत बख्श रावत–

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसमें पहला तो यह है कि पूरे प्रदेश की नीति के बारे में बात नहीं कही जा सकती है । जहां तक इन्दिरा नगर क्षेत्र की बात है वहां पर पटरियों पर जो दुकानें लगीं थीं उनको हटा दिया गया है और वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए कर दी गयी है ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, उत्तर अधूरा रह गया है । मान्यवर, मैंने यह प्रश्न किया था कि जो कालोनी की सड़कों के किनारे जो अवैध दुकानें लगती हैं और जिसकी वजह से कई बार मार-पीट होती है

क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनायेगी जो वैध कालोनियां हैं वहां पर अवैध तरीके से दूकानें न लगें और दूसरा जो बाजार लगती हैं सड़क के किनारे, जिसकी वजह से आये दिन सड़क जाम होती है और यातायात में बाधा उत्पन्न होती है तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है क्या उन्हें स्थायी रूप से कहीं और दुकानें देगी, इसका उत्तर मैं चाहता हूँ ?

श्री सन्त बख्श रावत–

मान्यवर, इन्दिरानगर कालोनी के सी ब्लाक से एच०ए०एल० से चर्च की ओर जाने वाली सड़क पर, आवासीय क्षेत्र में जिन लोगों के घरों के सामने अवैध दुकानें लगती थीं, उन्हें हटा दिया गया है, वहां के हटाये गये दुकानदारों को सेन्ट डोमनिक स्कूल के बगल में नाले के किनारे जगह दे दी गयी है।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

(नरेश अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप स्थान ग्रहण करें। आपका भी जो प्रश्न होगा, उसकी भी मंशा एक ही है। मंशा यह है कि जो आवासीय भवन सड़क के किनारे हैं, जो रेजीडेन्शियल हैं वहां बाजार भी लगता है, तो क्या आप उस बाजार को वहां से हटा देगें, इसमें क्या असुविधा है ?

नगर विकास मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)–

श्रीमन् जहां के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, उसके संबंध में बताया गया कि वहां से बाजार हटा दिया गया है, लेकिन फलवाले, ठेले वाले, सब्जी वाले वहां अपना सामान बेचते हैं, जो चले जाते हैं। जहां तक नीति का प्रश्न है, इस संबंध में नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 298 व 300 के तहत अतिक्रमण हटाये जा रहे हैं। एक 1916 का अधिनियम है, उसके तहत भी अतिक्रमण हटाया जाना चाहिये। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यह समस्या बहुत ही विकराल रूप में है, लेकिन हम उसके लिये प्रयत्नशील हैं कि इस तरह की कोई बाधा न आये।

प्रदेश में औद्योगिक नीति लागू करने की मांग

* 2— श्री नरेश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 16 अक्टूबर, 1990 को पूर्व की उनकी सरकार ने प्रदेश की जो औद्योगिक नीति घोषित की थी, उसके अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन शुरू होने की तिथि से पांच वर्ष तक विद्युत के न्यूनतम मांग भार से मुक्त रखे जाने का प्राविधान घोषित किया था ? क्या यह सत्य है कि उस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत प्रदेश में जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई थीं, उनको यह सुविधा इस कारण नहीं प्राप्त हुई क्योंकि विद्युत बोर्ड ने जनवरी, 1992 में न्यूनतम मांग भार का नाम बदलकर मिनिमम चार्ज गारन्टी कर दिया ?

क्या यह भी सत्य है कि बोर्ड के इस निर्णय के कारण प्रदेश में उपरोक्त औद्योगिक नीति के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक संस्थान बन्द होने के कगार पर आ गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार अपनी औद्योगिक नीति को पुनः लागू करवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि विद्युत बोर्ड ने जनवरी, 92 से न्यूनतम मांग भार का नाम बदलकर मिनिमम चार्ज गारन्टी कर दिया। मिनिमम कन्जम्पशन गारन्टी चार्ज करने का प्राविधान 1-2-86 व पूर्व में लागू टैरिफ में भी था।

जी नहीं।

औद्योगिक इकाइयों की विद्युत खपत प्रतिवर्ष बढ़ रही है। अतः औद्योगिक इकाइयों के बन्द होने के अन्य कारण हो सकते हैं।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, दुख इस बात का होता है कि सदन में घोषणा के बाद जब अधिकारीगण घोषणा को नहीं मानते हैं और माननीय मंत्री जी अज्ञानी बनकर जवाब देते हैं तो लगता है कि हम लोग सत्यता को कबूलवा पायेंगे या नहीं? मान्यवर, मैं दो चीजें माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पहला तो माननीय मंत्री जी यह बता दें कि न्यूनतम मांग भार और मिनिमम चार्ज गारन्टी की परिभाषा क्या है? दूसरा प्रश्न यह है कि शासनादेश संख्या-3-272 पी दिनांक 16 अक्टूबर, 1990 द्वारा इस बात का प्राविधान किया गया था कि औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन शुरू होने की तिथि से पांच वर्ष तक विद्युत के न्यूनतम मांग भार से मुक्त रखा जायेगा, लेकिन इस बात को विद्युत बोर्ड ने नहीं माना और न मानने के कारण बी०के० मल्होत्रा ने दिनांक 19 जून, 1992 को अजय विक्रम सिंह, सचिव, भारी उद्योग को एक पत्र लिखा है और यह स्वीकार किया है कि जो शासनादेश जारी हुआ था, उसको विद्युत बोर्ड नहीं मान रहा है, जिसके कारण औद्योगिक इकाइयां रुग्ण हो गयी हैं, यदि हां तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मिनिमम डिमान्ड का मतलब यह है कि फैक्टरियों में जो मशीनें लगी हैं, जिसमें बिजली की खपत होना है, उसको मद्देनजर रखते हुये मिनिमम डिमान्ड का मानक तय किया जाता है, किस-किस तरह की मशीनें हैं, कितना कन्जम्पशन होगा। मिनिमम चार्ज वह है कि मशीनों से कितना कन्जम्पशन होगा। उसका कितना चार्ज होगा, वह फिक्स कर दिया जाता है। ऐसा भी होता है कि जिन फैक्टरियों में मिनिमम चार्ज फिक्स किया गया है और अगर उस पर अमल नहीं हो रहा है तो उसके लिये छापे मारे जाते हैं कि जो मिनिमम चार्जेज दे रहे हैं, वह सही है या नहीं, उसका प्राविधान बना है और उस पर कार्यवाही होती रहती है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने दो चीजें पूछी हैं। एक तो सिर्फ इतना बता दीजिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि पांच वर्ष तक न्यूनतम मांग भार से मुक्त रखा जायेगा, तो उनका प्रयोजन क्या था? दूसरी बात विद्युत बोर्ड ने मिनिमम चार्ज गारण्टी रखा उसका प्रयोजन क्या है? क्या मुख्यमंत्री जी का जो प्रयोजन था वह लागू हो रहा है या नहीं? जो पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग निदेशक ने 1992 में लिखा, जिसमें स्वीकार किया गया है कि विद्युत बोर्ड को इसको न मानने के कारण औद्योगिक इकाइयां रुग्ण हो गयी हैं। जब उन्होंने नहीं स्वीकार किया तो सरकार ने इस पर क्या अमल किया?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसमें कई चीजें हैं। उत्तरांचल में विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से नई इकाइयों को पांच वर्ष तक जिलों में साढ़े 33 प्रतिशत की छूट है।

श्री नरेश अग्रवाल–

न्यूनतम के माने हैं कि कितना भार है? उस फैक्ट्री में उसके बाद तय होगा, उस पर छूट मिलेगी और अलग से कितनी छूट मिल सकेगी, माननीय सहकारिता मंत्री जी को ऊर्जा के बारे में ज्ञान नहीं है। मान्यवर, हमारे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिला दीजिये। यह सहकारिता से सम्बन्धित नहीं है बल्कि ऊर्जा से सम्बन्धित है। कदाचित माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयोजन था इसको लागू करने का कि मिनिमम मांग भार का मतलब हुआ कि जो वहां फैक्ट्री लगेगी और वह जो विद्युत कन्जम्पशन करेगी उसके हिसाब से भुगतान करना होगा।

विद्युत बोर्ड ने जो लागू किया है उसका अर्थ है कि जितना लोड होगा और उस लोड का जो खर्चा करेगें या नहीं करेंगे लेकिन मिनिमम लोड के अनुसार वसूल किया जायेगा। मान्यवर, प्रदेश में 90 हजार औद्योगिक इकाइयां लगी लेकिन वह सब रुग्ण हो गयी हैं। इस बात को प्रदेश के उद्योग निदेशक ने स्वीकार किया है। उन्होंने जो पत्र लिखा है उस पत्र की चार लाइन पढ़ रहा हूं। माननीय मंत्री जी के पास पत्र नहीं है। 19 जून, 1992 को विद्युत दरों में हुई नयी व्यवस्था में न्यूनतम मांग भार को बदलकर मिनिमम चार्ज गारण्टी कर दिया है। इसलिये औद्योगिक इकाईयों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही है जिसके फलस्वरूप अनेक नई इकाइयां रुग्ण हो गयी हैं। आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि पिकप और सचिव भारी उद्योग की जो बैठक हुई, उसमें जो निर्णय लिया गया उसको सरकार ने लागू किया, लेकिन विद्युत बोर्ड ने उसे नहीं माना। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1990 में जो उद्योग नीति की घोषणा की गयी थी क्या उसको लागू करवायेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, खुद में जवाब बहुत साफ है। पता नहीं क्यों नरेश अग्रवाल जी उस जवाब को समझ नहीं पा रहे हैं? मान्यवर, जहां तक इकाइयों के सिक होने का ताल्लुक है, इकाइयां सिर्फ विद्युत के कारण ही सिक नहीं होती हैं और भी कई कारण हैं। आज विद्युत की जो पोजीशन है

उसको जानते हैं और यह भी जानते हैं कि हमारे ऊपर कितना कर्ज है। हम विद्युत को एक कारण तो मान सकते हैं, लेकिन किसी इकाई के बन्द होने का कारण केवल विद्युत हो, ऐसा नहीं है, इसके कई कारण हो सकते हैं।

(तारांकित प्रश्न संख्या–3 श्री सुरेश कुमार खन्ना का नाम पुकारे जाने तथा कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

बिजली की आपूर्ति एक अहम सवाल है। इस सरकार ने 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने की बात कही थी।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें, मैंने श्री खन्ना जी के प्रश्न के उत्तर के लिये माननीय मंत्री जी को बुला लिया है।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आ पाया है, इसलिये नियम-49 में लिखित दे रहा हूं, आप इस पर चर्चा स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दीजियेगा।

स्थानीय निकाय की भूमि पर अतिक्रमण सम्बन्धी प्रकरण

* 3— सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकाय की भूमि पर अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित करने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा?

श्री सन्त बख्श रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आज स्थानीय निकाय की भूमि पर अतिक्रमण प्रदेश के नागरिकों के लिये एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या माननीय मंत्री जी इसको संज्ञेय अपराध घोषित करेंगे? उन्होंने कह दिया कि–जी नहीं। एक तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो वर्तमान में अतिक्रमण रोकने के लिये जो कानून है, क्या उसको और कड़ा बनायेंगे?

उनका पालन कड़ाई से हो, इसकी व्यवस्था करेंगे?

श्री सन्त बक्श रावत–

मान्यवर, प्रदेश की स्थानीय निकायों में अतिक्रमण हटाये जाने हेतु प्रक्रिया एवं नियम लागू अधिनियम व नियमों में स्पष्ट रूप से दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धाराओं 293 से 300 तक विभिन्न प्रकार के अतिक्रमणों को हटाये जाने संबंधी प्रक्रिया एवं अधिकारों का उल्लेख है। इसी प्रकार म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट 1916 की धाराओं 236. 264. 265 आदि में विभिन्न श्रेणी के अतिक्रमण नगर पालिका क्षेत्रों से हटाये जाने की व्यवस्था है साथ ही अतिक्रमण कर्ताओं को आर्थिक दण्ड दिये जाने का भी प्राविधान है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन्, तीन तरह से यह हैं। एक स्थायी, दूसरा अस्थायी और तीसरी मोबाईल। स्थायी नीति तो चूंकि कठोर है उस पर किसी तरह की आपत्ति नहीं है। अस्थायी एवं मोबाईल नीति के तहत क्या सरकार अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में कठोरता के साथ पालन करेगी। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इन्हें स्थान दे दिया जाय। जगह-जगह ठेले वाले, सब्जी वाले खोमचा लगाये बैठे हैं, इन लोगों को वैकल्पिक स्थान दे दिया जाय और इन्हें कठोरता से हटाने की कार्यवाही न की जाय।

श्री सन्त बक्श रावत–

मान्यवर, यह सरकार इस बात के लिये चिन्तित है, उसी के अनुरूप यह व्यवस्था की जा रही है, जब तक उनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक मोबाईल नीति के अनुसार उनको चलाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था हो जायगी और उसकी बात की जायगी।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर अतिक्रमण बढ़ रहा है, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों द्वारा रास्तों व पटरियों पर जो अवैध निर्माण कराया जा रहा है उन्हें सरकार हटाने की कृपा करेंगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस अतिक्रमण को खत्म कराने की व्यवस्था करेंगे?

श्री सन्त बक्श रावत–

श्रीमन् इस बारे में जो कुछ है, उसको दिखवा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आपने नियमों की जानकारी दी। मुझे भी नियमों की जानकारी है। मैं इस विभाग से सम्बद्ध रहा हूं। मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि 04.12.93 के बाद यह सरकार आई है तब से इन निकायों के कितने लोगों को दण्डित किया गया है और कहां-कहां से अतिक्रमण हटाया गया है?

श्री सन्त बक्श रावत–

श्रीमन्, यह व्यापक प्रश्न है, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद लखनऊ स्थित हुसैनाबाद घंटाघर पार्क के पूर्व गुलाला जाने वाले मार्ग तथा गोमती बांध की भूमि पर अवैध कब्जा

*1—श्री राम कुमार शुक्ल—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि हुसैनाबाद घंटाघर पार्क के पूर्व गुलाला जाने वाले मार्ग तथा गोमती बांध के बीच की भूमि पर भराई का कार्य नगर महापालिका ने किया है? यदि हां, तो इस पर क्या लागत आयी है? क्या लखनऊ नगर महापालिका इस पर पार्क बनाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक। क्या इस भूमि पर किसी सहकारी आवास समिति द्वारा अवैध तरीके से भू-खंड बेंचे जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? महापालिका इसे रोकने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री सन्त बक्श रावत—

जी नहीं।

पिछले 10 वर्षों से नगर महापालिका द्वारा कोई भराई का कार्य नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं, कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत भूमि के आंशिक भाग पर न्यू रीवर ब्यू, सहकारी आवास समिति के द्वारा अवैध ढंग से विकसित किया जा रहा था जिसे विकास प्राधिकरण द्वारा उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1), 28 (1), व 28 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही करके अवैध निर्माण रोक दिया गया है।

आवश्यक कार्यवाही विकास प्राधिकरण द्वारा की जाती थी, जो की गयी है।

श्री राम कुमार शुक्ल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का हवाला दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि 1973 के बाद लखनऊ शहर में सैकड़ों बीघा जमीन जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की है परन्तु उसके विधिवत् नक्शे बनाकर उन्हें बेचा जा रहा है और अवैध तरीके से मकान बनाये जा रहे हैं। जब कोई कम्पलेन्ट की जाती है तो उन्हें नहीं हटाया जाता है। जब इस मामले में कम्पलेन्ट की गयी और विधान सभा में प्रश्न लाया गया तो तब जाकर इसे रोका गया। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस की भी मिलीभगत होती है और विकास प्राधिकरण की भी मिली-भगत होती है। वह पूरा मकान बन जाने देते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 बिल्कुल प्रभावी नहीं है। क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठायेगी, जिससे भविष्य में नजूल की भूमि पर व प्राधिकरण की भूमि पर अवैध तरीके से निर्माण कार्य न हो सके?

दूसरा, इस मामले में जो चाहरदीवारी बन गई है और मकान बन गया है क्या उसे सरकार हटाने की कार्यवाही करेगी? मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर तो मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से चाहता हूँ।

श्री सन्त बक्श रावत—

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य किसी स्थान विशेष की सूचना देंगे तो हम उसे अवश्य रुकवा देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरे ही सवाल पर यह प्रश्न एक बार स्थगित हो गया था। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि वहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। तब उस समय मैंने कहा था कि वहाँ पर एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर इसकी समीक्षा करवा लें कि वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है या नहीं। आज उसी सवाल पर दुबारा उत्तर आया है। यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी ने मौके पर जाकर उसकी समीक्षा की है तो उसकी रिपोर्ट क्या है? प्रश्नकर्ता ने कहा भी है कि अवैध निर्माण जो बना हुआ है, कदाचित् इस आशय की रिपोर्ट भी आपके पास आयी होगी, उसे हटाने का प्रयास सरकार करेगी?

श्री सन्त बक्श रावत—

मान्यवर, मैं पहले ही अपने उत्तर में कह चुका हूँ कि जो निर्माण पहले हो गया था, उसके बाद कोई नया निर्माण नहीं हो रहा है। जो उत्तर उस समय दिया था, वही स्थिति आज भी है। यदि कहीं कोई निर्माण हुआ है तो उसे दिखवा लेंगे और हटवा देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसका मतलब यह हुआ कि निर्माण कार्य हुआ था।

नगर विकास एवं जल सम्पूर्ति मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, कोई कार्य नहीं हुआ है। उसे विकसित किया जा रहा था एक प्राइवेट सोसाइटी के जरिये से। मुख्य अभियंता की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। अब उनके द्वारा यह जानकारी दी गई है कि समतलीकरण करने का कार्य विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया गया है।

श्री राम कुमार शुक्ल—

यह जो चीज कही गयी है यह सत्य से परे है।

श्री रमाशंकर कौशिक—

फिर जाँच करा लेंगे क्योंकि आप ऐसी बात कह रहे हैं।

जनपद जालौन के विकास खण्ड नदी गांव के ग्राम गिदवासा के रिहायशी क्षेत्र से विद्युत लाइन हटाने की मांग

*2—श्री चैनसुख भारती—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन के विकास खण्ड नदी गांव के ग्राम गिदवासा के रिहायशी क्षेत्र के ऊपर से 1100 केवी०ए० की बिजली लाइन निकाली गयी है

जिससे ग्रामीणों की जानमाल का खतरा बना हुआ है और अब तक एक ग्रामवासी की मृत्यु भी हो चुकी है? क्या इस बिजली लाइन का नया स्टीमेट बनाकर इसे गांव के ऊपर से हटाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ—

जी नहीं। ग्राम के निवासियों ने लाइन बनने के बाद अनधिकृत रूप से उसके नीचे मकान बना लिये हैं जिसके कारण वर्ष 1982 में एक ग्रामवासी की मृत्यु हुई थी। लाइन हटाने के लिये उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को निर्देशित कर दिया गया है।

श्री चैनसुख भारती—

मान्यवर, पिछली सरकारों के समय मेरे विधान सभा क्षेत्र कोंच, जालौन में लोहे के खम्भों की जगह लकड़ी के खम्भे लगाये गये विकास खण्ड नदी गांव और डूण्डा ब्लाक के कई गांवों में यह लकड़ी के खम्भे टूट गये हैं और नीचे हो गये हैं जिनको छुवा जा सकता है जिससे जानमाल खतरे में है। तो क्या अविलम्ब इन खम्भों को जो मेरे क्षेत्र में हैं, हटा कर नये खम्भे लगवायेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खाँ—

मान्यवर, 1977 में लाइन डाली गयी और यह जो हादसा हुआ यह 1982 में हुआ। तब से माननीय सदस्य को जानकारी होगी विद्युत विभाग के रूल्स में है कि ऐसी जगहों पर आबादी नहीं होगी आबादी का एक्सपेन्स हुआ जहाँ से हाईटेंशन वायर गये हैं वहां पर मकान नहीं बनाये जायेंगे लेकिन उसके बावजूद विद्युत विभाग के मानक को लोग नहीं मानते हैं इसकी वजह से मृत्यु हो गयी। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ शायद उनको जानकारी न हो जो मृत्यु हुई है 1982 में उसमें आज तक मुआवजा नहीं दिया गया जो 10 हजार रुपया दिया जाता है वह मुआवजा भी एक महीने के अंदर दे दिया जायेगा।

श्री राम विशुन आजाद—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा इक्यूलिप्टस के खम्भे लगाकर नाजायज तरीके से बिजली दी जा रही है। तो क्या इनकी जगह लोहे और सीमेंट के खम्भे लगाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खाँ—

मान्यवर, कहीं से कोई खास शिकायत होगी तो माननीय विधायक जी बतायेंगे तो वह करा देंगे।

श्री अकबर अली—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान मेरे विधान सभा क्षेत्र उरई में कुछ प्रत्याशियों द्वारा अपने पैसे से विद्युत खम्भे और तार खिंचवा दिये जैसे कुठौरा सैदनगर आदि में हैं आप दिखवा लें। तो क्या उन खम्भों में जो तार खिंचे हुये हैं उनमें कनेक्शन नहीं है क्या उनको कनेक्शन देने की कृपा करेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खाँ—

मान्यवर, सेवा के काम को बढ़ावा मिले मेरी यही मनोकामना है, वोट लेने के लिये कोई अगर कुछ काम कराता है तो हम उसे कहां रोक सकते हैं।

[शुक्रवार दि० 8 अप्रैल, 1994 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में स्थित पार्कों को सुधारने की मांग

*1—श्री राम कुमार शुक्ल—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के आधे से अधिक पार्कों की घोर दुर्दशा है तथा वे अतिक्रमण-ग्रस्त भी हैं। यदि हां, तो ऐसे पार्कों को सुधारने हेतु क्या सरकार कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार चौपटिया कालोनी, लखनऊ स्थित पार्क का सुधार भी करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सन्त बक्श रावत—

जी नहीं।

नगर के 20 पार्कों के सुधार हेतु रु० 69,52,910.00 की योजना नगर महापालिका द्वारा बनायी गयी है जिसमें 3 पार्क लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के भी हैं। इसका परीक्षण किया जा रहा है। धन की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नगत योजना पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता

जी हाँ।

धन उपलब्ध होने पर सुधार कार्य महापालिका द्वारा कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम कुमार शुक्ल—

मान्यवर, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और कभी यह पार्कों का शहर था और यहाँ अच्छे और ऐतिहासिक पार्क थे लेकिन आज यहां पार्कों की बड़ी दुर्दशा है। हमारे क्षेत्र पश्चिमी लखनऊ में तीन पार्कों की बात कही गयी है लेकिन मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में 70 ऐसे पार्क हैं जिनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है और वहां गाय और भैसें चरती हैं। नगरमहापालिका की आय जब कम थी तो पार्कों की हालत अच्छी थी लेकिन जब आय बढ़ी है तो उनकी हालत खराब है। इसलिये मंत्री जी से मैं आश्वासन चाहता हूं कि जो पार्क अच्छे हैं लेकिन इस समय हालत खराब है उनको मेन्टेन करने पर क्या विचार करेंगे? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पश्चिमी लखनऊ में कौन-कौन पार्क हैं और चौपटिया का पार्क जो कूड़े का ढेर बन गया है उसका विकास कब तक करा देंगे?

श्री सन्त बक्श रावत—

मान्यवर, जो कहा गया है कि पूरे लखनऊ के पार्कों की खराब दुर्दशा है तो यह सही नहीं है। यहां कुछ अच्छे पार्क भी हैं। लखनऊ में कुल 742 पार्क हैं जिनमें कुछ विकसित और कुछ अविकसित पार्क हैं।

जहां तक चौपटिया कालोनी बाग मिर्जा जुम्मा कालोनी स्थित पार्क महापालिका को प्राप्त ऋण रुपये 21.27 लाख के अन्तर्गत योजना में सम्मिलित है जिसके लिये रुपये 1.50 लाख का व्यय अनुमान स्वीकृत है और यह काम विकास प्राधिकरण को करना है।

श्री राम कुमार शुक्ल—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 742 पार्कों में से कितने विकसित हैं और कितने अविकसित पार्क हैं?

श्री सन्त बक्श रावत—

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 742 पार्कों में से 112 पार्क विकसित हैं, 16 पार्क अर्ध विकसित हैं।

शहरी क्षेत्र के अविकसित पार्क 55 हैं। राजाजी पुरम कालोनी में 168 पार्क हैं। इंदिरा नगर कालोनी के सेक्टर 1 से 7 में 92 पार्क हैं और इंदिरा नगर सेक्टर 8 से 25 तक 182 पार्क हैं। इसी तरह से विकास नगर और शेखूपुर कालोनी में अविकसित पार्कों की संख्या 177 है। इस तरह से 742 कुल पार्क लखनऊ में हैं।

प्रदेश में विद्युत चोरी रोकने के सम्बन्ध में जानकारी

*2—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत अव्यवस्था को दूर करने के लिये सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं? क्या यह भी बतलायेंगे कि विद्युत उत्पादन बढ़ाने व विद्युत की चोरी रोकने की दिशा में अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये हैं?

श्री मोहम्मद आजम खाँ—

1—विद्युत उत्पादन में क्षमता वृद्धि की योजना पूर्ण की गयी है और अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध करायी गयी है।

2—पारेषण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ़ करने हेतु कई कार्य किये गये हैं।

3—परिषद् की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु पर्याप्त साधन जुटाने को कहा गया है।

4—विश्व बैंक की सहायता से ऊर्जा क्षेत्र का पुनर्गठन कराया जा रहा है।

5—पारेषण/वितरण/उत्पादन हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 93-94 में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में आनपारा बी तापीय विद्युत गृह की 500 मेगावाट की प्रथम इकाई को दिनांक 1-3-94 से वाणिज्यिक भार पर ले लिया गया है। द्वितीय 500 मेगावाट की इकाई को माह सितम्बर 1994 तक वाणिज्यिक भार पर ले लिया जायेगा। टांडा विद्युत गृह की 110 मेगावाट की तृतीय इकाई को 1-10-93 से वाणिज्यिक भार पर चालू किया गया है। जवाहरपुर तापीय परियोजना, रोजा तापीय परियोजना एवं विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना को निजी क्षेत्र में स्थापित करने हेतु निजी निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गये हैं। 15 छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को भी निजी क्षेत्र में स्थापित करने हेतु शीघ्र निजी निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जा रहे हैं तथा 4 अन्य परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में लगाने के लिये विज्ञापन जारी कर दिये गये हैं। जिन परियोजनाओं के समझौता ज्ञापन हो चुके हैं, उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनने की कार्यवाही प्रचलित हैं।

विद्युत चोरी एवं अन्य अनियमितताओं को पकड़ने के लिये समय-समय पर पुलिस प्रवर्तन दल एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा विशेष अभियान चलाये जाने के फलस्वरूप वर्ष 1993-94 में माह 1/94 तक 51957 उपभोक्ताओं के परिसरों पर छापे डाले गये जिसमें 21047 अनियमिततायें पाई गई तथा 2891 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 1282.04 लाख रुपये की धनराशि आंकलित की गई।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, विद्युत उत्पादन का प्रदेश के विकास से सीधा-सीधा सम्बन्ध जुड़ा हुआ है, अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान में कितने यूनिट प्रति दिन की प्रदेश में आवश्यकता है और कितना उत्पादन वर्तमान में हो रहा है और आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन कब तक होने लगेगा ? नम्बर–2. वर्तमान में जितना उत्पादन प्रदेश में हो रहा है, उसमें से कितने परसेन्ट चोरी हो जाता है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

पूछा गया प्रश्न जितना विस्तृत नहीं था, उससे ज्यादा उत्तर दे दिया गया है । फिर भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन उतना नहीं है, जितनी उसकी मांग है। मैं पहले भी सदन में बता चुका हूं, कोई भी ऐसा देश जो डेवलपिंग कन्ट्री हो, उसमें समस्याएं पैदा होंगी, इसलिए उतना उत्पादन यहां नहीं हुआ, जितनी आवश्यकता है । इसका सही परीक्षण नहीं हुआ है कि कितनी आवश्यकता है। वह इसलिए नहीं है कि हमने बार-बार सदन में इसको माना है कि जो बिजली की चोरी होती है, उसमें केवल जनता को ही खतावार नहीं माना है, उनको भी माना है, जो इस प्रणाली में लगे हुए हैं ।

कागजों में जो लिखा हुआ है, उसके अनुसार आवश्यकता है । 105 मीलियन यूनिट और उपलब्धता है, 95 मीलि० यूनिट । यह कागज पर है, लेकिन सच्चाई बिलकुल इससे अलग है ।

मैं यह भी बताना चाहता हूँ, मैंने इस पर बहुत विस्तार से अपने यहां चर्चा की है जो ओबरा, आनपारा, टांडा और हरदुआगंज में 4 मशीनें नई लगी हैं, उन पर । विडम्बना यह है कि इनसे जितना जेनरेशन होगा, वह इतना ज्यादा होगा कि अगर इस जेनरेशन का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाय तो प्रदेश में बिजली की समस्या को बहुत बड़े हद तक हल किया जा सकता है । लेकिन हमने जनरेशन की व्यवस्था तो कर ली है, किन्तु अभी डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं की है । अभी कहीं फेल्योर हो जाता है, तो हम इनमें से किसी एक जगह से उस विद्युत की आपूर्ति कर देते हैं, जो बन रही है ।

यह कमी जरूर है लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि प्रगति हुई है । काफी काम हो गया है। हमने जनरेशन शुरू कर दिया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिये कुछ पैसे की बहुत जरूरत है । 2400 करोड़ रुपये विश्व बैंक से कर्ज मांगा है । उसमें से 6 करोड़ 30 लाख रुपये मिल गया है लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचा है । यह पैसा मिल जाने पर काम होगा । मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो सरकार का वादा है बिजली देने के लिये उस वादे को ज्यादा से ज्यादा पूरा किया जायेगा ।

श्री ऊदल–

माननीय मंत्री जी ने तमाम उपाय तो बता दिये बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये । डिस्ट्रीब्यूशन के लिये नियमित व्यवस्था नहीं की जा सकी है । लेकिन क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान प्रदेश के प्रत्येक मण्डलों में इस बात के लिये गया है कि वहाँ ट्रांसफारमर बिल्कुल नहीं हैं, तार नहीं हैं, क्लैम्प नहीं है जिसका नतीजा यह है कि सन् 80 से लेकर जिन लोगों ने लाइट के लिये एग्रीमेन्ट कर दिया था इस्टीमेट का रुपया भी जमा कर दिया है उनको आज तक कनेक्शन ट्रांसफारमर, तार और अन्य उपकरणों के अभाव में अभी तक नहीं दिये गये हैं । माननीय मंत्री जी इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, बिल्कुल सही सवालात हैं । जितनी जल्दी जितना हो सकेगा उतना करेंगे । जब भी ऊर्जा का सवाल होता है, मैं बहुत समय देता हूँ । अधिकारियों से इस विषय में बात करता हूँ। जितनी राहत हो सकेगी दी जायेगी । हो सकता है बहुत सी बातें आपकी मौजूदगी में नहीं कहता, उनसे कहता हूँ । जितनी राहत देने की व्यवस्था होगी वह की जायेगी ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है । जन जीवन से जुड़ा है । इसके लिये मैं 49 में चर्चा करवा लूँगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या विद्युत की दर बढ़ाई जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सबकी जिज्ञासा कैसे पूरी होगी? दो लोग तय कर लीजिये । मैं दोनों को इस पर प्रश्न करवा लूंगा । मैं चर्चा के लिये तैयार हूँ कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और जनजीवन से जुड़ा है मैं इस पर चर्चा करवा लूँगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, इस प्रश्न के दो अंग है । पहला मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आनपारा–बी की पहली इकाई 500 मेगावाट की शुरू हो गई है । दूसरी के बारे में आपने कहा कि वह भी चालू हो जायेगी । अभी जब पहले वाली इकाई के विद्युत पारेषण की व्यवस्था नहीं हुई है तो यह जो दूसरी इकाई जापान के सहयोग से उत्पादन देगी तो उसके भी पारेषण की व्यवस्था आप कैसे करेंगे ? दूसरी बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय विष्णु प्रयाग परियोजना की बात चल रही थी आपके शासनकाल को डेढ़ साल हो गया है, तब से उसमें क्या प्रगति की गई ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का कहना है कि आपके शासनकाल का डेढ़ वर्ष हो गया है; आपने इसमें क्या किया ? यह बतायें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, वही बताया पिछले डेढ़ वर्ष में क्या हुआ और अगले डेढ़ वर्ष में क्या होगा। अगले कार्यकाल के लिए आने वाले दिनों के लिए विश्व बैंक से पैसा मिल रहा है। जो काम करेंगे वह हमने बताये हैं। आनपारा के बारे में कहा, दूसरा जो था इनौगुरेट होने जा रहा है जरूरत तो है ही, उसको पूरा कराया जाएगा।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

भूमि अधिग्रहीत करने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

पांच सौ मेगावाट का नुकसान हो रहा है। जेनरेशन के साथ-साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हम यह मानकर चल रहे हैं यह विडम्बना तो है ही, कि दूसरे में जेनरेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। जहां ब्रेक डाउन होगा उसको पूरा किया जाएगा। एक काम हो गया है दो फेसेज में काम होता है तो जनरेशन का काम तो पूरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरा करना है। इसके लिए पैसा मांगा गया है।

(व्यवधान)

(श्री किरनपाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, पीछे बैठे सदस्यों को भी टाइम मिलना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र का मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ आप दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने किरनपाल सिंह जी को बुला लिया है।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

बिजली से संबंधित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ लिखा नहीं जाएगा।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मुझे तो सवाल पूछ लेने दें।

(व्यवधान)

श्री सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर सदन को गुमराह किया जा रहा है बात स्पष्ट हो जाने दें।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

इसमें चर्चा की अनुमति दे दें।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

आप नियम–49 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करा लें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

आपने किरन पाल सिंह जी को बोलने के लिये कहा है। इसके बाद आप उनको बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

जब आप लोग खुद ही उनको सुनना नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं?

श्री राम आसरे वर्मा–

सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने की जिम्मेदारी आपकी है।

श्री अध्यक्ष–

जब सदस्य मनमानी करेंगे तो कार्यवाही सम्भव नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

आप वहां पर मौन साधे बैठे हैं और हम लोग यहां पर चीखते रहें।

श्री अध्यक्ष–

आपको जो कहना हो कहते रहिए कुछ नहीं लिखा जाएगा। मैं आपकी मनमानी एक सेकेंड भी नहीं चलने दूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

[X X X]

श्री अध्यक्ष–

आप खड़े रहिए। कुछ भी लिखा नहीं जाएगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

[x x x]

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जाएगा। मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

* 3–श्री अमित अग्रवाल–

[मा० सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

नगर महापालिका वाराणसी के सीमान्तर्गत स्थित कालोनियों को नगर महापालिका द्वारा हस्तगत करने की मांग

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

* 4–क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि महापालिका, वाराणसी, के सीमान्तर्गत कितनी कालोनियां हैं जो अभी तक महापालिका, वाराणसी को हस्तगत नहीं हुई? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्या यह सही है कि इनके निवासियों से गृहकर, जलकर, सीवर कर आदि वसूले जाते हैं, परन्तु वहां पक्की सड़कें समुचित पेय जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, जल जमाव तथा नियमित सफाई आदि नागरिक सुविधाओं के अभाव में नागरिकों को वर्षों से घोर कष्ट उठाना पड़ रहा है? वाराणसी महापालिका की जर्जर आर्थिक स्थिति को देखते हुये क्या सरकार विशेष अनुदान राशि प्रदान कर इनके विकास के साथ ही निवासियों को नागरिक सुविधा प्रदान करने को निर्देशित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सन्त बक्श रावत–

नगर महापालिका, वाराणसी के सीमान्तर्गत 90 ऐसी कालोनियां है जो अभी तक नगर महापालिका, वाराणसी को विधिवत् हस्तगत नहीं हुई है। यह सभी निजी कालोनियां है। कालोनाइजर द्वारा इन कालोनियों का विकास कार्य निर्धारित मानक के अनुसार न होने के कारण तथा उनके द्वारा नगर महापालिका को विधिवत हस्तगत करने के लिये प्रस्ताव न देने के कारण अभी तक हस्तान्तरित नहीं की गयी हैं।

निवासियों से जलकर, सीवर तथा गृहकर वसूल किये जाते हैं। नगर महापालिका अपने सीमित संसाधनों से सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत, स्ट्रीट लाइट के रख-रखाव की व्यवस्था, जल निकासी तथा नियमित सफाई का कार्य कराती हैं। संसाधन की उपलब्धता को देखते हुए यह सम्भव नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, यह सर्व विदित है कि वहां के लोग गृह कर, जल कर, सीवर कर देते हैं तो उनको मानक के अनुसार सुविधायें प्राप्त होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी के प्रश्न के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि मानक के अनुसार कालोनियों का निर्माण नहीं किया गया। यह तो निश्चित है कि जब कालोनियों का निर्माण होता है तो ले–आउट प्रस्तुत किया जाता है, डेवलपमेंट शुल्क आदि जमा किया गया होगा। लेकिन उसके बावजूद मानक के अनुसार कालोनियों का निर्माण नहीं किया गया जिससे वहां के निवासियों को कष्ट हो रहा है। इसके लिये वहां के कालोनाइजर के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं और यह कालोनियां महापालिका को नियमानुसार हस्तगत हो जायं उसके लिये क्या करने जा रहे हैं ? मेरे क्षेत्र में नगवा, नगर, शिवपुरी, जवाहर नगर एक्सटेंशन, रवीन्द्र पुरी कालोनियां हैं।

यहां पर बरसात में भयंकर रूप से पानी जमा हो जाता है और इस इलाके में महापालिका द्वारा सफाई नही की जाती है जिससे जनता को कष्ट होता है। मैंने जिन कालोनियों के नाम लिये हैं, क्या आप महापालिका को निर्देशित करेंगे कि वहां पर जल जमाव दूर करने और विद्युत की व्यवस्था की जायगी ?

श्री संत बख्श रावत–

मान्यवर, यह अनधिकृत रूप से निर्मित कालोनियां हैं इनका कोई मास्टर प्लान या कोई नक्शा स्वीकार नहीं हुआ है इसलिये इनको अनधिकृत माना गया है। जो मानक के अनुसार सुविधायें देने की बात है तो जो महानगर पालिका के सीमित संसाधन हैं उसके अनुसार वह व्यवस्था कर रही है। माननीय सदस्य ने जिन कालोनियों का उल्लेख किया है उसको हम दिखवा लेंगें और निर्देश दे देंगे कि उसमें सफाई की व्यवस्था रखें।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया है लेकिन उसका उत्तर नहीं आया है। पर्वतीय क्षेत्र में बिजली नहीं हैं, वहां पर बच्चों की परीक्षायें चल रही हैं लेकिन बिजली नहीं है। पोल गिरे पड़े हैं सरकार की ओर से प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो हमारे यहां पर आने का मतलब क्या है। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो मैं इस्तीफा देकर चला जाता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आप किस प्रश्न के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री सन्त बख्श रावत–

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्न प्रहर समाप्त हुआ।

जनपद लखनऊ स्थित उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् लेसू के अन्तर्गत कार्ड कोड का मिलान

* 5–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ में कार्ड कोड जी एवं कार्ड कोड 35 का पिछले दो वर्षों से आर टू से मिलान कराये जाने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या यह सत्य है कि आर टू से मिलान न कराकर विद्युत परिषद् को करोड़ों रुपये की हानि कराई गई है? यदि हां, तो कुल कितने रुपये की हेराफेरी पकड़ी गयी? क्या इस संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई थी? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जी हां, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, लेसू, लखनऊ मे कार्ड कोड-जी एवं 35 आर–2 के आधार पर ही बनाया जाता है जिसकी जांच करने के लिये संबंधित सहायक अभियंता (वाणिज्य) जिम्मेदार होते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में यात्री किराया मैदानी क्षेत्र के समकक्ष करने की मांग

* 6–श्री बची सिंह रावत–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में यात्री किराया, रोड टैक्स व माल वाहन कर की दरें मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा लगभग दोगुनी हैं? क्या सरकार

---

* नोट:–नत्थी 'ग' तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

उत्तरांचल क्षेत्र की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुये यात्री किराये, रोड टैक्स व माल वाहन करों की दरों में मैदानी क्षेत्र के समकक्ष रखने के लिये कदम उठायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री आर० के० चौधरी)

उत्तरांचल क्षेत्र में यात्री किराये की दरें मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा लगभग दोगुनी है। रोड टैक्स व माल कर की दरें पूरे प्रदेश में एक ही हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल क्षेत्र में सड़कों की दशा भौगोलिक परिस्थितियों एवं कठोर मौसम के कारण अपेक्षाकृत खराब होने एवं चढ़ाई-उतारयुक्त व चक्करदार मार्ग होने के फलस्वरूप संचालन व्यय अधिक होता है, जिसके कारण किराये भाड़े की दरें अधिक रक्खी गयी हैं। किराये भाड़े की दरें कम करने से परिवहन व्यवसाय अलाभप्रद हो जाएगा अतएव इसमे संशोधन किया जाना संभव नहीं है।

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, जल निगम आगरा के कार्यालय का स्थानान्तरण

* 7–श्री बदन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्रीय चीफ इंजीनियर, जल निगम का कार्यालय वर्ष 1993 के प्रारम्भ में आगरा से गाजियाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो ऐसा करने का कारण क्या है? क्या यह सही है कि इस कार्यालय के आगरा से गाजियाबाद स्थानान्तरित करने से आगरा में अधिक पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो क्या इस कार्यालय को पुनः आगरा में स्थापित किया जायेगा?

नगर विकास मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)–

जी हाँ।

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, जल निगम, आगरा का कार्यालय निम्न कारणों से गाजियाबाद स्थानान्तरित किया गया है :–

1—मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल द्वारा प्रभावी समन्वय की दृष्टि से पश्चिम क्षेत्र का मुख्यालय मेरठ या आस पास किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था।

2—पश्चिम क्षेत्र का मुख्यालय गाजियाबाद किये जाने पर भारत सरकार के साथ समन्वय एवं सम्पर्क करने में मुख्य अभियन्ता को सुविधा रहेगी।

3—यमुना ऐक्शन प्लान का कार्य गाजियाबाद से निकट होने के कारण उसके पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण में सुविधा रहेगी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक सहकारी समिति के सचिवों को राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग

* 8–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक सहकारी समितियों के सचिवों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, कब तक?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं।

प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के सचिवों की सेवाओं पर उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 122–क के अधीन शासन द्वारा बनायी गयी, "उ० प्र० प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा नियमावली 1976" लागू होती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

मोदी उद्योग समूह जनपद गाजियाबाद पर बकाया विद्युत राजस्व की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही

* 9–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् का नवम्बर, 93 तक मोदी उद्योग समूह मोदी नगर, जनपद गाजियाबाद पर कितना रुपया विद्युत बकाया है? क्या सरकार उक्त विद्युत राजस्व की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मोदी उद्योग समूह जिला गाजियाबाद पर नवम्बर, 93 तक राजस्व विद्युत परिषद् के विद्युत राजस्व का रु० 19 करोड़ 07 लाख बकाया था जिसमें से 4 रु० करोड़ 22 लाख की धनराशि पर विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेश हैं।

जी हां, उपरोक्त बकाये में से 4.22 रु० करोड़ की धनराशि की वसूली पर न्यायालयों के स्थगनादेश है। इस धनराशि की वसूली के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मथुरा में विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास निगम की योजनाओं द्वारा निर्मित आवासों में आरक्षित कोटा

* 10–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास निगम द्वारा जनपद मथुरा में अपनी योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कोटा आवास आदि में विधिवत् दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि

अनुसूचित जाति को आवंटित आवासों में अन्य लोग काबिज हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या बेदखली हेतु कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हाँ।

ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्डों मे बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की मांग

* 11–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी बडमा फुटगढ़, तथा पूर्वी बांगद, जिला टिहरी गढ़वाल में जहां तीस हजार जनता रहती है क्या वहां कोई बैंक शाखा आज तक खोली गयी है? यदि नहीं, तो वहां की जनता की बैंकिंग सुविधा कैसे दी जाती है? क्या तिमली बडमा में जिला सहकारी बैंक टिहरी गढ़वाल की शाखा खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक यह शाखा खोल दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं।

सहकारी क्षेत्र में जिला सहकारी बैंक टिहरी गढ़वाल की शाखा मयाली तथा साधन सहकारी समिति लिमिटेड, बक्सीर मिनी बैंक द्वारा बैंकिंग सुविधायें प्रदान की जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय नीति के अनुसार जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में एक शाखा खोलना अनिवार्य है। टिहरी जनपद के 10 विकास खण्डों में 21 शाखायें कार्यरत हैं जिसमें से 5 शाखायें हानि पर चल रही हैं। जनपद टिहरी के सिल्ली सिलगढ़ विकासखण्ड जखौली में एक नई शाखा खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसका परीक्षण क्षेत्रीय उप निबन्धक द्वारा कराया गया एवं पाया गया कि बैंक की उक्त प्रस्तावित शाखा स्वाश्रयी नहीं हो सकती है। विकासखण्ड में हर जगह शाखा खोलना सम्भव नहीं है।

प्रदेश के शहरों में मलिन बस्तियों हेतु कल्याणकारी योजना बनाने की मांग

* 12–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरों में मलिन बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी बनाकार रहने वालों के कल्याणार्थ कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी? यदि हां, तो कब तक और उसकी रूपरेखा क्या होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

इस सम्बन्ध में कारगर कदम उठाने के लिए जिलाधिकारियों से सर्वेक्षण कराकर सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं जिसके प्राप्त होने के बाद उसका परीक्षण करके ही कोई निर्णय लेना सम्भव होगा।

इस सम्बन्ध में समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर सिटी बोर्ड के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारियों के बकाये वेतन के भुगतान की मांग

* 13–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि सिटी बोर्ड सीतापुर में विभिन्न श्रेणियों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों जिनमे सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं, को विगत कई माह से वेतन नहीं प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कितने माह का वेतन बकाया है? सरकार द्वारा अनुदान देकर बकाया वेतन का भुगतान कब करा दिया जायेगा?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां।

केवल दिनांक 11–10–89 के पूर्व कार्यरत उन दैनिक वेतन भोगी 169 कर्मचारी जो शासनादेश संख्या–1076/9–1–92–95 सा/91 दिनांक 3–2–92 द्वारा नियमित किए गये हैं, का वेतन बकाया है।

14 माह का।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान का दायित्व संबंधित निकाय का है। शासन द्वारा वेतन पर देय अंशदान के रूप में 12.00 रु० लाख के स्थान पर नगर पालिका, सीतापुर को वित्तीय वर्ष 1993–94 में 14.60 रु० लाख आवंटित किए गए हैं।

शेष वेतन का भुगतान निकाय अपने संसाधनों से करे क्योंकि भुगतान की जिम्मेदारी उन्हीं की है।

जनपद शाहजहांपुर के कस्बा खुटार में पेयजल व्यवस्था पूर्ण करने की मांग

* 14–श्री चेतराम–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा खुटार, जनपद शाहजहांपुर में विगत 7 वर्षों से खुटार में पेयजल व्यवस्था हेतु टंकी आदि लगाये जाने का कार्य शुरु किया गया था? यदि हां, तो इतने वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी कार्य अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं? क्या सरकार कस्बा खुटार में पेयजल व्यवस्था शुरू कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं।

कस्बा खुटार जनपद शाहजहांपुर में पेयजल व्यवस्था की योजना जनवरी, 1990 में प्रारम्भ की गई थी।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

धन की उपलब्धता के आधार पर योजना को पूर्ण कराया जायेगा?

* 15–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

[दि० 30–4–94 को ता० प्र० सं० –20 द्वारा उत्तरित]

* 16–श्री हरक सिंह रावत–

[6 ठे बुध में ता० प्र० सं०-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के कतिपय जनपदों में सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत माफ किये गये ऋण की वसूली न करने की सूचना

* 17–श्री हरीश कुमार गंगवार–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1989–90 की उ० प्र० सरकार ने दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ करने का निर्णय लिया था? यदि हां, तो क्या बैंकों ने प्रदेश में कर्जदारों को माफी की सूचना देने के बाद फिर उनसे ऋण की वसूली पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से प्रारम्भ कर दी है ? यदि हां, तो सरकार ने इस वसूली को रोकने व ऋण माफ करने के संबंध मे क्या कार्यवाही की है?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी नहीं, दस हजार रुपये तक के ऋण माफ करने का निर्णय वर्ष 1990–91 में लिया गया था।

सहकारिता क्षेत्र में 55 जनपदों से माफ किए गए ऋण की वसूली न किये जाने की पुष्टि की सूचना प्राप्त हो चुकी है। शेष जनपदों से सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित इन्दिरा नगर कालोनी के सी० ब्लाक में पटरी सब्जी दुकानदारों को स्थान दिलाने की मांग

* 18–श्री राम करन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि इन्दिरानगर, लखनऊ के सी० ब्लाक तथा अन्य समीपवर्ती स्थानों के सैकड़ों पटरी दुकानदारों को सेंट डामिनिक स्कूल के पास आवासीय क्षेत्रों में लोगों के घरों के सामने दुकानों हेतु स्थान आवंटित किया गया है? यदि हां, तो क्या इन निर्बल वर्ग के दुकानदारों को सुविधा देने हेतु उमराव मार्केट, फैजाबाद रोड के पीछे खाली पड़े, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् के एक विशाल भूखंड में इन दुकानदारों/सब्जी वालों को दुकान लगाने हेतु स्थान दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

परिषद् द्वारा पटरी दुकानदारों को आवासीय भवनों के सामने दुकानों हेतु कोई स्थान आवंटित नहीं किया गया है। सेन्ट डामनिक स्कूल के पास आवासीय क्षेत्रों में लोगों के घरों के

सामने ऐसा कोई स्थान आवंटित नहीं किया गया है। सेन्ट डामनिक के सामने इन्दिरा नगर योजना में व्यावसायिक प्रयोग हेतु आरक्षित भू-भाग पर पटरी दुकानदारों हेतु चबूतरे पूर्व में आवंटित किये जा चुके हैं। उपरोक्त व्यावसायिक क्षेत्र में पटरी दुकानदारों हेतु निर्मित चूबतरों में से अभी भी रिक्त चबूतरे उपलब्ध हैं । जिसमें से इच्छुक आवेदक औपचारिकतायें पूर्ण कर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) व (ग) उमराव मार्केट के पीछे खाली पड़े भूखण्डों पर पटरी दुकानदारों को दुकान हेतु भूमि दिये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

आगरा जल संस्थान में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

* 19–श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जल संस्थान में दैनिक वेतन पर कितने कर्मचारी 3 वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत हैं। क्या शासन स्तर से उनके नियमितीकरण हेतु अब तक कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी? यदि कार्यवाही नहीं की गयी है, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जल संस्थान, आगरा में 3 वर्ष से अधिक अवधि के 86 कर्मचारी दैनिक वेतन पर विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं।

पद उपलब्ध होने पर नियमितीकरण की कार्यवाही आगरा जल संस्थान द्वारा करना सम्भव होगा, जो इनके नियुक्ति प्राधिकारी हैं।

अतारांकित प्रश्न

जनपद वाराणसी मे पोस्ट-बसनी के ग्राम-दल्लूपुर में विद्युतीकरण की मांग

1–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि श्री जे० सी० अरोड़ा, उप खंड अधिकारी, विद्युत विभाग, वाराणसी ने श्री डी० एन० सिंह, अवर अभियन्ता, विद्युत को अपने पत्रांक 690/वी० आई० पी०, दिनांक 22–6–90 के द्वारा सूचित किया है कि गांव दल्लूपुर, बसनी, पोस्ट-बसनी, वाराणसी में विद्युतीकरण की कार्यवाही करें? क्या इस संबंध में तत्कालीन विधायक श्री राजकिशोर को भी उक्त पत्र की प्रतिलिपि दिनांक 22–6–90 के द्वारा भेजी गयी थी? यदि हाँ, तो अब तक उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? क्या इस संबंध में श्री रामलखन, श्री राम खेलावन, श्री जाकिर हुसैन वगैरह 11 व्यक्तियों ने जुलाई, 1992 में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम बाराबंकी को प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो अब तक सर्वे करके पंखा व बत्ती का इस्टीमेट बनाकर कनेक्शन न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही इस कारण नहीं की जा सकी कि ग्राम दल्लूपुर स्वतंत्र ग्राम न होकर ग्राम बसनी का एक पुरवा है।

जी हां।

पुरवों के कनेक्शन हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण कार्य किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के निवारण की मांग

2—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों/समयबद्ध वेतनमानों की विसंगतियों एवं लागू वेतनमानों में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप उत्पन्न विसंगतियों के निवारण हेतु एक "उच्च स्तरीय समिति" का गठन विद्युत परिषद् द्वारा मार्च, 92 में किया गया था? यदि हां, तो उक्त समिति की विसंगतियों के संबंध में कितने प्रत्यावेदन/प्रकरण प्राप्त हुए तथा इनमें इंगित विसंगतियों के विवरण क्या हैं? समिति ने किन-किन विसंगतियों पर अपनी संस्तुतियां विद्युत परिषद् को प्रस्तुत कर दी गयी हैं तथा शेष पर किस तिथि तक संस्तुतियां परिषद् को प्रस्तुत कर दी जायेंगी? क्या समिति की संस्तुतियों को सरकार सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी? क्या यह भी बतायेंगे कि समिति की संस्तुतियों पर विद्युत परिषद् द्वारा क्या निर्णय लिया गया है? वर्तमान सरकार विद्युत कर्मियों के वेतन विसंगतियों के निवारण हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

उक्त समिति के समक्ष कथित विसंगतियों के सम्बन्ध में लगभग सभी कर्मचारी संघों द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये थे, जिनमें दिनांक 1-4-84 से पुनरीक्षित वेतनमानों एवं समयबद्ध वेतनमानों में कथित विसंगतियों का उल्लेख किया गया है।

उच्च स्तरीय समिति द्वारा अब तक प्रदान की गई संस्तुतियों की विषय सूची संलग्न है।

उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल दिनांक 30-4-94 तक है। उक्त तिथि तक शेष प्रकरणों पर समिति की संस्तुतियां सम्भावित हैं।

उच्च स्तरीय समिति की निम्नलिखित प्रकरणों पर प्राप्त हुई संस्तुतियों पर परिषद् द्वारा विचारोपरान्त परिषदादेश निर्गत कर दिए गये हैं :—

1— स्टेनोग्राफर से सम्बन्धित प्रत्यावेदन।

2— एक ही पद पर 4 अथवा 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 1-4-84 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में क्रमशः 1 व 2 प्रकल्पित वेतन वृद्धि की स्वीकृति। उपरोक्तानुसार।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 160 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन यांत्रिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतन के सम्बंध में जानकारी

3—श्री रवीन्द्र प्रताप पल्ल—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन यांत्रिक कर्मचारी वर्ग के पदों (जिनका 1-4-84 से पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 1200-1800 है पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों को विद्युत परिषद् द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय समयबद्ध वेतनमान के रूप में क्रमशः वेतनमान रुपये 1350-2160, 1650-2690 व 1850-2990 अनुमन्य किये गये हैं? यदि हां, तो क्या जिन कार्मिकों को 1-4-84 के पूर्व समयबद्ध वेतनमान रु० 530-810 प्राप्त हो चुका है, उन्हें 1-4-84 से वेतनमान रु० 1350-2160 देने के आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो यांत्रिक कर्मचारी वर्ग के जिन कार्मिकों को 1-4-84 के पूर्व द्वितीय समयबद्ध वेतनमान 610-955 प्राप्त हो चुका है, उन्हें 1-4-84 से कौन सा वेतनमान अनुमन्य है? क्या ऐसे कार्मिकों को 1-4-84 से वेतनमान रुपये 1650-2690 दिये जाने हेतु विद्युत परिषद् द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

उन्हें दिनांक 1-4-84 से उक्त वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान (रु० 1350-2160) ही अनुमन्य है।

इस प्रकार का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

4—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को 9, 16, 21 वर्षों की सेवा पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय समयबद्ध वेतनमान परिषदाज्ञा संख्या-489-पी/रा० वि० प० दिनांक 25-2-89 द्वारा अनुमन्य किये गये हैं? यदि हां, तो सीधी भर्ती से टेक्नीशियन ग्रेड-प्रथम, आपरेटर ग्रेड-प्रथम, फिटर ग्रेड प्रथम व इन्स्ट्रूमेंट मैकेनिक ग्रेड-प्रथम पदों (जिनका दिनांक 1-4-84 से पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 1350-2160 है) पर नियुक्त कार्मिकों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय समयबद्ध वेतनमान के रूप में कौन-कौन से वेतनमान अनुमन्य/देय हैं? क्या इस संबंध में कोई स्पष्ट आदेश विद्युत परिषद् द्वारा जारी किया गया है? यदि हां, तो वह क्या हैं? यदि नहीं, तो किस तिथि तक स्पष्ट आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

जिन कार्मिकों को सीधी भर्ती श्रेणी-1 के पद पर हुई है और जिन्हें दिनांक 1-4-84 से रुपये 1350-2160 पुनरीक्षित वेतनमान प्रदत्त किया गया है, उन कार्मिकों को प्रथम/द्वितीय/तृतीय

समयबद्ध वेतनमान के रूप में अगला उच्च वेतनमान अनुमन्य होगा, जो क्रमशः रुपये 1650-2690, रुपये 1850-2930 एवं रुपये 1800-3150 का है।

जी हाँ। समयबद्ध वेतनमान को अनुमन्यता से सम्बन्धित परिषदादेश है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन विसंगति का प्रकरण

5— श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों में दिनांक 1-4-75 को चतुर्थ श्रेणी के पदों यथा-चपरासी, चौकीदार, श्रमिक आदि को दिनांक 1-4-84 को प्रथम समयबद्ध वेतनमान रुपये 1000-1360 अनुमन्य किये जाने पर किस वेतनमान में रु० 1060 के स्तर पर वेतन निर्धारित होता है? क्या उक्त पदों पर 1-4-69 से 1-4-75 के मध्य नियुक्त कर्मचारियों का दिनांक 1-4-84 को वेतनमान रुपये 1000-1360 में वेतन स्तर रुपये 1020 या अधिकतम रुपये 1040 पर ही निर्धारित होता है? क्या सरकार/परिषद् ऐसे कर्मचारियों का भी वेतन 1-4-84 से वेतन स्तर रुपये 1060 पर निर्धारित करने के आदेश जारी करेगी, जिससे कि दीर्घ सेवा अवधि के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व अपेक्षाकृत कम सेवा अवधि से कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में अन्तर समाप्त हो सके? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वेतनमान रु० 1000-20-1080-25-1180-30-1360.

जी हाँ।

ऐसा कोई प्रकरण परिषद् में विचाराधीन नहीं है।

ऐसे कार्मिकों जिन्हें दिनांक 1-4-84 से पुनरीक्षित वेतनमान रु० 1000-1360 प्रदान किया गया है और जिनका वेतन रु० 1020/- एवं रु० 1040/- के स्तर निर्धारित करने हेतु आदेश निर्गत किए गये हैं, इन कार्मिकों के वेतन में कथित विसंगति के निवारण का प्रकरण शासन की सहमति से गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचारित किया जा चुका है। समिति ने इन कार्मिकों, के वेतन निर्धारण में कोई विसंगति नहीं पायी है।

जनपद गोरखपुर में विद्युत शवदाह गृह निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग की जानकारी

6—श्री शिव प्रताप शुक्ल—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में नगर महापालिका को विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के लिये शासन द्वारा कितना रुपया प्रथम किस्त के रूप में दिया गया है? क्या उक्त दिये गये धन का उपयोग हो गया है? यदि हां, तो कार्य की प्रगति क्या है? लम्बित कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री रमा शंकर कौशिक–

शासन द्वारा विद्युत शवदाह गृह निर्माण हेतु रु० 33.85 लाख स्वीकृत किया गया है जिसमें से रु० 21.21 लाख का उपयोग हो चुका है। अवशेष धनराशि से कार्य कराने हेतु कार्यवाही चल रही है।

इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर निःशुल्क शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

7—श्री मोहर सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि परिवहन निगम में शत प्रतिशत बसों की मार्गों पर यात्रा हेतु वर्कशापों से निकासी के समय आन्तरिक सफाई-धुलाई होती है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शत प्रतिशत बसों में जूट/फोम की सीट व बैक रेस्ट लगे हैं? यदि नहीं, तो कब तक लगाये जायेंगे? क्या सभी बस स्टेशनों पर बसों/यात्रियों के अनुपात में निःशुल्क शौचालय उपलब्ध हैं? क्या उनकी लगातार सफाई की नियमित व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी बतायेंगे कि मार्ग से गुजरने वाली सभी बसें इन बस स्टेशनों के अन्दर सवारियां उतारने व चढ़ाने हेतु जाती हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

निगम के 241 निर्मित बस स्टेशनों में से 202 बस स्टेशनों पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। निगम के जिन शौचालयों की सफाई हेतु नियमित कर्मचारी तैनात हैं वहां यात्रियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता किन्तु ठेके पर सफाई वाले शौचालयों एवं सुलभ शौचालयों में यात्रियों से सर्विस चार्जेज लिए जाते हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

निगम द्वारा अपनी सामान्य सेवाओं के साथ-साथ विशेष सेवाएं जैसे डीलक्स, सेमी-डीलक्स, व एक्सप्रेस सेवाएं भी चलाई जाती हैं। यदि बस सेवा का स्टापेज निर्धारित है तो बस स्टेशन के अन्दर बसें सवारियां उतारने-चढ़ाने हेतु जाती हैं। कुछ बस स्टेशनों को जोड़ने वाले मार्गों पर अत्यधिक भीड़ अथवा अनधिकृत कब्जों के कारण यदि बस स्टेशन तक जाना सम्भव नहीं होता तो बसें निकटतम मुख्य मार्ग पर ही रुककर सवारियां उतारती-बैठाती हैं।

प्रदेश के मार्गों पर बसों/ट्रिपो का नियमित संचालन एवं चालकों हेतु विश्राम गृह की व्यवस्था की मांग

8—श्री मोहर सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण व अल्प दूरी के सभी मार्गों पर निर्धारित समय सारिणी के अनुसार शत प्रतिशत बसों/ट्रिप्स का संचालन नियमित रूप से होता है? यदि नहीं, तो यह व्यवस्था कब तक लागू कर ली जायेगी? क्या अल्प दूरी में ग्रामीण मार्गों के सभी बस चालकों के पास रास्ते में होने वाली छोटी खराबियों को स्थल पर ही तत्काल ठीक करने के लिये टूल्स उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो कब तक उन्हें टूल्स उपलब्ध करा दिये जायेंगे? क्या यह भी बतायेंगे कि 400 कि०मी० से अधिक यात्रा करके आने वाले चालकों/परिचालकों के समुचित विश्राम हेतु सभी बस स्टेशनों पर विश्राम कक्ष की सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आर० के० चौधरी–

प्रदेश में परिवहन निगम की सभी ग्रामीण एवं अल्प दूरी के मार्गों पर समय सारिणी के अनुसार ही शत प्रतिशत बसों/ट्रिपों का संचालन नियमित रूप से कराने की व्यवस्था है। बसों एवं ट्रिपों के नियमित संचालन के संबंध में विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण की कार्यवाही भी की जाती है।

अल्प दूरी व अधिकांश ग्रामीण मार्गों पर चलने वाली बसों में टूल्स उपलब्ध कराये गये हैं। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बसों में टूल्स उपलब्ध नहीं रहते हैं तो छोटी-मोटी खराबियों को मार्ग पर ही चालक/परिचालक द्वारा स्थानीय बाजार से ठीक करा लिया जाता है।

परिवहन निगम के मुख्य डिपो/बस स्टेशनों पर चालक/परिचालकों के लिए विश्रामगृहों की व्यवस्था उपलब्ध है।

9–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज तापीय परियोजना कासिमपुर जनपद अलीगढ़ के भूमि विस्थापितों के सेवायोजन प्रदान करने में दोषी उपसचिव श्री हरसिंह बहादुर सिंह की बहाली

10—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज तापीय परियोजना, कासिमपुर, अलीगढ़ के भूमि विस्थापितों को विभिन्न परिषदीय कार्यालयों के अन्तर्गत सेवायोजन प्रदान करने में अनियमितता बरती गयी थी? यदि हाँ, तो किस प्रकार की अनियमितातयें थीं? जांच आख्या के आधार पर किसको-किसको दोषी पाया गया? उक्त प्रकरण की किस अधिकारी द्वारा जांच की गयी है तथा जांच रिपोर्ट क्या है? क्या यह सत्य है कि उनमें

से कई दोषी अधिकारियों को दिनांक 10-9-92 को बहाल कर दिया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से तथा किस अधिकारी के आदेश से?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हाँ। हरदुआगंज तापीय परियोजना, अलीगढ़ के विस्थापितों को सेवायोजन प्रदान करने में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं परिषदीय नियमों की अवहेलना जैसी अनियमिततायें थीं। जाँच आख्या के आधार पर केवल श्री हरसिंह बहादुर सिंह, उपसचिव को दोषी पाया गया।

उपरोक्त प्रकरण की जाँच परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा करायी गयी। सतर्कता जांच आख्या के अनुसार श्री सिंह ने लैन्ड आउस्टीज की नियुक्ति के संबंध में बिना रिक्तियों की जानकारी किये व बिना उच्चाधिकारियों की अनुमति/अनुमोदन प्राप्त किये स्वयं अपने स्तर से कार्यवाही की।

श्री हरसिंह बहादुर सिंह को दिनांक 10-9-92 को बहाल कर दिया गया। तत्पश्चात् जाँच पूर्ण होने पर श्री सिंह को दण्डित किया जा चुका है।

श्री सिंह को निम्नलिखित आधार पर बहाल किया गया:--

(1) चूँकि मूल अभिलेख साक्ष्य सतर्कता के पास थे उन्हें श्री सिंह द्वारा प्रभावित किये जाने की सम्भावना नहीं थी।

(2) सतर्कता जाँच आख्या के प्रकाश में पायी गयी अनियमितताओं एवं निष्कर्षों में कदाशयता का तत्व नहीं पाया गया।

(3) श्री सिंह को निलम्बित हुए छः मास से अधिक का समय हो गया था।

श्री सिंह को तत्कालीन अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद् के आदेश से बहाल किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना सोनभद्र के तापगृहों में विद्युत परिषद् तथा एन०सी०एल० के मध्य समझौता की जानकारी

11— श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना, सोनभद्र के तापगृह "अ" एवं "ब" में विद्युत परिषद् तथा एन०सी०एल० के बीच हुए समझौते के पालन न करने एवं त्रुटिपूर्ण कार्य कराने से हुए राजस्व की हानि सम्बन्धी पत्र जो प्रमुख सचिव, ऊर्जा एवं अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, दिनांक 15-1-93 श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, विधायक, विधान परिषद् का प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

इस पत्र में निहित बिन्दुओं पर गंभीरता से छान-बीन की गई तथा स्थिति निम्न प्रकार है :–

आनपारा "अ" तापीय परियोजना के लिये कोयले की आपूर्ति लिंक कोल खंदान ककरी से प्रस्तावित था और साइलो सिस्टम के द्वारा एम० जी० आर० वैगनों में कोयला लोड करना था। इस साइलो सिस्टम का निर्माण आनपारा "अ" की प्रथम इकाई के चालू होने के वर्ष 85-86 तक बन जाना था लेकिन इसका निर्माण एन० सी० एल० द्वारा अभी तक नहीं पूर्ण किया गया है और उन्होंने इसका निर्माण दिसम्बर 94 तक होने का अनुमान दिया है। इसका निर्माण पूरा न होने का कारण इस समय आनपारा "अ" एवं "ब" तापीय परियोजना को एन० सी० एल० से कोयला लिंक कोल माइन ककरी खड़िया से मिलता है तथा कोयले की कमी की पूर्ति बीना कोल माइन से की जाती है।

साइलो सिस्टम का निर्माण एन० सी० एल० द्वारा पूर्ण होने पर ही उनके द्वारा प्रति टन कोयले की ढुलाई की दर निश्चित की जायेगी। अतः इस समय यह कहना कि परिषद् को राजस्व हानि हो रही है, उचित नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना सोनभद्र में कोयला से पत्थर की छटनी का ठेका देने विषयक जानकारी

12— श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना, सोनभद्र में कोयले से छांटे गये पत्थरों का उपयोग कोयला तौलने का संयंत्र लगाने एवं कोयले में पत्थर की छटनी के ठेका देने विषयक श्री राजनाथ सिंह, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 12-2-93 एवं 17-2-93 जो कि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी तथा संलग्न पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार स्थिति क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद रामपुर में टाउन एरिया शाहबाद को नगर पालिका घोषित करने की मांग

13— स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में तहसील स्तर पर मात्र एक टाउन एरिया शाहबाद को अभी तक उच्चीकृत कर चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि वर्ष 1986 में पारित शासनादेशानुसार सभी तहसील स्तर की टाउन एरियाओं को उच्चीकृत करके चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करने का प्राविधान किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेशानुसार टाउन एरिया शाहबाद को उच्चीकृत करके चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रश्नगत स्थानीय निकाय उच्चीकरण हेतु पात्र नहीं है।

जी हां, परन्तु यह स्थानीय निकाय शासनादेश में प्राविधानित शर्तें पूरी नहीं करता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की टाउन एरिया शाहबाद में अम्बेडकर पार्क के निर्माण हेतु प्रस्ताव

14— स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद रामपुर की टाउन एरिया शाहबाद में अध्यक्ष, टाउन एरिया, शाहबाद द्वारा गाटा संख्या–1259 मि०, रकबा 0.10 हेक्टेयर भूमि को अम्बेडकर पार्क निर्माण हेतु पारित प्रस्ताव के आधार पर, अभी तक शासन द्वारा भूमि आवंटित नहीं हो सकी है? क्या सरकार संविधान निर्माता डा० भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों एवं स्मरण में अम्बेडकर पार्क के निर्माण हेतु उपरोक्त भूमि अम्बेडकर पार्क के ही नाम से आवंटित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

टाउन एरिया शाहबाद द्वारा इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर रोडवेज बस स्टेशन के शिकायत रजिस्टर में दर्ज शिकायत की जानकारी

15— श्री तेजभान सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 17-9-92 की तिथि में सुल्तानपुर रोडवेज बस स्टेशन के शिकायत रजिस्टर में दर्ज प्रश्नकर्ता की कोई शिकायत मिली है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा उस संबंध में की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है? यदि कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों?

श्री आर०के० चौधरी–

जी हां।

सुल्तानपुर-दुर्गापुर-भादर-अमेठी-कानपुर की 6.30 बजे की बस सेवा को उक्त मार्ग के बजाय चालक/परिचालक द्वारा सुल्तानपुर से सीधे कानपुर ले जाने के विषय में शिकायत अंकित

की गई है। परिवाद में शिकायत पुस्तिका उपलब्ध कराने में विलम्ब का भी उल्लेख किया गया है।

शिकायत प्राप्त होने पर स्टेशन अधीक्षक ने सुल्तानपुर-भादर-अमेठी-कानपुर मार्ग पर 8.00 बजे दूसरी बस भेजने की व्यवस्था कर दी थी। मनमानी बरतने वाले चालक श्री मो० शफीक और परिचालक श्री शिवपूजन लाल की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गई है।

जनपद हमीरपुर के महोबा शहर में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था

16— श्री अरिमर्दन सिंह तथा श्री रामआसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आल्हा-ऊदल की ऐतिहासिक धरती महोबा, हमीरपुर में विद्युत आपूर्ति की क्या व्यवस्था की गयी है? क्या लगभग 80 हजार आबादी वाले इस शहर के लिये यह व्यवस्था पर्याप्त है? यदि नहीं, तो पर्याप्त व्यवस्था के लिये किन-किन उपायों पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

महोबा शहर में वर्तमान में एक 2 एम०बी०ए० 66/11 के० बी० तथा एक 3 एम०बी०ए० 33/11 के०बी० ट्रांसफारमर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। 2 एम०बी०ए० 66/11 के० बी० ट्रान्सफारमर से केवल शहर को तथा 3 एम०बी०ए० 33/11 के०बी० ट्रांसफारमर से नगर तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति की जाती है। यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिये 66/11 के०बी० 2 एम०बी०ए० के स्थान पर बांदा जनपद से खाली हो रहे 66/11 के० बी० 5 एम० बी० ए० के ट्रांसफारमर लगाने की आवश्यकता है। यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद हमीरपुर के महोबा शहर में पेयजल व्यवस्था

17— श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर के महोबा शहर की आबादी को देखते हुए पेयजल आपूर्ति की क्या व्यवस्था है? क्या शासन को जानकारी है कि आल्हा-ऊदल की इस धरती पर लोग गन्दे तालाबों का पानी पीने को विवश हैं? यदि हां, तो क्या जल को इस प्रदूषण से मुक्त करने के उपायों पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जनपद हमीरपुर के महोबा शहर की जलापूर्ति मुख्य रूप से मदन सागर जलाशय, दो खुले कुएं, दो नलकूपों तथा 104 हैण्ड पम्पों के माध्यम से की जा रही है।

ऐसी कोई सूचना शासन के संज्ञान में नहीं है। मदन सागर के जल को संशोधन संयंत्र से साफ करके जलापूर्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर नगर में संशोधित सीवेज योजना को पूरा करने की मांग

18— श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर सहारनपुर में सीवेज योजना से संबंधित कोई मानचित्र 1966 में तैयार किया गया था? यदि हां, तो इस योजना पर कितना प्रतिशत कार्य किया गया? अन्तिम बार धनराशि किस वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी थी? उक्त योजना पर शेष कार्य हेतु इस वित्तीय वर्ष में कितनी अग्रिम धनराशि आवंटित की जायेगी? शेष कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं।

योजना वर्ष 1961-62 में बनाई गई थी, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 1965-66 में प्राप्त हुई थी।

75 प्रतिशत।

वर्ष 1973-74 में।

संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

19— श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शहर सहारनपुर में सीवेज योजना के वर्ष 1986 में बने मानचित्र की कालोनियों के विस्तार को देखते हुए, समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है? यदि हां, तो इस संशोधित योजना पर वर्ष 1992-93 तक कितने प्रतिशत कार्य किया गया है? अन्तिम बार कितनी धनराशि, किस वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी थी, यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी बतायेंगे कि संशोधित योजना पर शेष कार्य हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में कितनी अग्रिम धनराशि आवंटित की जायेगी? शेष कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? यदि नहीं, तो सीवेज मानचित्र को नगर में कालोनियों के विस्तार को देखते हुए कब तक संशोधित किया जायेगा उक्त संशोधित योजना हेतु धनराशि किस वित्तीय वर्ष में आवंटित होगी?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं।

वर्ष 1986 में विरचित योजना पर 13 प्रतिशत कार्य हुआ है।

रुपये 4,88 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 1990-91 में आवंटित की गई थी।

संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगरों में संशोधित सीवेज योजना लागू करने की मांग

20— श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नगरों में कालोनियों के विस्तार को देखते हुए सीवेज योजना के मानचित्र को समय-समय पर संशोधन की क्या नीति है? क्या उक्त नीति का पालन नगर सहारनपुर के सीवेज योजना मानचित्र को समय-समय पर संशोधन के संबंध में लागू किया जाता रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सहारनपुर में विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव

21— श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगर सहारनपुर में विकास प्राधिकरण का कार्य धनाभाव के कारण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 62 (1) के तहत दिनांक 31-3-1993 तक वसूली गयी आवास शुल्क की धनराशि विकास प्राधिकरण हेतु उपलब्ध करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के पास पंजीकृत आवेदकों द्वारा जमा अग्रिम एवं अग्रिम पर ब्याज के रूप में जमा धनराशि विकास प्राधिकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी थी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो अन्य मद से विकास प्राधिकरण हेतु धनराशि कब तक उपलब्ध करायी जायेगी? नगर सहारनपुर के निमित्त स्वीकृत एवं प्रभावी मास्टर प्लान में चिन्हित जन सुविधाओं पर कार्य कब से आरम्भ हो जायेगा? क्या सीलिंग ऐक्ट (अरबन) के लागू होने के कारण उपलब्ध फालतू भूमि का उपयोग किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सहारनपुर में विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

जी हां। विकास प्राधिकरण गठित हो जाने पर ही गठन के दिनांक से प्राधिकरण को नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–39 (क) के अन्तर्गत नियम अनुपात में अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की अनुमन्य धनराशि का भुगतान प्राप्त हो सकेगा।

जी नहीं।

विकास प्राधिकरण गठित नहीं है अतः प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर में महायोजना दिनांक 29-9-87 से प्रभावी हो चुकी है जिसमें चिन्हित जनसुविधाओं पर कार्य भी आरम्भ हो गया है।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसी भूमि विकास कार्यों हेतु यथा स्थिति विकास प्राधिकरण परिषद् को उपलब्ध करायी जाती है। सहारनपुर में विकास प्राधिकरण के गठित हो जाने पर ऐसी सुविधा प्राधिकरण को अनुमन्य हो सकेगी।

जनपद सहारनपुर में सड़क निर्माण एवं मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

22— श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगरपालिका सहारनपुर को वर्ष 1993-94 के लिये सड़क निर्माण एवं मरम्मत हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है? उक्त धनराशि का कितना अंश ऐसे क्षेत्रों में व्यय किया गया है जहां बने भवनों के नक्शे स्वीकृत नहीं हैं? क्या यह सही है कि भवन स्वामियों से नियमानुसार डेवलपमेंट चार्ज अभी तक वसूला नहीं जा सका है? यदि हां, तो सड़क निर्माण एवं मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि (ग्रांट) को नगर के नियमित क्षेत्र में प्रयोग किया जाना सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? उक्त धनराशि (ग्रांट) को नगर के अनियमित क्षेत्र में प्रयोग के कारण शासन को हुई डेवलपमेंट चार्ज की हानि को रोके जाने के निमित्त दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है?

श्री रमा शंकर कौशिक–

नगरपालिका, सहारनपुर को वर्ष 1993-94 में 38.30 लाख रु० का सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया है।

उक्त धनराशि में से कमेला कालोनी निशात रोड तथा बृजेश नगर में क्रमशः 53,398 रु० एवं 48,623, रु० का व्यय नाली व खड़ंजा निर्माण पर किया गया। यहां के निवासीगण पालिका को गृहकर, जलकर का भुगतान करते हैं।

जी हां।

भवनों का मानचित्र स्वीकृत करना या विकास शुल्क वसूल करना नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र का कार्य है। जनहित में सड़कों का निर्माण कराना नगरपालिका का कार्य क्षेत्र है। अतः नगरपालिका ने जनहित में कार्य कराया है। ऐसी दशा में केवल विनियमित क्षेत्र में सरकार द्वारा स्वीकृत सड़क अनुदान की धनराशि के प्रयोग करने हेतु कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की नगर महापालिका द्वारा कराये गये कार्यों में नियमों के पालन की मांग

23— श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महापालिका क्षेत्र में विकास का कार्य कराने के लिये कितने रुपये से ऊपर के कार्य के लिये टेंडर आमंत्रित किया जाता है? क्या

गोरखपुर नगर महापालिका में विकास कार्य के लिये कराये गये कार्यों में शासन द्वारा मान्य उक्त मानक का अनुपालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यद्रि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

नगर महापालिका नियम के अन्तर्गत 10,000/- रु० से अधिक के विकास कार्य के लिये सामान्यतः निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं।

जी हां। महापालिका, गोरखपुर द्वारा नियमों का पालन करते हुए विकास कार्य किये जा रहे हैं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की नगर महापालिका द्वारा विस्थापितों हेतु दुकानों का निर्माण

24— श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगरमहापालिका ने नगर में सड़कों के किनारे वर्ष 1992-93 व 1993-94 में दुकानों का निर्माण कराया है? क्या उन दुकानों का नक्शा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है? यदि नहीं, तो क्या ऐसे अधिकारी, जिन्होंने बिना नक्शा स्वीकृत कराये निर्माण कार्य शुरू कराया है, के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां।

जी नहीं।

उक्त निर्माण नगर महापालिका अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत जनहित में सड़क की पटरियों पर काफी पुराने अतिक्रमण को हटाते हुए एवं मार्ग को चौड़ा करने के उद्देश्य से एवं विस्थापितों के लिए ही कराये गये हैं। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गोरखपुर में बौद्ध पर्यटक बिहार योजना को पूरा करने की मांग

25— श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में बुद्ध बिहार परियोजना सरकार ने स्वीकृत की है? यदि हां, तो उस पर अब तक कितना धन स्वीकृत होकर दे दिया है? इस योजना को कब तक पूरा कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गोरखपुर में बुद्ध बिहार परियोजना नाम की कोई योजना शासन द्वारा स्वीकृत नहीं की गयी है किन्तु वर्तमान में रामगढ़ ताल परियोजना (बौद्ध पर्यटक बिहार) नाम से एक योजना चलायी जा रही है जिसमें प्रारम्भिक अवस्था में 13 विभागों की 35 योजनायें सम्मिलित हैं।

इस योजना की कुल लागत 82.30 करोड़ रुपये है जिसके विपरीत अभी तक कुल 20.82 करोड़ रुपये की धनराशि विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी है।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर यह निर्भर होगा।

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र औराई के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण

26— श्री रंगनाथ–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 246–औराई, विधान सभा क्षेत्र, वाराणसी में कितने गांवों का विद्युतीकरण हो गया है? क्या सरकार ने गांवों के विद्युतीकरण की योजना बनायी है? यदि हां, तो कौन सी? क्या प्रदेश में विद्युतीकरण के पिछले सालों का लक्ष्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा उसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव–

246–औराई, विधान सभा क्षेत्र, वाराणसी में 503 ग्रामों का विद्युतीकरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण परिभाषा द्वारा तथा इनमें से 186 ग्रामों का विद्युतीकरण एल०टी० मेन्स द्वारा किया गया है।

प्रदेश की प्रत्येक वार्षिक योजना में ग्रामों के विद्युतीकरण का प्राविधान किया जाता है।

पिछले दो वित्तीय वर्षों में प्रदेश में ग्रामों के विद्युतीकरण के लक्ष्य पूर्ण नहीं किये जा सके स्वीकृत परिव्यय के अनुरूप वित्तीय संसाधन न उपलब्ध होने के कारण लक्ष्य पूर्ण नहीं किये जा सके। भविष्य में ग्रामीण ऊर्जीकरण के लक्ष्य का पूर्ण होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद गाजियाबाद में बाल्मीकि कुंज में निर्मित भवनों की कीमत निर्धारित करने हेतु दायर अपील की जानकारी

27— श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बाल्मीकि कुंज आवासीय योजना कोड सं० 530 निर्बल आय वर्ग के लिये मात्र 29,000/- रु० में भवन उपलब्ध कराने की घोषणा की थी? यदि हां, तो क्या उक्त योजना में निर्मित भवनों की कीमत में 92 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी है? यदि हां, तो क्या उक्त योजना वित्तीय संस्थाओं/शासन द्वारा निर्बल वर्ग के लिये आवास उपलब्ध कराने की योजना में पोषित नहीं है? क्या उक्त योजना के लाभार्थी आवेदकों ने जिला उपभोक्ता फोरम में भी वाद दायर किया था? यदि हां, तो क्या शासन उपभोक्ता फोरम के कीमतों के संबंध में निर्णय को लागू करायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां। यह वृद्धि सभी भवनों के लिये नहीं है वरन् भवनों की स्थिति के अनुसार 81.25% से 92% तक की यह वृद्धि हुडको द्वारा दिये गये ऋण के ब्याज में हुई वृद्धि तथा भवनों के भूमि के क्षेत्रफल व स्थिति के अनुसार की गयी है।

हुडको द्वारा आंशिक पोषित तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आंशिक पोषित है।

जी हां।

उपभोक्ता फोरम के निर्णय के विरुद्ध राज्य आयोग, लखनऊ में अपील की गयी है जिसके निर्णय के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

28—श्री राम आसरे वर्मा—

[6ठें बुध में अता० प्र० सं०—137 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई के प्रश्नगत मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा बसों का संचालन की मांग

29—श्री राम आसरे वर्मा, श्री मदन गोपाल वर्मा तथा श्री राकेश सचान—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में हरदोई से कुरसठ वाया माधोगंज तथा सन्डीला से मल्लावां तक रोडवेज बस सेवा उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आर० के चौधरी—

जी नहीं।

हरदोई से कानपुर जाने वाली परिवहन निगम की बसें माधोगंज होकर संचालित होती हैं? प्रश्न में उल्लिखित दोनों मार्ग अराष्ट्रीयकृत हैं। वर्तमान में शासन की नीति अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर नई बस सेवाओं का विस्तार करने की नहीं है। अतएव प्रश्नगत मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा बस संचालन प्रस्तावित नहीं है।

जनपद वाराणसी में ब्लाक-बड़ागांव के ग्राम कोदई निवासी श्री मिठाई लाल मौर्य को पम्पिंगसेट कनेक्शन देने की जानकारी

30—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवराज यादव, गांव रसुलहा व मिठाई लाल मौर्य, गांव कोदई व जंगलपुर कठिरांव, ब्लाक बड़ागांव तथा दो व्यक्तियों का चितईपुर नेहियां, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में पम्पिंग सेट के कनेक्शन हेतु पूरा इस्टीमेट का रुपया विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, वाराणसी विद्युत विभाग में जमा कर दिया गया है? यदि हां, तो इन पांचों व्यक्तियों को अब तक पम्पिंगसेट का कनेक्शन न देने का कारण क्या है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और तुरन्त कनेक्शन देने की आज्ञा देकर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। केवल श्री मिठाई लाल मौर्य ग्राम कोदई ब्लाक बड़ागांव ने नियमानुसार स्टीमेट का पैसा जमा करके दिनांक 11.10.1993 को अनुबन्ध कर लिया है। श्री देवराज यादव ग्राम रसूलहा का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री मिठाई लाल मौर्य वरीयता क्रम के अनुसार अभी कनेक्शन दिये जाने के पात्र नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर में यमुना नदी की तलहटी स्थित ग्रामों में विद्युतीकरण की मांग

31—श्री राकेश सचान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर में यमुना नदी की तलहटी में स्थित ग्रामों/मजरों के विद्युतीकरण हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में कितने ग्रामों में विद्युत वितरण की व्यवस्था कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्या शासन जनहित को ध्यान में रखते हुए यमुना की तलहटी के ग्रामों का सर्वेक्षण करवाकर उनके विद्युतीकरण हेतु समुचित व्यवस्था करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं। ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये वर्तमान नीति पर्याप्त है।

जनपद मुरादाबाद की नगर पालिका के पदच्युत अध्यक्ष के विरुद्ध जांच की मांग

32—श्री समरपाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद नगरपालिका, मुरादाबाद के अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता संबंधी जांच रिपोर्ट जिसमें अध्यक्ष को दोषी पाया गया है, शासन स्तर पर लम्बित है? यदि हां, तो क्या सरकार अध्यक्ष को तत्काल हटाकर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं।

नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण अध्यक्ष के पद पर आसीन चयनित व्यक्ति स्वतः पदच्युत हो गये हैं। अतः अब उन्हें हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

यदि उनके विरुद्ध कोई वित्तीय अनियमितता का आरोप जांचोपरान्त सिद्ध होगा तभी उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 81 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट करेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद की नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्लों में विकास कार्य के सम्बन्ध में जानकारी

33—श्री समरपाल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत वर्ष 1988 से अब तक हुए विकास कार्य (नाली खड़न्जा) आदि एक विशेष इलाके में ही कराये गये हैं? यदि हां, तो इसका आधार क्या रहा? क्या अब तक उपेक्षित रहे मोहल्लों में विकास कार्य प्राथमिकता के अधार पर कराये जाने के आदेश प्रदान करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में सर्वे कराने पर ही आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य वर्तमान में वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये सम्पादित किये जा रहे है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला जलालपुर व राजाजीपुरम् में खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत की मांग

34—श्री श्रीराम सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला जलालपुर, राजाजीपुरम्, लखनऊ में इण्डिया मार्क—II हैण्ड पाइप सरकार द्वारा जो लगाये गये हैं उनमें अधिकतर खराब पड़े हैं जिससे पानी की गम्भीर समस्या हो गयी है? क्या सरकार उक्त हैण्ड पाइपों को ठीक कराने की तत्काल व्यवस्था करेगी? क्या नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मोहल्ला जलालपुर राजाजीपुरम्, लखनऊ में कुल 14 अदद इण्डिया मार्क—2 हैण्डपम्प लगे हुए है, जिनमें से 9 हैण्डपम्प ठीक एवं चालू हालत में है तथा शेष 5 बन्द पड़े हैण्डपम्पों में से 3 हैण्डपम्प बहुत अधिक खराब हैं 2 हैण्डपम्पों की मरम्मत कर उन्हें ठीक करा दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ब्लाक—काकोरी स्थित पारा कालोनी के निवासियों हेतु विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था

35—डा० राम बाबू हरित—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ जनपद के काकोरी ब्लाक के कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसायटी फतेहगंज सब स्टेशन के अन्तर्गत पारागांव से संबंधित पारा कालोनी में कम वोल्टेज के कारण सैकड़ों लोगों को विद्युत कनेक्शन विगत दो वर्षों से नहीं मिल पा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु अधिक शक्ति का ट्रान्सफार्मर सरकार द्वारा रख दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसायटी विकास नगर,

लखनऊ के स्टोर में नये कनेक्शन हेतु खम्भे व तार आदि उपकरण की कमी काफी समय से चल रही है? यदि हाँ, तो उक्त कमी को कब तक दूर किया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पारा कालोनी एक नयी बस्ती बनी है जहां के निवासियों को पूर्ण वोल्टेज सहित विद्युत आपूर्ति देने हेतु एक नई 11 के० वी० लाइन बन रही हैं तथा अप्रैल 94 के पश्चात इस कालोनी को विद्युत कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

जी हां। विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु दूसरी लाइन बनाकर 250 के० वी० ए० का एक नया ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है।

कार्य प्रगति पर है, नया ट्रांसफार्मर माह अप्रैल 94 के अन्त तक लगा दिया जायेगा।

जी नहीं। अवाश्यकतानुसार समिति द्वारा समय-समय पर नये कनेक्शनों हेतु खम्भे, तार एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था की जाती है।

कानपुर जल संस्थान में कार्यरत मीटर निरीक्षकों के वेतनमान की जानकारी

36–श्री नीरज चतुर्वेदी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जल संस्थान के मीटर निरीक्षकों को रुपये 1400-2300 वेतनमान देने के संबंध में कानपुर जल संस्थान द्वारा प्रेषित पत्र जल–210/92-93/155-92, दिनांक 18.5.92 नगर विकास अनुभाग–3 को प्राप्त होने के बाद भी इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक वेतनमान देने के निर्देश न देने के क्या कारण हैं? यदि निर्देश दिया जायेगा, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। संबंधित मीटर निरीक्षक निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं।

जनपद रायबरेली के कतिपय विकास खण्डों में गम्भीर पेयजल संकट

37–श्री गजाधर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के जगतपुर, ऊंचाहार तथा डलमऊ विकास खण्डों में गंगा नदी के किनारे के गांवों में जल स्तर बहुत नीचा हो जाने के कारण उत्पन्न हुई पेयजल की गम्भीर समस्या का तत्काल निराकरण करने के लिये कोई व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही है? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी? योजना का पूर्ण विवरण क्या है? उक्त विकास खंडवार कितने-कितने गांव हैं जहां पेयजल की गम्भीर समस्या है?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रश्नगत विकास खण्डों के ग्रामों में गम्भीर पेयजल समस्या की कोई सूचना नहीं है। तथापि जनपद रायबरेली को राजस्व विभाग द्वारा सूखे पेयजल समस्या की दैवी आपदा से प्रभावित होने

वाले संवेदनशील जनपद मानते हुए इसमें 30 हैण्ड पम्प रु० 14,550 की दर से स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से कम से कम 20 हैण्ड पम्प ग्रामीण क्षेत्र में लगाये जायेंगे, जिसका स्थल चयन जिलाधिकारी द्वारा शासन के पत्र संख्या—1815/9-2-92-57(61)/90, दिनांक 8 अक्टूबर, 1992 में दिये गये निर्देशानुसार किया जायेगा।

जनपद मिर्जापुर नगर विधान सभा क्षेत्र के विद्युतीकरण की मांग

38—डा० सरजीत सिंह डंग—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर नगर विधान सभा क्षेत्र के शत प्रतिशत विद्युतीकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 1992 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी? क्या आर०इ०सी० को धन आवंटन के लिये आदेश दिया गया था? क्या यह भी सत्य है कि प्रदेश सरकार के द्वारा उक्त योजना अभी तक प्रारम्भ नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका सहारनपुर को आवास शुल्क में से देय अंश के हस्तान्तरण का मामला

39—श्री लाज कृष्ण गांधी—

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास अधिनियम, 1965 की धारा 62 (1) के अन्तर्गत वसूल किये गये दो प्रतिशत आवास शुल्क में से उक्त अधिनियम की धारा 62 (2) के अन्तर्गत नगरपालिका को देय अंश एवं इसके प्रतिवर्ष हस्तान्तरण की प्रक्रिया तय की जा चुकी है? यदि हां, तो नगर सहारनपुर की सीमा के भीतर उक्त अधिनियम लागू होने के उपरान्त से दिनांक 31-3-93 तक आवास शुल्क की एकत्र धनराशि में से नगरपालिका, सहारनपुर को देय अंश का हस्तान्तरण कब तक हो जायेगा? यदि नहीं, तो उक्त अधिनियम की धारा 62 (2) के अन्तर्गत नगरपालिका को देय अंश एवं इसके प्रतिवर्ष हस्तान्तरण की प्रक्रिया कब तक तय होगी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सहारनपुर नगर में पंजीकृत आवेदकों को आवास उपलब्ध कराने की मांग

40—श्री लाज कृष्ण गांधी—

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के पास नगर सहारनपुर में भवन/आवास हेतु आवेदकों के नाम पंजीकृत हैं? यदि हां, तो आवेदकों के नाम कितने हैं और कब से पंजीकृत हैं? आवेदकों द्वारा जमा अग्रिम एवं अग्रिम पर ब्याज के रूप में कुल कितनी धनराशि जमा है? किन परिस्थितियों में अभी तक परिषद् आवेदकों को,

आवास उपलब्ध नहीं करा पायी है? परिषद् उक्त पंजीकृत आवेदकों को कब तक आवास उपलब्ध करा देगी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

कुल पंजीकृत आवेदकों की संख्या–3782 है। जो कि वर्ष 1973 से 1987 के मध्य पंजीकृत हैं।

पंजीकरण हेतु कुल जमा अग्रिम धनराशि रु० 96,14,700.00 है तथा इस पर ब्याज के रूप में, जमा धनराशि की तिथि के अग्रेतर माह से 6% की दर से ब्याज देय होता है।

निर्मित /विकसित परिसम्पत्तियों को वर्ष 1979 तक पंजीकृत क्रेताओं के मध्य वर्ष 1984 में आवंटित की जा चुकी है और वर्ष 1984 के उपरान्त से छुट-पुट (लेफट ओवर) परि-सम्पत्तियों को छोड़कर परिषद के पास भूमि न होने के कारण भवन/भूखण्ड के विकास/निर्माण का कार्य नहीं हुआ है जिस कारण से शेष पंजीकृत क्रेताओं को अभी तक आवास उपलब्ध नहीं करा पाया है।

वर्तमान में 167.394 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। भूमि अधिग्रहीत होने के उपरान्त इस पर भी परिषद विकास /निर्माण कार्य कराकर पंजीकृत व्यक्तियों को सम्पत्ति उपलब्ध करा सकेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में कन्स्ट्रक्शन डिवीजन लेसू में कार्यरत अवर अभियन्ता श्री हरीश चन्द्र बर्नवाल की साजिश से किये गये गबन की सतर्कता की जांच

41–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश हरीश चन्द्र राज्य विद्युत परिषद् में कन्सट्रक्शन डिवीजन लेसू में दिनांक 1-2-86 से 24-8-90 के मध्य श्री हरीशचन्द्र बर्नवाल, अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता की साजिश से करोड़ों रुपये के परिषदीय सामान का गबन किया गया है? क्या यह भी सत्य है कि उक्त डिवीजन के संबंधित सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता की गलती से ही उक्त अवर अभियन्ता ने स्टाक रजिस्टर जमा नहीं किया था? यदि हां, तो संबंधित अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

निर्माण खण्ड, सिस गोमती, लेसू में कार्यरत श्री हरीश चन्द्र बर्नवाल, अवर अभियंता द्वारा स्टोर सामग्री के कथित गोल माल को जाँच परिषद की विशेष सम्प्रेक्षा दल द्वारा करने पर श्री बर्नवाल के 2/86 से 4/90 को अवधि के सामग्री लेखा के आधार पर लगभग रु० 218 लाख मूल्य के सामग्री की कमी पाई गयी। सहायक अभियंता एव अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की

संभावित अन्तर्ग्रस्तता/साजिश की जानकारी ज्ञात करने हेतु शासन स्तर से विद्युत परिषद की सतर्कता इकाई से जाँच कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

स्टाक रजिस्टर एवं सामग्री लेखा जमा करना स्वयं अवर अभियन्ता/स्टाक होल्डर का उत्तरदायित्व होता है। इस संबंध में सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता की गलती का निर्धारण उपरोक्त जाँच से होगा। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर (देहात) के निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर के भीतर गांव व पतारा ब्लाक के कतिपय ग्रामों का प्रस्तावित हैण्ड पम्प लगाने की मांग

42—श्री राकेश सचान—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर, जनपद कानपुर (देहात) में आने वाले किन-किन ग्रामों, में, कितने-कितने इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प वित्तीय वर्ष 1993-94 में लगाये जाने प्रस्तावित थे? क्या प्रस्तावित हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो कितने ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाया जाना शेष हैं? हैण्ड पम्पों की उक्त संख्या क्या है?

श्री रमा शंकर कौशिक—

घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के घाटमपुर, भीतरगांव व पतारा ब्लाक के कुल 137 ग्रामों में वित्तीय वर्ष 1993-94 में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 230 हैण्डपम्प लगाये जाने प्रस्तवित थे (सूची संलग्न) जिसके समक्ष फरवरी, 1994 तक 206 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं तथा शेष के कार्य प्रगति में हैं।

20 ग्रामों में हैण्डपम्प लगाया जाना शेष है।

हैण्ड पम्प की उक्त संख्या 24 है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 167 पर)

जनपद मिर्जापुर में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग

43—डा० सरजीत सिंह डंग—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर में 220 के वी०ए० का विद्युत सब स्टेशन, निर्माण करने की योजना शासन में कब से प्रस्तावित है? उक्त योजना पर अब तक कितना कार्य हुआ है? उल्लिखित योजना कब तक पूर्ण होनी प्रस्तावित थी और कब तक पूर्ण हो जायेगी? उक्त योजना में विलम्ब के कारण क्या हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव—

220 के वी० मिर्जापुर सब-स्टेशन मार्च, 1988 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा अप्रैल, 1989 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया। इस सब-स्टेशन को वर्ष 1990-91 के कार्य योजना में सम्मिलित किया गया था।

उक्त योजना हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है। परियोजना के पूरे होने का लक्ष्य 8/94 था। विश्व बैंक का ऋण निरस्त हो जाने के फलस्वरूप एवं अन्य वित्तीय संसाधनों की अनिश्चित स्थिति के कारण उक्त उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना अनिश्चित है। उक्त उपकेन्द्र का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

इसका कारण वित्तीय संसाधनों का उपलब्ध न होना है।

लखनऊ नगर में प्रश्नगत सड़क के निर्माण हेतु अनुदान की जानकारी

44— श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के निवाजगंज वार्ड में पुलिस चौकी अम्बरगंज से यासीनगंज होते हुये कैम्पबेल रोड तक सड़क मरम्मत हेतु शासन से स्वीकृति हो गयी है? यदि हां, तो इसकी लागत कितनी आयेगी तथा उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

शासन द्वारा प्रतिवर्ष नगर महापालिका को सड़क मरम्मत हेतु सड़क अनुदान स्वीकृत किया जाता है। किसी विशेष सड़क की मरम्मत हेतु स्वीकृति नहीं दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ऐशबाग स्थित मोती झील पशु बधशाला में सफाई व्यवस्था

45— श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या सरकार को जानकारी है कि ऐशबाग क्षेत्र लखनऊ में पशु बध-शाला स्थापित है, जिसके कारण स्थानीय जनता का जीवन नरक हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार लखनऊ नगर के मध्य से इस पशु-बध-शाला को अन्यत्र हटाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इस प्रकरण पर कब तक निर्णय लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं। मात्र एक बधशाला ऐशबाग मोतीझील पर स्थित है, जहां सफाई का समुचित प्रबन्ध है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला अशरफाबाद में प्रश्नगत गली के निर्माण की मांग

46— श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या लखनऊ स्थित अशरफाबाद मोहल्ले में जिसमें खाला बाजार स्थित "सुधीर मेडिकल स्टोर" से अशरफाबाद को जाने वाली गली जो कि

"चुन्ना डेरी" के लिये तथा श्याम कुटी-राम कुटी के लिये जाती है। गली निर्मित कराये जाने हेतु पिछले पांच वर्ष में गली निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त गली का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उक्त मोहल्ले की जीर्ण-शीर्ण गलियों को तत्काल निर्मित करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महापालिका द्वारा धन की उपलब्धता, कार्य की आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराये जाते है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला अशरफाबाद के अन्तर्गत प्रश्नगत गली में सीवर लाइन डालने की मांग

47— श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित मोहल्ला अशरफाबाद में जो गली सुधीर मेडिकल स्टोर से होती हुई चुन्ना दूध डेरी, श्याम कुटी व रामकुटी का मार्ग सम्मिलित होकर, सीवर लाइन बिछाने की योजना शासन द्वारा स्वीकृत की गयी थी? यदि हां, तो कब और उक्त स्वीकृत योजना के लिये कितनी धनराशि शासन से स्वीकृत की गयी थी? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त मार्ग पर सीवर लाइन की योजना की स्वीकृति के पश्चात् कितनी अवधि अब तक बीत चुकी है? अभी तक वहां पर सीवर लाइन न बिछाये जाने का कारण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस अधूरे कार्य को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जल संस्थान लखनऊ से प्राप्त सूचनानुसार मोहल्ला अशरफाबाद में सुधीर मेडिकल स्टोर से प्रारम्भ होकर चुन्ना दूधी डेरी तक की गली में मात्र 30 मीटर की सीवर लाइन लगभग 10-12 वर्ष पूर्व डाली गई थी। इस सीवर लाइन को डालने हेतु न ही कोई योजना स्वीकृत हुई थी और न ही कोई धनराशि शासन से प्राप्त हुई थी। इस सीवर लाइन का अन्तिम मेनहोल मात्र 45 मीटर गहरा है अतः अन्तिम मेनहोल से चुन्ना दूध डेरी तक सीवर लाइन डालना सम्भव नहीं है।

जनपद मुजफ्फर नगर मुख्यालय के निकट स्थित अम्बेडकर ग्राम-नयागांव मंघेड़ा में विद्युतीकरण की मांग

48— श्री सुरेश संगल–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जिला मुजफ्फरनगर के मुख्यालय के निकट स्थित अम्बेडकर गांव-नयागांव मंघेड़ा में नागरिकों को घरेलू बिजली की सुविधा प्राप्त नहीं है जब कि

शासन अम्बेडकर गांवों के विकास को प्राथमिकता दे रहा है? क्या इस गांव में घरेलू बिजली नागरिकों को दिये जाने का प्रबन्ध सरकार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राम नया गांव मंघेड़ा, ब्लाक मुजफ्फरनगर का अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिये चयन किया गया था परन्तु उपरोक्त योजना के अन्तर्गत इस ग्राम के विद्युतीकरण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण हेतु प्रगति शून्य रही। संसाधनों के उपलब्ध होने पर ग्राम का विद्युतीकरण निर्भर है।

विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा चयन की प्रक्रिया पर प्रतिबन्ध

49— श्री रिजवान जहीर खां–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विज्ञापन संख्या-4- वि० से०आ० (लिपिक)/जनरल/88 के अन्तर्गत लिपिक पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 14-1-90 को सम्पन्न हुई थी, जिसका परीक्षाफल पत्रांक 600-वि०से०आ०/परीक्षा/लिपिक/90 के अन्तर्गत दिनांक 23 जून, 1990 को घोषित किया गया था, तत्पश्चात् 26 जुलाई, 90 को टंकण परीक्षा हुई थी? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त परीक्षा हेतु कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन भेजा था, कुल कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे और उक्त परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को विद्युत सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं, लिखित परीक्षाफल दिनांक 16-6-90 को घोषित किया गया था,

टंकण परीक्षा 24, 25 एवं 26 जुलाई 1990 को हुई थी,

उक्त पदों हेतु कुल 35, 441 अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे 20, 423 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बैठे थे और उनमें से 1401 सफल हुए।

उपर्युक्त 1401 अभ्यर्थियों जिन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी, को पत्रांक 600-वि०से०आ०/परीक्षा/लिपिक/90 दिनांक जून 23, 1990 द्वारा टंकण परीक्षा हेतु बुलावा पत्र भेजा गया था। टंकण परीक्षा दिनांक 24, 25 एवं 26 जुलाई, 1990 को करायी गयी थी इस परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जा सका क्योंकि परिषद् ने अपने आदेश संख्या-950-जी०ए०/राविप-बारह/90-7-जीए/90, दिनांक 4 मई, 1990 द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। उसके उपरान्त पुनः पत्र सं०-1235 अ०अनु०राविप/ 90-18आर०एस०/90 दिनांक 3/4 अगस्त, 1990 द्वारा परिषद् की वर्तमान नीति के अनुसार नयी नियुक्तियों के लिए चयन की समस्त प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जो अभी जारी है।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के भूतपूर्व कर्मचारियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन के भुगतान की मांग

50–श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे राजकीय रोडवेज कर्मचारियों को जिन्हें शासनादेश संख्या 1428/30-2-93/633/92, दिनांक 1-8-93 द्वारा निगम में प्रतिनियुक्ति पर माना गया है तथा जिनका पेंशनरी अंशदान 1982 तक का सरकार द्वारा सरकारी कोष में जमा किया गया है? निगम में समायोजन के बाद से ही प्रतिनियुक्ति भत्ता देने पर तथा राज्य कर्मचारियों की भांति ऐसे कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिये पेंशन आदेश निर्गत होने के साथ ही पारिवारिक पेंशन का लाभ देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आर० के० चौधरी–

शासनादेश संख्या 1428/30-2-93-633/92, दिनांक 19-8-93 द्वारा राजकीय रोडवेज में पेंशनेबुल पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उ० प्र० रोडवेज कर्मचारी (पदों का उत्सादन एवं कर्मचारियों का आमेलन) नियमावली, 1982 के लागू होने के दिनांक तक वाह्य सेवा में माना गया है। परन्तु उ० प्र० परिवहन निगम के गठन के दिनांक से वाह्य सेवा अवधि के मध्य सेवानिवृत्त हुए भूतपूर्व राजकीय रोडवेज के कर्मचारियों का पेंशनरी अंशदान परिवहन निगम द्वारा वहन किया जा रहा है। चूँकि भूतपूर्व राजकीय रोडवेज के कर्मचारी उक्त नियमावली के अनुसार उ० प्र० परिवहन निगम में उसके गठन के दिनांक से ही आमेलित हुए माने गये थे, अतः इन कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। भूतपूर्व राजकीय रोडवेज के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान पेंशन निदेशालय द्वारा कराये जाने का प्रस्ताव व्यवहारिक एवं सम्भव नहीं पाया गया है।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन भुगतान की मांग

51–श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज के प्रतिनियुक्ति पर आये पेंशनेबुल पदधारकों में कितने कर्मचारियों का, जो पिछले 3 वर्षों से सेवानिवृत्त हुये हैं, पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान बाकी है? इसका कारण क्या है?

श्री आर० के० चौधरी–

ऐसे कुल मामले 148 हैं। पेंशन निदेशालय, उ० प्र० द्वारा भुगतानादेश कुछ कारणों से रोक दिये गये थे। विचार-विमर्श के उपरान्त अब शासनादेश दिनांक 28-5-93 में निहित व्यवस्था के अनुसार पेंशन के भुगतानादेश जारी किये जा रहे हैं।

जनपद सीतापुर स्थित जल निगम विभाग में इण्डिया मार्क-2 हैन्ड पम्प पर व्यय धनराशि का विवरण

52–श्री अनिल कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में वर्ष 93-94 में कुल कितने रुपया जल निगम विभाग में इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पाइप लगाने के लिये स्वीकृत किये गये? जनपद में प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में कितने कुल इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पाइप नल लगे हैं कितने सही हालत में हैं एवं कितने खराब पड़े हैं प्रति हैण्ड पाइप पर सरकार को कितना रुपया खर्च करना पड़ता है?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जनपद सीतापुर में वर्ष 1993-94 में इंडिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगाने के लिए कुल रु० 115.63 लाख स्वीकृत किये गये।

जनपद में प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में कुल 858 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगाये गये हैं।

815 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प ठीक कार्य कर रहे हैं एवं 43 हैण्डपम्प वर्तमान में खराब हैं।

जनपद सीतापुर में 30 मीटर गहराई पर रु० 13,750 तथा 35 मीटर पर रु० 14,500 व्यय प्रति हैण्डपम्प पर आता है।

जनपद जौनपुर के जलालपुर एवं मुर्तजाबाद उपकेन्द्रों के अन्तर्गत पुनर्स्थापित ट्रांसफार्मर की जानकारी

53–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के जलालपुर एवं मुर्तजाबाद उपकेन्द्रों के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में किन-किन स्थानों के ट्रांसफार्मर पुनर्स्थापित किए गए? उनके पुनर्स्थापना के क्या कारण थे? क्या खराब ट्रांसफार्मरों को सुरक्षित रखकर, उन्हें ठीक कराकर पुनः स्थापित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? उनके पुनर्स्थापना पर कितना धन व्यय किया गया है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद जौनपुर के जलालपुर उपकेन्द्र के क्षेत्रों में 86 स्थानों के एवं मुर्तजाबाद उपकेन्द्र के क्षेत्रों में 78 स्थानों के ट्रांसफार्मर पुनर्स्थापित किये गये जिनकी सूची संलग्न है।

उनके पुनर्स्थापित किये जाने का कारण उनका क्षतिग्रस्त होना था।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

35,000 रु० व्यय किया गया है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 172 पर)

जनपद जौनपुर के कतिपय विकास खण्डों में अर्द्धनिर्मित गोदामों को पूर्ण कराने की मांग

54–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिलान्तर्गत ब्लाक मुफ्तीगंज, जलालपुर, एवं धर्मापुर के किन-किन स्थानों पर ग्रामीण गोदाम, अर्द्धनिर्मित या अधूरे पड़े हैं? इन अधूरे गोदामों के निर्माण में कितना धन व्यय किया जा चुका है? क्या निकट भविष्य में इन्हें पूर्ण कराने की शासन की कोई योजना है? यदि है, तो कब तक इन्हें पूर्ण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मोहम्मद आजम खाँ–

जौनपुर जिले के जलालपुर ब्लाक के सभी गोदाम पूर्ण हैं। किन्तु उक्त जिले के ब्लाक मुफ्तीगंज में 4 तथा धर्मापुर में 1 स्थान पर निम्नांकित विवरणानुसार ग्रामीण गोदाम अर्द्धनिर्मित पड़े हैं जिन पर कुल रुपये 4,33,053.00 व्यय किया जा चुका है।

क्र० सं०	ग्रामीण गोदाम	नाम वि० खण्ड	व्यय की धनराशि
1	सा० स० स० गौरा	धर्मापुर	90,359.00
2	सा० स० स० पेसारा	मुफ्तीगंज	80,355,00
3	सा० स० स० बेलांव	तदैव	96,456.00
4	सा० स० स० कबुलपुर	तदैव	94,850.00
5	सा० स० स० सकरा	तदैव	71,033.00
		योग	4,33,053.00

उ० प्र० सहकारी बैंक द्वारा संचालित विश्व बैंक परियोजना के दिनांक 30 सितम्बर, 1992 को समाप्त हो जाने के उपरान्त इन अधूरे रह गये गोदामों के मूल्यांकन के पश्चात् राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत लागत में से मूल्यांकित धनराशि घटाने के बाद शेष धनराशि परिसमापित परियोजना के स्तर से संबंधित सहकारी समिति को जिला सहकारी बैंक में उसके खुले खाते में हस्तानान्तरित की जायेगी, जिससे संबंधित सीमति द्वारा यथासमय अवशेष निर्माण कार्य पूरा कराया जायेगा।

जनपद गाजियाबाद के ब्लाक हापुड़ में खराब हैण्ड पम्पों को चालू कराने की मांग

55–श्री गजराज सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के हापुड़ ब्लाक में कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं? उनमें से कितने चालू हालत में हैं? क्या यह

भी बतायेंगे कि जो नलकूप खराब पड़े हैं, उन्हें कब तक चालू करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जनपद गाजियाबाद के हापुड़ ब्लाक में 518 इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं जिनमें से 502 चालू हालत में हैं।

3 नलकूप यांत्रिक कारणों से खराब हैं जिन्हें अप्रैल, 94 के प्रथम पक्ष तक चालू करने का प्रयास किया जायेगा।

56–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ में लेसू के अन्तर्गत बिलिंग प्रक्रिया

57–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उ० प्र० राज्य परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ के अधीन डी० आर० ई० इन्दिरा नगर लखनऊ एवं अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य) लखनऊ द्वारा होटल रेस्टोरेंट, स्कूल, कालेज तथा बड़े वाणिज्यिक अधिष्ठान, जिनके यहां तीन फेज के मीटर लगे हैं, उनकी बिलिंग स्माल पावर के खण्ड में प्रतिमास की जाती है? यदि हां, तो क्यों? क्या परिषदीय नियमानुसार (टैरिफ) उनकी बिलिंग लाइट एण्ड फैन के साथ प्रति दो मास में की जानी चाहिये? यदि हां, तो किसी अधिकारी ने प्रतिमाह बिलिंग के आदेश दिये और कब से?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हाँ।

परिषदीय नियमानुसार अधिक भार एवं बिल की धनराशि के उपभोक्ताओं की बिलिंग प्रतिमास किये जाने का प्राविधान है जबकि अन्य घरेलू व वाणिज्य की बत्ती पंखों के बिल द्विमासिक भेजे जाते हैं।

उक्त बिलिंग की प्रक्रिया दर सूची के प्राविधानों के अनुसार है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत तापीय विद्युत गृहों में कोयले की खपत

58–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में कोयले की खपत का राष्ट्रीय मानक एवं व्यवहारिक मानक क्या है? उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत तापीय परियोजनाओं की परियोजनानुसार पिछले तीन वर्षों में औसत खपत क्या है? अधिष्ठापित क्षमता एवं पी० एल० एफ० एवं उत्पादित यूनिट क्या रही? क्या यह सत्य है कि कोयले की खपत के

व्यवहारिक मानक से ज्यादा खपत हो रही है? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी तापीय परियोजनायें हैं एवं वहां अधिक खपत के कारण क्या हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव–

चूंकि तापीय विद्युत गृहों में कोयले की खपत उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है इसलिये कोयला खपत का राष्ट्रीय मानक नहीं। प्रदेश के तापीय विद्युत गृहों के लिये उपलब्ध गुणवत्ता पर व्यवहारिक औसत कोयला खपत मानक 0.81 कि० ग्रा० यूनिट है। तापीय परियोजनाओं पर पिछले तीन वर्षों में कोयला खपत का विवरण निम्न प्रकार हैं :–

विद्युत गृह	90-91	91-92	92-93 कि०ग्रा० यूनिट
ओबरा	0.77	0.76	0.77
आनपारा	0.84	0.84	0.79
टाण्डा	0.85	0.90	0.93
पारीछा	0.81	0.85	0.85
हरदुआगंज	1.05	1.05	1.09
पनकी	0.77	0.82	0.95
औसत परिषद	0.81	0.81	0.82

विद्युत गृहवार अधिष्ठापित क्षमता, पी० एल० एफ० एवं उत्पादित यूनिट निम्न प्रकार रही है:–

विद्युत गृह	90-91	91-92	92-93
1	2	3	4
ओबरा			
अधिष्ठापित क्षमता (मेवा)	1550	1550	1550
पी० एल० एफ० (प्रतिशत)	63.4	51.5	55.9
उत्पादित यूनिट (मि० यू०)	8231.5	6563.7	7063.8
पनकी			
अधिष्ठापित क्षमता (मेवा)	284	284	284
पी० एल० एफ० (प्रतिशत)	29.1	15.8	26.9
उत्पादित यूनिट (मि० यू०)	617.3	335.5	569.5

1	2	3	4
हरदुआगंज			
अधिष्ठापित क्षमता (मेवा)	530	530	530
पी० एल० एफ० (प्रतिशत)	22.2	21.3	28.2
उत्पादित यूनिट (मि० यू०)	826.3	715.5	927.2
पारीछा			
अधिष्ठापित क्षमता (मेवा)	220	220	220
पी० एल० एफ० (प्रतिशत)	25.4	29.7	38.0
उत्पादित यूनिट (मि० यू०)	489.3	573.03	732.6
आनपारा "अ"			
अधिष्ठापित क्षमता (मेवा)	630	630	630
पी० एल० एफ० (प्रतिशत)	67.8	71.9	74.5
उत्पादित यूनिट (मि० यू०)	3743.7	3979.0	4109.8
टाण्डा			
अधिष्ठापित क्षमता (मेवा) केवल 110 मे० वा० वाणिज्यिक भार पर है।	220	220	220
पी० एल० एफ० (प्रतिशत)	37.6	23.8	31.4
उत्पादित यूनिट (मि० यू०)	362.4	459.8	612.8

औसत खपत व्यवहारिक मानक के अनुरूप ही है। हरदुआगंज विद्युत गृह में कोयला खपत अधिक है क्योंकि इस तापीय विद्युत गृह की इकाइयां औसतन लगभग 20 वर्ष पुरानी है तथा संसाधन उपलब्ध न हो सकने के कारण कैपिटल अनुरक्षण कार्य नहीं हो सके।

जनपद व तहसील उन्नाव के ग्राम मुर्तजा नगर व तुर्कमान नगर विद्युत सब-स्टेशन निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिलाने की मांग

59–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रा० मुर्तजा नगर व तुर्कमान नगर, तहसील-उन्नाव व जनपद उन्नाव में 880/400 के० बी० ए० बिद्युत घर निर्माण के लिए लघु किसानों (केवट, लोध आदि) की जमीन अधिग्रहीत की गई थी, जिसका सरकार ने 2000 रु० प्रत्येक बीघा की दर से मुआवजा देने का निर्णय किया था? क्या यह सही है कि किसानों ने न्यायालय में स्टे आर्डर ले लिया था, जबकि किसानों ने 75,000 रु० की दर से प्रत्येक बीघा जमीन खरीदी थी? क्या उक्त जमीन का सरकारी मूल्य एक लाख 90 हजार रुपया प्रति बीघा दर है? क्या मंत्री जी उक्त किसानों को सरकारी रेट से मुआवजा दिलायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राम मुर्तजा नगर व तुर्कमान नगर तहसील व जनपद उन्नाव में 800/400 के० वी० विद्युत सब-स्टेशन सैनिक योजना के निर्माण हेतु 121-17-2-10 बीघा भूमि का अभिनिर्णय दिनांक

15-3-93 को घोषित किया गया था, जिसकी किस्म भूमिवार दरें न्यूनतम रु० 2429.15 व उच्चतम रु० 8182.40 निर्धारित की गई थी।

19-17-13 बीघा भूमि पर कृषकों ने स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है।

जी नहीं।

मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

न्यायालय के आदेशानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी?

जनपद उन्नाव की सदर तहसील के ग्राम मुर्तजानगर में विद्युत उपगृह (सोनिक) का निर्माण

60–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुर्तजानगर, तहसील उन्नाव, जनपद–उन्नाव में लघु किसानों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करके 132 के० वी० ए० के विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? क्या यह सही है कि इस जमीन का अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और न ही किसानों के परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी गयी है? यदि हां, तो क्या उक्त किसानों को मुआवजा एवं सरकारी नौकरी दी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, ग्राम मुर्तजानगर, तहसील सदर, उन्नाव, जनपद उन्नाव में एक 132 के० वी० विद्युत उपगृह (सोनिक) का निर्माण नियमानुसार ली गयी जमीन पर किया गया है।

मुआवजा दिये जाने का कोई मामला लम्बित नहीं है। किसानों के परिवार के किसी भी व्यक्ति को नौकरी देने का कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव नौकरी देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उल्लेखनीय है कि उक्त उपगृह को वर्ष 1976 में निर्माण कार्य पूर्ण कर चालू कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार

जनपद जौनपुर डिपो से संचालित बसों के रख-रखाव पर व्यय धनराशि का विवरण

61–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि इस समय जौनपुर डिपो से कुल कितनी बसें संचालित होती हैं? वर्ष 1992-93 में इन बसों के रख-रखाव व मरम्मत पर कुल कितना धन खर्च किया गया है? क्या यह सत्य है कि उक्त धन का सदुपयोग न किए जाने से निगम की अधिकांश बसें विभिन्न मार्गों पर नियमित रूप से नहीं चली है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आर० के० चौधरी–

इस समय जौनपुर डिपो से कुल 78 बसें संचालित की जा रही हैं। वर्ष 1992-93 में जौनपुर डिपो की बसों के रखरखाव व मरम्मत पर कुल रु० 91.41 लाख रुपये व्यय हुआ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरनगर शहर में सीवरेज योजना को पूरा करने की मांग

62–श्री सुरेश संगल–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर शहर में अनेकों वर्ष पहले शुरू की गई सीवरेज योजना में करोड़ों रुपयों का अब तक व्यय हो चुका है, पर कुछ लाख रुपयों की कमी रह जाने के कारण इसका विधिवत्, प्रयोग और नागरिकों को सहूलियत मिलना प्रारम्भ नहीं हो पायी है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त योजना में लगाया गया धन बेकार फंसा पड़ा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे पूर्ण कराने हेतु प्रयास करेगी? यदि हां, तो योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां।

वर्ष 1982-83 में मुजफ्फरनगर शहर में सीवर योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत 143.50 लाख रु० व्यय करके 25.52 कि० मी० सीवर लाइन के लगाने का प्राविधान था। वर्तमान में योजना के अन्तर्गत 17.40 कि० मी० सीवर लाइन डाली जा चुकी है तथा 134.57 लाख रु० व्यय किया जा चुका है। योजना से नागरिकों को आंशिक लाभ मिल रहा है।

जी नहीं।

संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

मुजफ्फरनगर शहर में स्थगन आदेश निरस्त होने के उपरान्त आवासीय कालोनी का निर्माण

63–श्री सुरेश संगल–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर शहर में आवासीय मकानों की किल्लत को दृष्टिगत करके आवास-विकास विभाग ने एक आवासीय कालोनी बनाने का निश्चय किया था और इसके लिए वर्ष 1977 में तथा 1984 में नागरिकों से धन जमा कराया था? यदि हां, तो इतना समय बीत जाने पर भी उक्त कालोनी के निर्माण की प्रक्रिया अभी तक चालू न किए जाने का क्या कारण है? क्या सरकार कालोनी के निर्माण शुरू करने में आ रही कठिनाई को दूर करने हेतु प्रयास करेगी? यदि हां, तो कालोनी का निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के फलस्वरूप योजना में जो विकास कार्य प्रारम्भ किये गये थे, उन्हें भी स्थगित करने के कारण योजना की विधिवत् निर्माण प्रक्रिया चालू नहीं हो पाई है।

जी हां।

मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश निरस्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रदेश की रोडवेज बसों में परिचालकों के पास टिकट प्राप्त करने की व्यवस्था

64— श्री सुरेश संगल–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि पहले प्रदेश की रोडवेज बसों में परिचालक यात्रियों के पास जा जाकर टिकट बांटता था ? यदि हां, तो क्या विगत कई वर्षों से यात्रियों को परिचालक की सीट पर पहुंचकर टिकट लेने की व्यवस्था कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या बीमार यात्रियों, वृद्धों व महिलाओं को होने वाली असुविधा तथा बस में स्टैंडिंग यात्रियों से भरी होने वाली दिक्कत को देखते हुए सरकार यात्रियों को असुविधा पहुंचाने वाली इस नयी योजना को रद्द करने का आदेश देगी ? क्या सरकार इस व्यवस्था को बदलकर यात्रियों के पास ही पहुंचकर, कन्डक्टर द्वारा टिकट दिये जाने की व्यवस्था को पुनः चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा–124 एवं परिवहन निगम में लागू "पे एण्ड बोर्ड" नियम में सन्निहित प्राविधानों के अन्तर्गत यह यात्रियों का उत्तरदायित्व है कि वे बस में चढ़ने से पूर्व स्वयं ही परिचालक से टिकट प्राप्त करें। परिचालक के लिए यह व्यवहारिक भी नहीं है कि वह प्रत्येक यात्री के पास जाकर टिकट वितरित करे। फिर भी परिस्थितियों के अनुसार यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बसों में परिचालक द्वारा उनके पास जाकर भी टिकट वितरित किये जाते हैं।

वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन का कोई विचार नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में प्रश्नगत अवैध उपासना गृह के निर्माण को रोकने हेतु कार्यवाही

65— श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी स्थित अति प्राचीन तथा प्रसिद्ध तिल भाण्डेश्वर महादेव जी के मन्दिर के सन्निकट एक रिहायशी भवन में परिवर्तन द्वारा उसे सार्वजनिक उपासना गृह का स्वरूप प्रदान करने की कोशिश किये जाने से शान्ति व्यवस्था की विषम समस्या उत्पन्न हो

गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रश्नगत भवन के सभी पूर्व स्वामियों द्वारा वर्तमान मालिक के पक्ष में भवन का पूर्ण स्वामित्व हस्तान्तरित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या उक्त कार्य विशेष हेतु विकास प्राधिकरण राज्य सरकार तथा अन्य संस्थाओं से आवश्यक पूर्व अनुमति नियमानुसार प्राप्त की गयी है ? यदि हां, तो कब ? क्या यह भी बताएंगे कि प्रश्नगत अवैध उपासना गृह निर्माण में अनियमितताओं के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध एवं प्रश्नगत अवैध निर्माण को गिराये जाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

तिल भाण्डेश्वर स्थित एक भवन संख्या–बी० 17/32 को उपासना गृह का स्वरूप देने के सम्बन्ध में सितम्बर, 1993 में विवाद उत्पन्न हुआ था। कानून एवं व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ दण्ड विधान संहिता की धारा–144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की गयी थी, जो वर्तमान में प्रभावी है।

मौजूदा भवन के परिवर्तन, परिवर्द्धन संबंधी मानचित्र के प्रार्थना-पत्र के साथ जो बैनामा की प्रति दाखिल की गयी है उसके अनुसार यह भवन श्रीमती जाहिदा बीबी पत्नी डा० मोहिउद्दीन द्वारा क्रय किया गया है।

उक्त भवन को उपासना गृह के रूप में परिवर्तित किये जाने हेतु कोई अनुमति नहीं प्राप्त की गयी है, अपितु उक्त भवन के परिवर्तन, परिवर्धन का एक रिहायशी मानचित्र प्राधिकरण द्वारा दिनांक 2-1-93 को स्वीकृत किया गया।

स्वीकृत मानचित्र के अनुकूल निर्माण नहीं किया गया है। इसके लिये सम्बन्धित अवर अभियन्ता को निलम्बित कर दिया गया है।

उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–27, 28 व 28 (2) के तहत दिनांक 11-6-93 को नोटिस जारी की गयी तथा अधिनियम की धारा–28 (2) के अन्तर्गत निर्माण कार्य रोकवाने के लिये संबंधित थाना के प्रभारी को भी सूचित किया गया है। अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

66— श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

[6ठें बुध में अता० प्र० सं०–138 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी स्थित औराई बस स्टैण्ड पर समस्त बसों को रोकने की मांग

67—श्री रंगनाथ–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी स्थित औराई बस स्टैण्ड पर उस मार्ग से आने-जाने वाली सभी सरकारी बसें रुकती हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी बसें रुकती हैं ? क्या सरकार औराई बस स्टैण्ड में सभी बसें रोकने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर०के० चौधरी–

जी नहीं ।

औराई (जनपद-वाराणसी) से होकर आने-जाने वाली परिवहन निगम की सभी प्रकार की बसों द्वारा कुल 83 अप तथा 83 डाउन ट्रिप्सों में से वर्तमान में औराई पर 76 अप तथा 76 डाउन ट्रिप्स को रोका जाता है । शेष 7 अप तथा 7 डाउन ट्रिप्स लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस बसें होने के कारण लम्बी दूरी के यात्रियों की सुविधा को देखते हुए नहीं रोकी जाती हैं ।

औराई की जनता के लिए पर्याप्त संख्या में निगम की बसें औराई बस स्टेशन पर उपलब्ध कराई जा रही हैं । लम्बी दूरी के यात्रियों की सुविधा को देखते हुए मेल व एक्सप्रेस बसों को औराई बस स्टैण्ड पर रोकने का कोई विचार नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड-धर्मापुर के ग्राम-सभा गौरा को टाउन एरिया घोषित करने की मांग

68— श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के ब्लाक धर्मापुर का गौराबाद-शाहपुर कस्बा अत्यन्त घनी आबादी वाला होते हुए भी आज तक टाउन एरिया घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इसे शीघ्र टाउन एरिया घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

कस्बा गौराबा शाहपुर गांव सभा गौरा में स्थित है । इसकी आबादी वर्ष 1991 के जनगणना के अनुसार 4388 है । गांव सभा द्वारा टा०ए० घोषित हेतु कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है । टा० ए० घोषित करने हेतु जनसंख्या का जो लक्ष्य निर्धारित है उसके अन्तर्गत नहीं आता है । अतः टाउन एरिया घोषित करने हेतु कोई कार्यवाही न तो हो सकती है, न की गयी है।

69—श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

[6ठें बुध में अता० प्र० सं०–139 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना, सोनभद्र के अध्यक्ष द्वारा तृतीय/चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति की जांच

70— श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना, सोनभद्र के महाप्रबन्धक द्वारा तृतीय श्रेणी/ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनियमितता बरती गई थी ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा इसकी जांच की गई और उक्त की जांच रिपोर्ट क्या है ? जांच में दोषी अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं तैनाती स्थान

क्या है तथा अनियमितता की प्रकृति क्या थी ? अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हाँ ।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (पारेषण) द्वारा इसकी जाँच की गयी थी। जाँच रिपोर्ट में किसी अधिकारी विशेष के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने तथा दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए पर्याप्त आधार स्पष्ट न होने के कारण उक्त जाँच रिपोर्ट के गहन अध्ययन व परीक्षण के उपरान्त संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगे गये और उनसे प्राप्त उत्तरों/स्पष्टीकरणों के अनुसार उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया ।

सूची संलग्न है ।

भर्ती/चयन व नियुक्तियों विषयक परिषदादेशों/ विनियमों एवं नियमों व निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन/ अतिक्रमण से संबंधित ।

उपरोक्त में से 11 अधिकारियों को परिषद् के आदेशों के अनुरूप ही कार्य करने हेतु सचेत किया गया है । शेष 3 अधिकारियों (क्र० सं०–1, 2 व 5) के सेवानिवृत्त हो जाने एवं एक अधिकारी (क्र० सं०–4) की सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध यह मामला समाप्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 175 पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत भण्डारगारों में खरीदे गये सामान तथा व्यय धनराशि की जाँच

71—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत भण्डारागारों में फिजिकल वेरीफिकेशन के अनुसार किन-किन स्थानों पर विद्युत उपकरण सहित अन्य वस्तुएं कितनी मात्रा में और कब से डम्प पड़ी हुई हैं ? इनको क्रय करने वाले अधिकारी कौन-कौन हैं? उनके नाम, पदनाम, तैनाती स्थान क्या हैं ? कितना धन उक्त क्रय में अन्य मदों में से परिषद् का व्यय किया गया है ? क्या यह सत्य है कि विद्युत सम्बन्धी उपकरणों एवं अन्य वस्तुओं के क्रय में अनियमितता बरती गई है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? उनमें से कितने सेवानिवृत्त हो चुके हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विद्युत सामानों एवं उपकरणों के खरीद में क्वालिटी कन्ट्रोल पर ध्यान दिया जाता है ? क्या घटिया स्तर का सामान भी ऊंचे दामों पर खरीदा गया है ? यदि हां, तो ऐसे मामले किन-किन स्थानों के लम्बित हैं तथा वह सामान/उपकरण क्या हैं? इन पर कितनी धनराशि अब तक व्यय की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के डाकखाना सीमैप निकट पिकनिक स्पाट रोड के समीप स्थित ग्राम कल्याणपुर में अवैध विद्युत कनेक्शनों का विच्छेदन

72— श्री राजेश कुमार तथा श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम कल्याणपुर डाकखाना सीमैप निकट पिकनिक स्पाट रोड, लखनऊ में अनेक अवैध कनेक्शन चल रहे हैं ? यहां ऐसे कितने कनेक्शन हैं जिनकी बिल कनेक्शन लेने के बाद अभी तक नहीं जमा हैं ? क्या इसकी जांच कराकर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

4-3-94 तक 17 कनेक्शन के बिल कनेक्शन लेने के बाद जमा नहीं थे ।

इन कनेक्शनों को विद्युत बकाये के कारण काट दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

73— श्री नीरज चतुर्वेदी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद उन्नाव में पुरवा क्षेत्र के वर्णित ब्लाकों में पेयजल संकट तथा हैण्ड पम्प लगाये जाने की मांग

74— श्री हृदय नारायण–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के तीनों ब्लाकों हिलौली, असोहा व पुरवा में कुओं का पेयजल स्तर माह दिसम्बर, 93 से जनवरी, 94 में ही काफी नीचे जाने और लगातार नीचे जाते रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में प्रश्नकर्ता ने उन्हें दो पत्र उक्त अवधि में दिये हैं ? प्रश्नकर्ता द्वारा पेयजल से संबंधित उक्त पत्रों की जांच किस अधिकारी को सौंपी गयी ? उन पर क्या कार्यवाही की गयी हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रश्नगत क्षेत्र में पेयजल स्तर नीचे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नगर विकास मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 7-12-93 प्राप्त हुआ है ।

अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, उन्नाव को जाँच सौंपी गई ।

सर्वेक्षण आख्या के आधार पर 10 हैण्ड पम्प लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसके समक्ष 3 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं । शेष 7 हैण्ड पम्प धन की उपलब्धता के अनुसार लगाये जायेंगे ।

जनपद उन्नाव की टाउन एरिया-मौरावां में प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य

75— श्री हृदय नारायण–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र उन्नाव जिले के मौरावां टाउन एरिया में मौरावां पुलिस स्टेशन के सामने से मुस्लिम बस्ती से होते हुए नहर निरीक्षण भवन तक का रोड बनाये जाने के आदेश वर्ष 92 में निर्गत हुए थे ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन चेयरमैन टाउन एरिया ने उक्त मार्ग के निर्माण से मुस्लिम बस्ती को लाभ होने के कारण ही लापरवाही की है ? क्या जितना काम कागज पर दिखाया गया वह फर्जी भुगतान पर हुआ था ? क्या प्रश्नकर्ता ने उनसे मिलकर माह दिसम्बर, 93/ जनवरी, 94 में उक्त मार्ग के लेपन स्तर तक निर्माण का अनुरोध-पत्र दिया था ? यदि हां, तो मार्ग किस एजेन्सी से कब तक बनवा दिया जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण प्रथम चरण में 338 मीटर लेपन स्तर तक पूर्ण हो चुका है तथा शेष निर्माण कार्य नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रगति पर है।

जनपद बस्ती के ब्लाक कुदरहा के ग्राम परेवा में विद्युत आपूर्ति की मांग

76— श्री लालमणि प्रसाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्राम परेवा, ब्लाक कुदरहा में वर्ष 1985 के पूर्व विद्युत हेतु खम्भे और तार लगाकर ग्राम परेवा का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो आज तक वहां विद्युतीकरण के बाद विद्युत आपूर्ति न किये जाने का क्या कारण है ? कब तक उक्त ग्राम परेवा में लगे खम्भों में विद्युत प्रवाहित करा करके ग्राम विद्युतीकरण का कार्य पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हाँ।

ग्राम में विद्युतीकरण के पश्चात् कोई भी विद्युत संयोजन ग्रामीणों द्वारा नहीं लिया गया। अतः विद्युत आपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर महापालिका में चुंगी चौकी नुनिहाई पर नाप-तौल व कांटा आदि गायब करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

77— डा० राम बाबू हरित–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि आगरा नगर महापालिका में नाप-तौल के कांटा आदि लाखों की सम्पत्ति को नगर महापालिका के किसी कर्मचारी ने बेंच दिया है? यदि हां, तो मुख्य नगर अधिकारी, आगरा ने उस प्रकरण पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो सरकार दोषी मुख्य नगर अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

नुनिहाई चौकी चुंगी नगर महापालिका, आगरा पर लगे नाप-तौल के काँटे आदि कर्मचारियों द्वारा गायब कर दिये जाने के विषय में जाँच कार्यवाही उप नगर अधिकारी, आगरा नगर महापालिका द्वारा की गयी है। जाँच अधिकारी की आख्या एवं अपर मुख्य नगर अधिकारी की संस्तुति के आधार पर 4 कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही मुख्य नगर अधिकारी द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर महापालिका जिला आगरा में अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

78— श्री राम बाबू हरित–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा नगर महापालिका आगरा में 17 जनवरी, 1994 को कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य नगर अधिकारी द्वारा जांच करने पर कितने कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये ? क्या मुख्य नगर अधिकारी, आगरा के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

दिनांक 17 जनवरी, 1994 को प्रातः 10.30 बजे नगर महापालिका के 104 कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये, इनमें से 30 आउट डोर स्टाफ के थे। शेष 74 कर्मचारियों के आधे दिन का आकस्मिक अवकाश काटने के आदेश दिये गये हैं।

मुख्य नगर अधिकारी द्वारा प्रभावी कार्यवाही करने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी स्थित नगरीय सहकारी बैंक लि० एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा धन के अपहरण तथा दुरुपयोग करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

79— श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा' –

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय सहकारी बैंक लि०, वाराणसी के वर्ष 90-91 तथा 91-92 के विशिष्ट लेखा परीक्षा, प्रतिवेदन में कई करोड़ रुपये अपहरण किये जाने का उल्लेख किया गया है ? यदि हां, तो प्रदेश के और कितने सहकारी बैंकों तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा उक्त प्रकार की गड़बड़ी किये जाने के मामले प्रकाश में आये हैं ? सहकारी संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक धन के अपहरण तथा दुरुपयोग करने पर प्रभावी रोक लगाने तथा दोषियों को कठोरतम दण्ड दिये जाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी हाँ।

प्रदेश में स्थित सहकारी बैंकों तथा सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित दुरुपयोग एवं गम्भीर अनियमितताओं के 34420 विशेष प्रतिवेदन 30-6-93 को अनिस्तारित रहे । इन अनिस्तारित विशेष प्रतिवेदनों में कुल 30352.92 लाख की धनराशि सन्निहित है जिसमें रु० 9769.41 लाख की धनराशि केवल अपहरण की उल्लिखित है ।

सहकारी संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक धन के अपहरण एवं दुरुपयोग करने पर प्रभावी रोक लगाने तथा दोषियों को कठोरतम् दण्ड दिये जाने हेतु ही संस्थाओं की वैधानिक सम्प्रेक्षा की व्यवस्था की गई है । सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन में पायी गयी अनियमितताओं की जांच के उपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, धन की वसूली हेतु अभिनिर्णय एवं अधिभार की कार्यवाही तथा अपराध के लिए अभियोग पुलिस को सौंपने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

वाराणसी नगर महापालिका के अन्तर्गत सीवर लाइन एवं रखरखाव की व्यवस्था

80— श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा' –

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी नगर के गन्दा पानी निकासी के पुराने बड़े-बड़े नालों, ड्रेनों को बन्द करके गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई द्वारा कम क्षमता के नये सीवर लाइन डालने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट द्वारा गन्दा पानी को कोनिया भेजने में पूरी तरह सफल न रहने से, नगर के सभी सीवर बुरी तरह जाम चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ओवर फ्लो गन्दा जल जमाव से नागरिकों को जहां एक तरफ कष्ट उठाना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बहुत से पुराने मकानों की नीवों में पानी लगने से मकानों में दरारें पड़नी शुरू हो गयी हैं ? नगर महापालिका ने लोगों के कष्ट निवारण करने में क्या प्रभावी कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस भयंकर जन कष्ट को दूर करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

सीवर जाम चलने के दर्शाये गये कारण सही नहीं है । वाराणसी नगर की मुख्य ट्रंक सीवर वर्ष 1917 में डाली गई थी, जिसकी डिजाइन क्षमता 22.5 एम० एल० डी० प्रतिदिन सीवेज ले जाने की थी । परन्तु वर्तमान में नगर की जनसंख्या ट्रंक सीवर की डिजाइन जनसंख्या से चौगुनी से भी अधिक हो चुकी है, जिसके कारण वर्तमान में इस सीवर में प्रतिदिन 100 एम० एल० डी० से अधिक सीवेज चलने का बोझ पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पीक आवर्स में सीवर के अन्तर्गत सीवेज का जमाव रहता है । पुरानी ट्रंक सीवर की क्षमता कम होना ही सीवेज जल जमाव होने का मुख्य कारण है ।

उपरोक्त कारणों से कुछ क्षेत्रों में पीक आवर्स में नागरिकों को कठिनाई होना स्वाभाविक है, परन्तु इस कारण पुराने मकानों की नीवों में पानी लगने से मकानों की दरारें पड़ने के दृष्टान्त अभी तक प्रकाश में नहीं आया है । नगर के अन्तर्गत सीवर सफाई एवं उसके रखरखाव का कार्य जल संस्थान/नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा बराबर किया जाता है ।

इस समस्या का निदान अतिरिक्त रिलीविंग सीवर डालकर किया जा सकता है । इस हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है । धन की उपलब्धता पर इस समस्या का निदान सम्भव हो सकेगा।

जनपद देहरादून के निर्वाचन क्षेत्र चकराता में त्यूनी पेयजल योजना के निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग

81—श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में त्यूनी पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो उक्त निर्माण कब पूर्ण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एक जलाशय का निर्माण कार्य शेष है । जलाशय निर्माण स्थल बदलने के कारण अभी पूरा नहीं हुआ है । मार्च, 1995 तक पूरा कर दिया जायेगा ।

जनपद देहरादून के निर्वाचन क्षेत्र चकराता के ग्राम सराड़ी से डान्डा देसेऊ तक विद्युत लाइन के निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग

82—श्री प्रीतम सिंह जी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम सराड़ी से ग्राम डान्डा देसेऊ तक विद्युत लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में विद्युत उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण कार्य नहीं हो सका है ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज के ग्राम अफोइया में विद्युत आपूर्ति की मांग

83—श्री अनिल कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1985 में ग्राम अफोइया तहसील गौरीगंज जनपद सुल्तानपुर में विद्युत लाइन खींचने के उपरान्त भी आज तक विद्युत आपूर्ति नहीं दी गयी है? यदि हां, तो क्यों? क्या अब आपूर्ति दी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

ग्राम ओफइया विकास खण्ड शाहगढ़, तहसील गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर का विद्युतीकरण वर्ष 1985 में किया गया था। परन्तु किसी उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन हेतु अनुबन्ध न करने के कारण ग्राम को विद्युत आपूर्ति नहीं दी गयी।

पर्याप्त संख्या में कनेक्शन हेतु अनुबन्ध होने पर विद्युत आपूर्ति दिया जाना निर्भर है।

जनपद सीतापुर में लहरपुर–लखीमपुर बस सेवा नियमित रूप से चलाने की मांग

84—श्री अनिल कुमार–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा लहरपुर, जनपद सीतापुर में लहरपुर-लखीमपुर बस सेवा नियमित रूप से चलाने संबंधी आपके द्वारा प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम को पत्र संख्या–105/वी० आई० पी०/प० न०/94 जो कि प्रश्नकर्ता को यथोचित कार्यवाही के लिए सूचित किया गया है, इस संबंध में प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम ने क्या कदम उठाये हैं? अभी कितने-कितने घण्टों पर बस संचालन के आदेश दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं।

प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा लहरपुर-लखीमपुर बस सेवा नियमित रूप से चलाने के निर्देश क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ को दिनांक 22-1-94 को दे दिये गये हैं;

वर्तमान में लखीमपुर-लहरपुर मार्ग पर 5 बसों द्वारा 12 अप तथा 12 डाउन ट्रिपों का संचालन किया जा रहा है जो मार्ग के दोनों ओर से औसतन एक घंटे में एक बस सेवा है।

उ० प्र० शासन और भारतीय किसान यूनियन के श्री महेन्द्र सिंह टिकैत के मध्य समझौते के अन्तर्गत कृषकों के विद्युत देय माफ करने की मांग

85—श्री तीरथ राज–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० शासन और भा० कि० यू० टिकैत के समझौता के फलस्वरूप किसानों के विद्युत बिल माफ करने हेतु कितना धन उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को आवंटित किया गया? निजी नलकूपों का कितना विद्युत बिल अब तक माफ किया गया? विद्युत बिल माफी के क्या मानक निर्धारित किये गये? क्या मानक के अन्तर्गत आने वाले सभी कृषकों के विद्युत देय माफ कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ० प्र० शासन और भारतीय किसान यूनियन् के श्री टिकैत से समझौते के फलस्वरूप किसानों के विद्युत बिल सशर्त माफ करने हेतु मात्र 137.64 करोड़ रु० उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को पुस्तक समायोजन द्वारा आवंटित किया गया।

शासन द्वारा निजी नलकूपों को कुल 154.73 करोड़ रु० विद्युत बकाया माफ किया गया।

1–प्रदेश के समस्त निजी नलकूप उपभोक्ताओं का वर्ष 1987-88 (12 माह) की सम्पूर्ण विद्युत बिल राशि को बिना किसी प्रतिबन्ध के माफ करने का निर्णय लिया गया था।

2- 1-4-88 से 30-11-89 तक के विद्युत बकायों से माफी हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित किये गये थे —

(क) प्राथमिकता के आधार पर सहकारी ऋण/विद्युत बकाया तथा विविध सरकारी बकायों को शामिल करते हुए किसी किसान को अधिकतम राहत रु० 10,000/= तक ही अनुमन्य था।

(ख) यह राहत उन्ही किसानों को उपलब्ध करायी गयी जिन्होंने 1 दिसम्बर, 89 से फरवरी, 1991 तक के विद्युत बकाये को मार्च, 1991 तथा अप्रैल, 1991 तक जमा कर दिया था।

(ग) किसानों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इस माफी योजना के क्रियान्वयन की अवधि जून, 1991, अगस्त, 1991 और अन्त में 30-9-91 तक बढ़ायी गयी थी।

जी हां। मानक में आने वाले सभी कृषकों के विद्युत देय शासन द्वारा माफ कर दिये गये हैं।

लखनऊ नगर में आधुनिक कालोनियों में सीवर लाइन तथा कच्ची गलियों के निर्माण की मांग

86-श्री राम कुमार शुक्ला-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में महानगर, अलीगंज तथा निरालानगर आधुनिक कालोनी को महानगरपालिका तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कर बेचा गया है ? यदि हां, तो इन वार्डो में सीवर लाइन की निकासी न होने का क्या कारण है ? सीवर लाइन बीच-बीच में स्थान-स्थान पर अलग-अलग क्यों है ? क्या इसे शीघ्र ठीक कराने का आदेश दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन आधुनिक कालोनियों में कच्ची गलियों को शीघ्र बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ० प्र० राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि० में कार्यरत परिवहन अधिकारी श्री बी० डी० चौरसिया के वेतन को उच्चीकृत करने की मांग

87—श्री राम आसरे वर्मा-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि० में पद एकाउन्टेन्ट/ फील्ड आफिसर कर्मचारियों में से श्री आर० एन० मिश्र, जनसम्पर्क अधिकारी तथा श्री बी० डी० चौरसिया, परिवहन अधिकारी, एक्स कैडर(दोनों) निःसंवर्गीय को चयनित/प्रोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो क्या इनके वेतनमानों में भिन्नता की गयी है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1971 में दोनों कर्मचारी एक ही वेतनमान में कार्यरत थे ? यदि हां, तो क्या

वर्तमान वेतनमान में जनसम्पर्क अधिकारी का वेतनमान रुपया 3000-4500 तथा परिवहन अधिकारी के पद का वेतनमान रुपया 1600–2660 दिया जा रहा है ? यदि हां तो क्यों ? तथा उक्त श्री बी० डी० चौरसिया, परिवहन अधिकारी का वेतन कब तक उच्चीकृत कर् दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

–जी हाँ ।

–जी हाँ ।

–जी हाँ ।

–जी हाँ ।

दोनों पदों के दायित्वों एवं अर्हताओं में भिन्नता होने के कारण उनके वेतनमान भी भिन्न-भिन्न हैं श्री मिश्र 1966 में आँकिक के पद पर सेवा में आये जबकि श्री चौरसिया वर्ष 1971 में । किन्तु वरिष्ठ होने के कारण श्री मिश्र 1974 में पी०आर०ओ० के पद पर पदोन्नत हो गये । श्री चौरसिया को एकाउन्टेन्ट के वेतनमान में ही मोटर वाहन सम्बन्धी कार्य भी 18-11-80 को सौंपा गया । तत्पश्चात् दिनांक 17-5-83 को इनका पदनाम परिवहन अधिकारी कर दिया गया । दिनांक 17-10-86 को वेतनमान 570–1100 में परिवहन अधिकारी का एक्स कैडर पद सृजित हुआ तथा इस पद पर चयन हेतु आवेदन मांगने पर प्राप्त आवेदनों में से श्री चौरसिया को परिवहन अधिकारी पद पर दिनांक 10-3-87 को तैनात किया गया । उसी दिनांक को श्री चौरसिया ने परिवहन अधिकारी के पद वेतनमान 570-1100 में पदभार ग्रहण कर लिया । इस प्रकार श्री चौरसिया परिवहन अधिकारी के पद पर चयन/ प्रोन्नति के समय आंकिक के मूल वेतनमान में कार्यरत थे । शाखा प्रबन्धक के वेतनमान 570-1100 से बढाकर 625-1240 किये जाने पर परिवहन अधिकारी का वेतनमान भी 570-1100से बढ़ाकर 625-1240 कर दिया गया तथा समता समिति के अनुसार यह वेतनमान बढ़ाकर 1600-2660 कर दिया गया । श्री मिश्र 1974 में फील्ड आफीसर के पद पर पदोन्नत हुए तत्पश्चात् 1976 से 1982 तक वह फील्ड आफिसर के वेतनमान में केयर टेकर का कार्य करते रहे । 21-5-85 को जनसम्पर्क अधिकारी का पद 850-1720 वेतनमान सृजित होने के बाद श्री मिश्र को जनसम्पर्क अधिकारी का वेतनमान 850-1720 देने का निर्णय हुआ । दिनांक 12-10-90 को श्री मिश्र को जनसम्पर्क अधिकारी पद पर कार्य करने हेतु 3000-4500 वेतनमान बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया । वर्तमान में प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परीक्षा तापीय परियोजना में चैनल के निर्माण में व्यय धनराशि की जानकारी

88–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परीक्षा तापीय परियोजना में चैनेल बनाने का कार्य, जिसका ठेका नं०–11 पी० सी० था, किसको दिया गया था ? क्या निविदा प्रपत्र खरीदने हेतु एक ही ठेकदार ने तीन अलग-अलग नामों पर प्रार्थना-पत्र

दिये थे? यदि हां, तो इस निर्माण कार्य पर कुल कितना धन व्यय किन-किन मदों में हुआ है? क्या यह सत्य है कि पानी की सतह के नीचे खुदाई करने की एवं पानी के ऊपर खुदाई करने की दरें वास्तविकता से क्रमशः आठ गुना एवं तिगुना अधिक रही है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या उक्त ठेकेदार ने इस मद में कोई और क्लेम भी किया है? यदि हां, तो वित्तीय अनियमितता की अद्यतन स्थिति क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

चैनल निर्माण कार्य का 11–पी० सी० का ठेका मैसर्स फ्रन्टियर कान्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि० 117/एल-214,नवीन नगर, कानपुर को दिया गया था।

जी नहीं, निविदा प्रपत्र खरीदने हेतु 6(छः) अलग-अलग ठेकेदारों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य हेतु राजकीय निर्माण निगम ने भी अपनी दरें प्रस्तुत की थी जो कि प्राप्त वैध निविदा की दरों से ऊंची पाई गयी। इस प्रकार निविदाधीन दरों का अधिक होने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता।

मैसर्स फ्रन्टियर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ने इस मद/अनुबन्ध में कोई क्लेम नहीं किया। श्री नीराज भाटिया जो पूर्व में इस कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में से एक थे एवं वर्तमान में मै० एफ० सी० सी० प्रोजेक्ट, 117/एम–10 काकादेव, कानपुर के मालिक हैं, ने 74,32,760/= का क्लेम न्यायालय के माध्यम से किया है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में किराये पर लिये गये भवनों पर व्यय धनराशि तथा बन्द पावर हाउस में कार्यालय खोलने की मांग

89—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ स्थित ऐसे कितने कार्यालय हैं जो किराये पर लिए गये भवनों में चल रहे हैं। उन पर अलग-अलग कार्यालय के अनुसार कुल कितना व्यय किराये के मद में वर्षवार हो रहा है? अलग-अलग कार्यालयों की कारपेट एरिया क्या है तथा उनकी शिड्यूल्ड दर क्या है? परिषद् द्वारा क्या किराया निर्धारित किया गया है तथा कार्यालयों के लिए किराये के भवनों में, किराये की दरों में भिन्नता क्यों है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मितव्ययता बरतने हेतु बन्द किये गये पावर हाउस में, इन कार्यालयों को खोला जायेगा? यदि हां, तो इसमें परिषद् को कुल कितने धन की बचत होगी? कार्यालय हेतु भवन बनवाने में कुल कितना धन व्यय होगा?

श्री मुलायम सिंह यादव—

ऐसे 64 कार्यालय हैं।

कार्यालय हेतु लिये गये भवनों के विस्तृत विवरण संलग्नक में प्रस्तुत

भवनों के कारपेट एरिया, अवस्थिति तथा कार्यालय की आवश्यकता को देखते हुये भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग दर निर्धारित है, जैसा कि संलग्नक के स्तम्भ–5 में दर्शित हैं। अलग-अलग समय में तथा अलग-अलग क्षेत्रों में भवन किराये पर लिये जाने के कारण किराये की दरों में भिन्नता है।

बन्द किये गये ऐशबाग पावर हाउस परिसर में सभी कार्यालयों को समायोजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बन्द किये गये ऐशबाग पावर हाउस परिसर में कार्यालय भवन निर्मित करके उनमें सभी को समायोजित करने में परिषद् को तत्काल लगभग रु० 7.5 करोड़ की आवश्यकता होगी जो वर्तमान विषय आर्थिक स्थिति में सम्भव नहीं है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 176 पर)

90—श्री परशुराम यादव—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

आदर्श टाउन एरिया घोषित करने के उपरान्त धन के आवंटन की जानकारी

91—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत शासन में जनपद की एक टाउन एरिया को प्रतिवर्ष आदर्श टाउन एरिया बनाने की योजना वर्तमान सरकार द्वारा समाप्त कर दी गयी है? यदि नहीं, तो वर्तमान सरकार आदर्श टाउन एरिया बनाने के लिए कितना-कितना धन प्रतिवर्ष आवंटित कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं।

आदर्श टाउन एरिया घोषित किए जाने के उपरान्त प्रत्येक टाउन एरिया को 2 लाख रुपये की धनराशि का सड़क अनुदान, 60 हजार रुपये विद्युत प्रकाश व्यवस्था एवं सफाई उपकरण तथा पेयजल हेतु 10 इंडिया मार्का–2 हैण्ड पम्प की व्यवस्था भी की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर (देहात) स्थित राजकीय पालीटेक्निक घाटमपुर को प्रदान विद्युत संयोजन

92—श्री बादू राम यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक, घाटमपुर, (कानपुर देहात) के लिए आवश्यक धनराशि विद्युत वितरण खण्ड, कानपुर को विद्युत कनेक्शन देने के लिए प्रदान कर दी गयी हैं? यदि हां, तो क्या अन्य औपचारिकतायें भी पूर्ण कर दी गयी हैं? यदि हां, तो क्या विद्युत वितरण खण्ड, कानपुर ने विद्युत कनेक्शन राजकीय पालीटेक्निक, घाटमपुर (कानपुर देहात) को प्रदान कर दिया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

राजकीय पालीटेक्निक घाटमपुर (कानपुर देहात) को दिनांक 31-3-94 को विद्युत संयोजन प्रदान कर दिया गया है।

93—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद कानपुर (देहात) की तहसील घाटमपुर के विकास खण्ड—भीतरगांव के ग्राम-चहरेहटा के श्री शिव प्रसाद पुत्र नारायण प्रसाद के नलकूप को विद्युत कनेक्शन दिया जाना

94—श्री राकेश सचान—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिव प्रसाद पुत्र श्री नारायण प्रसाद, ग्राम चहरेहटा, तहसील—घाटमपुर, ब्लाक—भीतरगांव, जनपद—कानपुर देहात द्वारा कृषि हेतु नलकूप में विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु स्वीकृत एस्टीमेट की धनराशि रुपया 24,368 दिनांक 25-8-93 को रसीद संख्या-25, बुक नम्बर-05792 द्वारा विभाग में जमा की गयी थी? यदि हां, तो क्या उक्त नलकूप में विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है? यदि नहीं, तो उक्त विद्युत कनेक्शन कब तक दे दिया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

श्री शिव प्रसाद पुत्र श्री नारायण प्रसाद, ग्राम चहरेहटा, तहसील—घाटमपुर, ब्लाक भीतरगांव, जनपद-कानपुर (देहात) को कृषि हेतु नलकूप में विद्युत कनेक्शन दिनांक 25-3-1994 को दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

95—श्री प्रीतम सिह (देहरादून)—

[6ठे बुध में अता० प्र० सं०—140 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद देहरादून के निर्वाचन क्षेत्र चकराता के समस्त ग्रामों में विद्युत आपूर्ति की मांग

96—श्री प्रीतम सिह (देहरादून)—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है? क्या विद्युतीकृत समस्त ग्रामों में विद्युत उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

चकराता निर्वाचन क्षेत्र में चकराता, कालसी, विकासनगर, सहसपुर विकास खण्ड आते हैं जिनमें 540 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। विकास खण्ड चकराता व कालसी में क्रमशः 9 व 11 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य अपूर्ण है। इन 20 ग्रामों में से अधिकतर ग्रामों में खम्भे पहुंचा दिये गये थे कुछ ग्रामों में अन्य सामान भी उपलब्ध है परन्तु पूरा सामान न होने के कारण अपूर्ण कार्य पूरा नहीं कराया जा सका है। इसके अतिरिक्त 30 ग्रामों में लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्युत प्रवाह नहीं किया जा रहा है जो कि दैवीय आपदाओं, अधिक वर्षा, बाढ़ व हिमपात से क्षतिग्रस्त हुई हैं।

आगरा महानगर में खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की मांग

97—डा० राम बाबू हरित—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा महानगर में कितने हैण्ड पम्प स्थाई रूप से खराब हैं? क्या उक्त नलकूपों को शीघ्र ही ठीक कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक—

आगरा महानगर में कुल 3140 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित हैं जिनमें से 253 हैण्ड पम्प स्थाई रूप से खराब हैं।

उक्त नलकूप न होकर हैण्ड पम्प है। स्थाई रूप से खराब हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प धनाभाव के कारण अधिष्ठापित नहीं किये जा सके।

जनपद बस्ती के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों में विद्युतीकरण की मांग

98—श्री राम करन आर्य—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में कितने ग्रामों में विद्युतीकरण हो गया है? कितने ग्राम विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित हैं। उक्त प्रस्तावित ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक किया जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद बस्ती में 31-3-93 तक 1039 ग्रामों का विद्युतीकरण एल०टी० मेन्स बिछा कर हो गया है जबकि सी०इ०ए० की परिभाषा के अनुसार 2431 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है।

वर्ष 1993-94 में कुल 31 ग्राम सी०ई०ए० एवं एल०टी० से तथा 29 ग्राम एल०टी० मेंस बिछाकर विद्युतीकरण के लिये प्रस्तावित हैं। इनमें से क्रमशः 20 ग्राम एवं 7 ग्राम दिनांक 31-1-94 तक विद्युतीकरण किये जा चुके हैं।

उक्त प्रस्तावित ग्रामों में से शेष ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद हरदोई की टाउन एरिया कुरसठ में सड़क निर्माण हेतु अनुदान की मांग

99—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की टाउन एरिया कुरसठ एक ऐसा निकाय है जहां एक भी इंच डामरयुक्त मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त टाउन एरिया में मार्ग एवं नालियों हेतु विशेष अनुदान देने की कार्यवाही मंत्री जी करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ।

टाउन एरिया कुरसठ को सड़क अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 1993-94 में रु० 1.20 लाख का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। दो सड़कों को डामरयुक्त बनवाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जल संस्थान में लिपिक वर्ग में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

100—श्री नन्द लाल सिंह पटेल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जल संस्थान में वर्तमान समय में कितने लिपिक वर्गीय कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के कोटा की पूर्ति की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि महाप्रबन्धक लखनऊ जल संस्थान द्वारा नगर विकास अनुभाग-3 को दिये गये पत्र संख्या-392/एल०जे०एस०/80/जी०एम०, दिनांक 19-6-91 द्वारा अनुसूचित जाति के कर संचयक का रिक्त पद दर्शाया गया है? यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति उक्त रिक्त कर संचक के पद पर कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक—

लखनऊ जल संस्थान में वर्तमान समय में 66 कर्मचारी लिपिक पद पर कार्यरत हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के कोटा की पूर्ति नहीं की गई है, क्योंकि शासनादेश संख्या 6353/9-3-89-260 डब्लू/89, दिनांक 19-2-90 के तहत 356 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 20 फरवरी, 1990 द्वारा नियमित किया गया था। नियमित उन सभी कर्मचारियों को किया गया था जो दैनिक वेतन पर पूर्व से कार्य कर रहे थे। इस कारण कोटा की पूर्ति नहीं हो सकी।

जी हाँ।

जी हाँ।

सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, उ० प्र०, लखनऊ के अधीन सहकारी संस्थाओं में ज्येष्ठता का निर्धारण

101—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, उ० प्र०, लखनऊ के अधीन विभिन्न जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारी वर्ग–3 के वरिष्ठता निर्धारण की क्या नीति है? अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने के पूर्व ऐसे कितने प्रत्यावेदन प्राप्त हुए थे जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके बैंक के कार्यभार की तिथि से प्रदान की जाय। क्या यह सत्य है कि कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण में धांधली बरती गयी है? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी दिनांक 16-3-87 की वरिष्ठता सूची सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त चयनित सूची में कार्यभार ग्रहण की तिथि के आधार पर कौन-कौन से कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित की गयी?

श्री मोहम्मद आजम खां—

उ० प्र० सहकारी समिति सेवा विनियमावली के विनियम 26 में मंडल के कार्यक्षेत्र में आने वाली सहकारी संस्थाओं में ज्येष्ठता निर्धारण का निम्नवत् प्राविधान है :—

26—ज्येष्ठता—सहकारी समिति के अधीन सेवा में किसी पद क्रम या पदों की श्रेणी में ज्येष्ठता उस पद क्रम या श्रेणी में कर्मचारियों की मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और, जहां दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किये जायें, वहां उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में हों, अवधारित की जायेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि :—

(क) किसी पद क्रम या पदों की श्रेणी से सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी, जो मंडल द्वारा चयन के समय अवधारित की गयी हो,

(ख) किसी पद क्रम या पदों की श्रेणी में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता, उनकी पदोन्नति से पूर्व उनके द्वारा मौलिक रूप से धृत पद पर उनकी ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(ग) जहां किसी पद क्रम या पदों की श्रेणी में नियुक्त अंशतः सीधी भर्ती द्वारा और अंशतः निम्न पद क्रम या पद से पदोन्नति द्वारा की जाये, वहां दोनों स्त्रोतों से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्डों के अधीन तैयार की गयी ज्येष्ठता सूचियों से बारी-बारी से अभ्यर्थियों को लेकर अवधारित की जायेगी। प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ख) के अधीन तैयार की गयी सूची के कर्मचारियों के नाम, प्रतिबन्धात्मक खंड–(क) के अधीन तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम के पहले रखे जायेंगे।

अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने से पूर्व कोई भी प्रत्यावेदन मंडल को भेजे जाने का प्राविधान नहीं है।

विनियमों के अन्तर्गत वरिष्ठता निर्धारण का कार्य सम्बन्धित जिला सहकारी बैंकों का है।

दिनांक 16-3-87 की वरिष्ठता सूची किस बैंक से सम्बन्धित है, का उल्लेख न होने से उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न अस्पष्ट होने के कारण उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सचिवालय कर्मियों के लम्बित वाद का प्रकरण

102—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सचिवालय कर्मियों के कितने मामले किन-किन विषयों पर कब से न्यायालय में लम्बित हैं? कितने प्रकरणों पर एक पक्षीय निर्णय हुआ है? ऐसे कितने मामलों में भू-राजस्व वसूली की भांति जिलाधिकारी द्वारा धन वसूल किया गया है? कितना रुपया जिला प्रशासन को भुगतान करना पड़ा है? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? उनके नाम, पदनाम व तैनाती स्थान क्या हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव—

कुल 38 मामले न्यायालय में लम्बित हैं? (सम्पूर्ण विवरण संलग्न है)† ।

किसी भी प्रकरण में एक पक्षीय निर्णय नहीं हुआ है।

केवल एक मामले में उप श्रमायुक्त के आदेश पर तहसीलदार, लखनऊ द्वारा भू-राजस्व की भाँति धन की वसूली की गयी।

तहसीलदार, लखनऊ द्वारा कुल रु० 3,87,283.30 पैसे की बैंक रसीद राज्य विद्युत परिषद् के अशोक मार्ग स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया के खाते से अवमुक्त करा ली गयी थी। परिषद् का कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है क्योंकि अपर जिलाधिकारी (राजस्व) द्वारा उक्त धनराशि वसूली को एक माह तक स्थगित रखने के आदेश दिये जाने के बावजूद तहसीलदार, लखनऊ द्वारा उपर्युक्त धनराशि की बैंक रसीद राज्य विद्युत परिषद् के अशोक मार्ग स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया के खाते से अवमुक्त करा ली गयी थी। संबंधित धनराशि के श्रमिक पक्ष को भुगतान न किए जाने हेतु परिषद् के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगनादेश प्राप्त है तथा तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत राशि का भुगतान विरोधी पक्षों को नहीं किया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 180 पर)

आगरा नगर महापालिका, जिला आगरा के प्रश्नगत अवधि में सेवानिवृत कर्मचारियों के बकाये धन के भुगतान की मांग

103–श्री रमेश कान्त लवानिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका आगरा के वह कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व सेवा निवृत हो गये हैं, की पेंशन के दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 28 फरवरी, 1993 तक के बकाया धन का भुगतान हो गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार भुगतान हेतु नगर महापालिका आगरा को अनुदान देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

नगरमहापालिका के जो कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गये हैं, के पुनरीक्षित पेंशन के अन्तर का बकाया दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 28 फरवरी, 1993 तक लगभग 99,48,443/–रु० भुगतान हेतु अवशेष है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इसकी जिम्मेदारी शासन की नहीं है।

नगर महापालिकाओं में प्रश्न अवधि के अन्तर्गत सेवा निवृत कर्मचारियों को पेंशन निर्धारण में नये वेतनमान का लाभ देने की मांग

104–श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिकाओं के वह कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 30 जून, 1986 की अवधि में सेवानिवृत हुए हैं, की पेंशन निर्धारित करने में नये वेतनमान का लाभ दिया गया है? यदि हां, तो किस प्रकार से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक लि०, बहजोई शाखा मुरादाबाद में कार्यरत असिस्टेंट फील्ड आफीसर श्री सुखदेव प्रसाद को समयमान वेतनमान देने की मांग

105–श्री बची सिंह रावत–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुखदेव, असिस्टेंट फील्ड आफीसर, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लिमिटेड, बहजोई, शाखा मुरादाबाद कब से सेवा में है? क्या यह सही है कि वर्तमान पद पर उनको समयमान, वेतनमान अनुमन्य होने के बावजूद भी उन्हें इस सुविधा से लाभान्वित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस विषय पर शीघ्र ही उचित कार्यवाही करने पर विचार करेगी?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

दिनांक 20–10–73 से। सेवा विवरण अनुसार 20–10–94 को समयमान देय होगा। 18–11–83 से 2–7–84 तक निलम्बित रहे, नियमित सेवाकाल सन्तोषजनक न होने के कारण वेतनमान अब तक अनुमन्य नहीं हो सका।

वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

परिवहन विभाग में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

106–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या परिवहन विभाग में उपलब्ध पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों? आरक्षित पदों की वर्तमान संख्या क्या है? क्या इसे पूर्ण करने के लिए कोई योजना तैयार की गयी है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है?

श्री आर० के० चौधरी–

परिवहन निगम में श्रेणी "घ" में अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूर्ण है। अन्य श्रेणियों में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण नहीं है। अनुसूचित जनजाति का कोटा किसी भी श्रेणी में पूर्ण नहीं है।

परिवहन आयुक्त संगठन में "ख" और "ग" में अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूर्ण है। शेष श्रेणियों में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण नहीं है। "ख", "ग" तथा "घ" श्रेणियों में अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा नहीं है। "क" श्रेणी मे आने वाले संवर्गों में अनुसूचित जन जाति का कोटा नहीं बनता।

परिवहन निगम में श्रेणी "क" व "ख" के पोषक संवर्गों में उपर्युक्त कार्मिक उपलब्ध न होने तथा श्रेणी "ग" में पूर्व से पदों के भरे होने तथा चालक पद हेतु अर्ह अभ्यर्थी सुलभ न हो पाने के कारण आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं है।

परिवहन आयुक्त संगठन में "ख" एवं "ग" श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड तथा विभागीय चयन समिति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीधी भर्ती से भरे जाने वाले आरक्षित रिक्त पदों के भरने हेतु लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड को अधियाचन भेज दिया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए पोषक संवर्ग में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं। लिपिक वर्गीय "ग" श्रेणी में नियमित चयन न होने के कारण आरक्षित पद नहीं भरे जा सके और जो भर्तियां की गई हैं वह तदर्थ रूप से की गई हैं।

परिवहन विभाग में स्वीकृत जनशक्ति के अनुसार आरक्षित पदों की श्रेणीवार संख्या निम्नवत् है :–

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
श्रेणी "क"	18	1
श्रेणी "ख"	87	9
श्रेणी "ग"	2246	916
श्रेणी "घ"	2654	290
श्रेणी "घ" केवल स्वीपर्स	835	...
योग	11840	1216

परिवहन निगम में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित कोटा के आधार पर पूर्व में आरक्षित पदों की संख्या के अनुरूप रिक्तियां पूरी न हो सकने के कारण शासकीय नीतियों के अनुसार समूह "ग" तथा "घ" में आरक्षण का कोटा बढ़ाकर क्रमशः 25% तथा 30% रखा गया है। प्रोन्नति हेतु पोषक संवर्गों में कर्मचारी उपलब्ध न होने पर प्रोन्नति के आरक्षित पदों को पोषक संवर्ग में सीधी भर्ती में परिवर्तित कर विशेष चयन किये गये हैं।

जनवरी, 1990 से सामान्य जाति की सीधी भर्ती प्रतिबन्धित है तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विशेष चयन आयोजित कर आरक्षित पदों की पूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही मृत्यु, त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति तथा सेवा समाप्ति से हुए रिक्त पदों पर आन्तरिक प्रोन्नति को छोड़कर अन्य कारणों से रिक्त पदों पर सामान्य जाति की प्रोन्नतियां भी प्रतिबन्धित हैं जबकि आरक्षित पदों की पूर्ति सभी रिक्त पदों पर प्रोन्नति कर, की जा रही है।

परिवहन आयुक्त संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को अभियान चला कर भरने की योजना है।

आटा मिल रोड, मवइया, ऐशबाग, जनपद लखनऊ स्थित मछली मण्डी की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने की मांग

107–श्री बची सिंह रावत–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आटा मिल रोड, मवइया, ऐशबाग, लखनऊ स्थित मछली मंडी की भूमि पर (लगभग एक एकड़ भूमि) अवैध रूप से लखनऊ के भूमि माफिया द्वारा फर्जी रजिस्ट्री कराकर और अब बाउन्ड्री वाल खींचकर प्लाटिंग कराकर करोड़ों रुपये की भूमि बिक्री करने की सार्वजनिक सूचना लगा दी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार दलितों, शोषितों के पेशा एवं आवास से जुड़ी हुयी उक्त भूमि के बेचने वाले तथा खरीदने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए रजिस्ट्री की वैधता की जांच कराकर तत्काल कार्यवाही करके उक्त भूमि को पूर्व की भांति उन्हीं वर्गों को सौंपने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कपिल इन्टर प्राइजेज को भागीदार के पत्र से सम्बन्धित भुगतान सम्बन्धी प्रकरण

108–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का दिनांक 10–1–94 का पत्र कपिल इन्टर प्राइजेज के भागीदार के प्रार्थना-पत्र के साथ प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उनमें इंगित भुगतान से सम्बन्धित पक्ष को कर दिया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

जी हाँ,

जी नहीं।

वाद सं 2/85–86 से सम्बन्धित 22,100–28 पैसे के संबंध में लेखा समाधानीकरण आवश्यक है जिसके पश्चात् ही भुगतान करना संभव होगा। वाद सं० 4/85–88 से संबंधित 85,961–92 पैसे के संबंध में याचिका संख्या-4786/87, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है तथा सहकारी न्यायाधिकरण, लखनऊ का आदेश दिनांक 30–4–87, दिनांक 15–9–87 को माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा स्थगित हो गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही भुगतान करना संभव होगा।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर को नियमित विद्युत आपूर्ति

109–श्री परशुराम यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के बीकापुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की अस्त-व्यस्त व्यवस्था तथा इसी कारण राजकीय नलकूपों से किसानों को सिंचाई हेतु पानी न मिल पाने से फसलों को हुए नुकसान और विद्युत अनापूर्ति के ही कारण लघु उद्यमियों को हुए नुकसान आदि के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्र दिनांक 23–12–93 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस शिकायती-पत्र पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20–12–93 अवश्य प्राप्त हुआ है।

दिनांक 28–11–93 को 132 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र दर्शननगर पर स्थापित 33 के० वी० के एक ओ० सी० बी० में खराबी आ गई थी जो दिनांक 26–12–93 को ठीक कर दी गई है तथा अब बीकापुर क्षेत्र को नियमित विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र पुरवा जनपद उन्नाव के विकास खण्ड-असोहा, पुरवा व हिलौली में इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाने की मांग

110–श्री हृदय नारायण–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा विधान सभा क्षेत्र में कुओं का जलस्तर गिरते जाने से उत्पन्न स्थिति से अवगत कराते हुए प्रश्नकर्ता के मुख्य मंत्री को माह दिसम्बर, 93 व जनवरी, 94 में प्रेषित तीन पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त पत्रों की प्रार्थना के अनुरूप पुरवा क्षेत्र के तीनों ब्लाकों असोहा, पुरवा व हिलौली का कोई सर्वेक्षण हुआ है? यदि हां, तो क्या शासन की सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुरूप उक्त तीनों ब्लाकों में इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प लगाकर स्वच्छ पेयजल दिलाने की योजना है? यदि हां, तो योजना कब तक पूरी होगी?

श्री रमा शंकर कौशिक–

मा० मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के 2 पत्र दिनांक 23–12–93 व 27–1–94 प्राप्त हुए हैं।

जी हाँ।

योजना का कार्यान्वयन संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रदेश में पेयजल की समस्या को दूर करने हेतु स्थायी व्यवस्था की मांग

111–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं। क्या शासन ने टाउन एरिया क्षेत्रों में पीने के पानी की कोई स्थायी व्यवस्था की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

राज्य सरकार पेयजल समस्या को दूर करने के लिये नागर क्षेत्रों में नागर पेयजल कार्यक्रम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत धन की उपलब्धता के अनुसार पाइप पेयजल योजनाओं और हैण्डपंप के अधिष्ठापन का कार्य कर रही है।

नागर पेयजल योजना कार्यक्रम के अतिरिक्त आदर्श टी० ए० सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत टाउन एरिया क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगाये जाते हैं। साथ ही 20 हजार से कम जनसंख्या वाले नगरों में पेयजल की समस्या दूर करने के लिये भारत सरकार द्वारा त्वरित नागर पेयजल सम्पूर्ति कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, जिसमें भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा आधा-आधा व्यय वहन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र पश्चिम में स्थित आधुनिक कालोनियों के पार्कों को विकसित करने की मांग

112–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में अलीगंज, महानगर, निरालानगर, नेपियर रोड कालोनी तथा चौपटिया कालोनी जैसी आधुनिक कालोनियों का निर्माण नगर महापालिका लखनऊ तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त पार्क अभी तक उजाड़ पड़े हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनका विकास कार्य पूरा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हाँ।

धन की उपलब्धता के आधार पर पार्कों का रख-रखाव किया जाता है। प्रश्नगत पार्क अविकसित है।

अविकसित पार्कों का रख-रखाव धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

समय–सीमा निर्धारण करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के निवाज गंज वार्ड में प्रश्नगत सड़क बनाने की मांग

113–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर के वार्ड निवाजगंज में पुलिस चौकी अम्बरगंज से यासीनगंज होते हुये कैम्पबेल रोड तक सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत हो गई है? यदि हां, तो इसका कार्य कब से प्रारम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के अलीगंज वार्ड में सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त होने पर रवीन्द्र गार्डेन स्थित सड़क का निर्माण कार्य सम्भव

114–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर में अलीगंज वार्ड में रवीन्द्र गार्डेन बनाया गया है? यदि हां, तो क्या यहां की मुख्य सड़क ऊंची-नीची ताल-तलैया वाली है? यदि हां, तो क्यों? क्या इस सड़क के निर्माण हेतु रवीन्द्र गार्डेन एसोसियेशन ने 8.30 लाख रुपये जमा किये हैं? यदि हां, तो अब तक सड़क निर्माण न कराये जाने का क्या कारण है? क्या सड़क के शीघ्र निर्माण होने की कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हाँ।

विकास कार्य न होने के कारण।

जी नहीं। 18 मी० सड़क के निर्माण हेतु 7.25 रु० लाख जमा किया गया है। जबकि अनुमानित लागत 8,73,577.00 है।

सम्पूर्ण धनराशि न प्राप्त होने के कारण ही कार्य आरम्भ नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा वांछित धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराना सम्भव हो सकेगा।

लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत नलकूपों के निर्माण की मांग

115–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में कितने नलकूप शासन से स्वीकृत हैं, जिन्हें अब तक लगाया नहीं गया है? इन्हें कब तक लगाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अलीगंज वार्ड लखनऊ के सेक्टर एन में एक नया नलकूप गत एक वर्ष से बन कर तैयार है? यदि हां, तो क्या उसे चालू किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त नलकूप को कब तक चालू किया जायेगा?

श्री रमा शंकर कौशिक–

लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में कुल 5 नलकूप स्वीकृत हैं जो लग चुके हैं।

जी हाँ।

पावर कनेक्शन उपलब्ध न होने के कारण उसे अभी चालू नहीं किया गया है।

पावर कनेक्शन उपलब्ध होते ही इसे चालू कर दिया जायेगा।

जनपद प्रतापगढ़ में रोड टैक्स जमा न करने वाले बस स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

116–श्री राम लखन यादव–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जिले में कितनी प्राइवेट बसों के मालिकों को बस सेवाएं संचालित करने हेतु परिवहन विभाग ने विधिक परमिट जारी किए हैं? उक्त परमिट किन-किन मार्गों के लिए जारी किए गये हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के निजी बस मालिकों में से कितने बस मालिकों द्वारा यात्रीकर रोड टैक्स नियमानुसार जमा किया गया है? शासन द्वारा अब तक रोड टैक्स न जमा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री आर० के० चौधरी–

प्रतापगढ़ जनपद में कुल 98 प्राइवेट बसों के मालिकों को बस सेवा संचालित करने हेतु परमिट जारी किये गये हैं। मार्गवार परमिटों का विवरण संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

उपर्युक्त 98 बसों में से 6 बसों के परमिट सम्बन्धित बस स्वामियों द्वारा समर्पित कर दिये गये हैं। 72 बस स्वामियों द्वारा यात्रीकर तथा रोडटैक्स नियमानुसार जमा किया गया है।

अद्यावधिक रोडटैक्स जमा न करने वाले 20 बस स्वामियों के विरुद्ध विभागीय मांग पत्र जारी किये गये हैं।

"(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 183 पर)।

जनपद प्रतापगढ़ के प्रश्नगत मार्गों पर बन्द बसों को पुनः चलाने की मांग

117–श्री राम लखन यादव–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जिले के ठरवग पट्टी-प्रतापगढ़, रामगंज पट्टी-प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ -किसुनगंज, मतफापुर पट्टी-प्रतापगढ़, पट्टी ठरवग- जौनपुर, प्रतापगढ़

-पट्टी सेफरार व अमरगढ़ से पास गुजरने वाली सभी बसें, जो इलाहाबाद, जौनपुर, बनारस, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर जाया करती थीं, वर्तमान में क्यों बन्द कर दी गई हैं? क्या सरकार उक्त बन्द हो गयी बस सेवाओं को जनपद के यात्रियों की सुविधा हेतु किस तारीख से प्रारम्भ करवाएगी?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं।

प्रतापगढ़/जौनपुर के निकटवर्ती इलाके के इन प्रश्नगत मार्गों से इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ-दिल्ली तथा कानपुर को जोड़ने वाली सभी बसें बन्द नहीं की गई हैं। पूर्व में प्रश्नगत मार्गों पर प्रतापगढ़, प्रयाग, सिविल लाइन्स व जौनपुर डिपो द्वारा कुल 32 ट्रिपों का संचालन किया जा रहा था जबकि वर्तमान में 34 ट्रिपों का संचालन किया जा रहा है। केवल वाराणसी हेतु सीधी सेवा को कम आय प्राप्त होने के कारण बन्द करना पड़ा परन्तु वाराणसी के लिए जौनपुर एवं इलाहाबाद से सेवायें उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

को-आपरेटिव साधन सहकारी समितियों मे कार्यरत सेल्स मैनों को न्यूनतम वेतन देने की मांग

118–श्री हृदय नारायण–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि को-आपरेटिव साधन सहकारी समितियों में कार्यरत हजारों सेल्स मैनों को न्यूनतम वेतन दिये जाने के आदेश कब व किस माह में जिला केन्द्रों पर कार्यरत सहायक निबंधकों को भेजे गये थे? क्या मंत्री जी अवगत हैं कि रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटीज के आदेश के बावजूद अनेक सहायक निबंधकों ने न्यूनतम वेतन देना अब तक प्रारम्भ नहीं किया है? क्या सरकार न्यूनतम वेतन सम्बन्धी आदेश का परिपालन न कराने वाले सहायक निबंधकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी। यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सदर एवं मान्धाता के ग्रामों में विद्युतीकरण की असमानता को दूर करने की मांग

219–श्री लालबहादुर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सदर एवं मान्धाता में कुल गांवों मे से कितने प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है? क्या यह भी बतायेंगे कि जनपद के अन्य तेरह विकास खण्डों में कितना प्रतिशत विद्युतीकरण ग्रामों में हुआ है? क्या उनमें विद्युतीकरण क्षेत्र में असमानता है? यदि हां, तो क्यों? इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही अब की जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र, सदर प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सदर एवं मान्धाता में कुल विद्युतीकृत ग्रामों की स्थिति निम्नवत् हैं :–

क्र० सं०	विकास खण्ड	कुल ग्रामों की की संख्या	के० वि० प्रा० द्वारा विद्युतीकृत का प्रतिशत	एल० टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकृत का का प्रतिशत
1	सदर	134	85	45
2	मान्धाता	172	48	24

जनपद प्रतापगढ़ के शेष 13 विकास खण्डों में ग्रामों के विद्युतीकरण की स्थिति निम्नवत है :–

क्रम सं०	विकास खण्ड	कुल ग्रामों की संख्या	के०वि०प्रा० द्वारा विद्युतीकरण का प्रतिशत	एल०टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकरण का प्रतिशत
1	संडवाचन्द्रिका	133	71	35
2	मंगरौरा	208	73	52
3	पट्टी	159	47	23
4	आसपुरदेवसरा	144	84	44
5	शिवगढ़	180	67	33
6	गौरा	125	64	42
7	कालाकांकर	114	73	65
8	बाबागंज	141	48	21
9	कुण्डा	130	93	91
10	बिहार	114	50	30
11	रामपुरखास	192	89	83
12	लक्ष्मणपुर	127	53	19
13	सागीपुर	124	91	85

जी हां। विद्युतीकरण हेतु ग्रामों का चयन जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है। पूर्व में चयन की कार्यवाही निर्धारित समिति द्वारा की गयी है। अतः परिषद् का इस पर नियंत्रण नहीं है।

जनपदीय सलाहकार समिति के समक्ष तथा प्रस्तुत कर क्षेत्रीय समानता रखने का अनुरोध किया जायेगा।

जनपद प्रतापगढ़ के समस्त विधान सभा क्षेत्रों में विद्युतीकरण की मांग

120—श्री लालबहादुर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ में स्वीकृत हैमलेट योजना के अन्तर्गत कितनी संख्या थी? वर्जित विद्युतीकरण के अन्तर्गत कितने गांव लिये गये हैं? उक्त जनपद की सातों विधान सभा क्षेत्र में किसमें कितना विद्युतीकरण किया गया था? यदि नहीं, तो क्या अब विद्युतीकरण किया जा रहा है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1993-94 में हैमलेट योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एवं चयनित पुरवों की संख्या 14 थी।

वरजित विद्युतीकरण के अन्तर्गत 10 ग्रामों के लक्ष्य के अनुसार चयनित किये गये हैं। जनपद प्रतापगढ़ में विद्युतीकरण का विकास खण्डवार विवरण निम्न है :–

		केन्द्रीय वि०प्रा० की परिभाषा द्वारा विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	एल० टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या
क्रम सं०	विकास खण्ड	ग्रामों की संख्या	ग्रामों की संख्या
1	सदर	115	61
2	मान्धाता	84	42
3	सडवा चंडिका	55	47
4	मंगरौरा	152	109
5	पट्टी	75	38
6	आसपुरदेवसरा	121	64
7	शिवगढ़	121	61
8	गौरा	80	53
9	कालाकांकर	84	75
10	बाबागंज	69	31
11	कुण्डा	121	119
12	बिहार	57	35
13	रामपुर खास	172	160
14	लक्ष्मणपुर	68	25
15	सागीपुर	113	106

शेष ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के कस्बों में स्थापित नलकूपों के जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने तथा उपभोक्ताओं को छूट प्रदान करने की मांग

121—श्री बशीर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के कस्बे के और नलकूपों के जले हुए ट्रांसफार्मर कब तक बदलकर नये लगाये जाने की सरकार की योजना है? क्या वि० स० क्षेत्र मौदहा के ग्राम कहरा से तार कटिंग के कारण एक दर्जन से अधिक ग्रामों की बिजली बन्द पड़ी है? यदि हां, तो बन्द पड़ी हुई बिजली को ठीक कराकर कब तक चालू करने की शासन की योजना है। विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों की सत्यता व रीडिंग की न्यायिक जांच कराकर पूर्व सरकारों द्वारा दी जाने वाली छूटें दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के कस्बों और नलकूपों के जले हुये ट्रांसफार्मरों की उनकी उपलब्धता के अनुसार बदला जा रहा है।

जी हां, विधान सभा क्षेत्र मौदहा के ग्राम कहरा से तार कटिंग के कारण (ग्यारह) 11 ग्रामों की बिजली बन्द पड़ी हैं। लाइन के तार व अन्य सामान उपलब्ध होने के बाद लाइन पुनः चालू कर दी जायेगी।

जिन ग्रामों की तार कटिंग के कारण लम्बे अर्से से बिजली बन्द पड़ी है उन ग्रामों के उपभोक्ताओं को वर्तमान नीतियों के अनुसार छूट प्रदान की जाती है।

जनपद उन्नाव के जल निगम के छटनी शुदा कर्मचारी श्री अश्विनी कुमार को उपलब्ध रिक्तियों की नियुक्ति में वरिष्ठता क्रम में रखने पर विचार

122—श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अश्विनी कुमार, आशुलिपिक जो जल निगम उन्नाव में कार्यरत थे, को अधीक्षण अभियन्ता ने बिना किसी कारण से पदमुक्त कर दिया है। क्या श्री कुमार को न्यायालय में शरण लेनी पड़ी और न्यायालय ने श्री कुमार को उक्त पद पर बहाल करने के आदेश दिये क्या न्यायालय के आदेश का परिपालन नहीं किया गया है? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

श्री अश्विनी कुमार दिनांक 31.8.89 के पश्चात् दैनिक वेतन पर रखे गये थे, इस तिथि के पश्चात् दैनिक वेतन भोगी कार्यप्रभारित कर्मचारियों की छटनी नीति के अन्तर्गत नियमानुसार इनकी छटनी अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव द्वारा की गई।

जी हां। मा० उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुसार भविष्य में होने वाली रिक्तियों पर छटनी शुदा कर्मचारियों की वरिष्ठताक्रम में नियुक्ति करने पर जल निगम द्वारा विचार किया जाना है। अभी जल निगम के पास रिक्तियां उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर के ग्राम-रेथाना निवासी श्री सियाराम पुत्र श्री कन्हई की विद्युत से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में अनुग्रह धनराशि की मांग

123—श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29-12-93 को जनपद उन्नाव के ग्राम रेथाना ब्लाक सिकन्दरपुर थाना थर्धापुर में 11 हजार वोल्टेज का बिजली का तार टूटा पड़ा था जिससे श्री सियाराम पुत्र श्री कन्हई की चिपक कर मृत्यु हो गयी। यदि हां, तो मृतक के परिवार को विभाग द्वारा एवं प्रशासन द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

निदेशक (विद्युत सुरक्षा) की संस्तुति के आधार पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मृतक के परिवार को रुपये 10,000 (रुपये दस हजार) की अनुग्रह धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा चयनित सेल्समैनों का यूपिका प्रशासनिक समिति द्वारा अभ्यर्थियों की नियुक्ति न किये जाने का निर्णय

124—श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 161 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा क्या अब तक कोई निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो यह निर्णय क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

दि० 9-3-90 को यूपिका प्रशासनिक समिति, एवं दिनांक 21-3-92 को शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उ० प्र० सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ द्वारा चयनित 91 विक्रेताओं को यूपिका की स्टाफ एवं वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए नियुक्ति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य) लेसू, लखनऊ में भुगतान सम्बन्धी आंकड़े फीड करने हेतु लेखाकार को लगाने की मांग

125—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य) लेसू, लखनऊ के अधीन कार्ड कोड सं० 42 के माध्यम से वर्ष 1992-93

एवं 93-94 में कितनी धनराशि के फर्जी भुगतान सम्बन्धी आंकड़े फीड करके परिषद् के राजस्व का गबन किया गया है? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त वर्षों में कौन-कौन अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं डाटा फीडिंग का डिस्पैच क्लर्क नियुक्त रहा है? क्या यह सत्य है कि भुगतान सम्बन्धी आंकड़े फीड करने हेतु किसी अवर अभियन्ता को कार्य पर लगाया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? उक्त स्थान पर लेखाकार को न लगाये जाने का क्या कारण हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ के अधीन कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों से पद के अनुसार कार्य लेने की मांग

126—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ के अधीन कार्यालय में क्या पदानुसार कार्य लिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? फील्ड के ऐसे कितने चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं, जिन्हें कार्यालय में सम्बद्ध किया गया है? उनके नाम, पदनाम क्या हैं? क्या यह सत्य है कि ये कर्मचारी, अधिकारियों के घर पर कार्य करते हैं? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ के अधीन विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों से सामान्यतः पदानुसार ही कार्य लिया जा रहा है, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के रूप में नियुक्त विधवा महिला कर्मचारियों से, जिसका पदनाम कुली है, फील्ड में कार्य लेना अव्यवहारिक है, इन महिला कुली कर्मचारियों को विभिन्न कार्यालयों से सम्बद्ध कर चतुर्थ श्रेणी का कार्य लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ पुरुष कर्मचारियों को भी उनकी विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय अधार पर कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है।

फील्ड के विभिन्न कार्यालयों से सम्बद्ध किये गये कर्मचारियों की संख्या–53 है, जिनकी सूची संलग्न है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 184 पर)

जनपद देवरिया में ग्राम–चन्दरपुर विकास खण्ड–रामकोला के ग्रामवासियों को विद्युत उपलब्ध कराने की मांग

127—श्री अम्बिका सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के रामकोला ब्लाक के ग्राम चन्दरपुर में बिजली के खम्भे गाड़े गये हैं? क्या ग्रामवासियों को विद्युत प्राप्त होती है? यदि नहीं,

तो क्या पोल एवं तार के होने पर शेष कार्यवाही करके ग्रामवासियों को विद्युत उपलब्ध करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

इस ग्राम का विद्युतीकरण जनपदीय ऊर्जा एवं सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा चयनित होने एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर की नगरपालिका के वर्णित वर्षों की आय एवं कार्य का विवरण

128—श्री रणधीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री मुजफ्फरनगर की नगरपालिका की विगत 3 वर्षों की आय एवं काम का व्यौरा सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे तथा इसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु आगामी बजट में विशेष प्राविधान करने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

मा० सदस्य मेरे कक्ष में आकर अपेक्षित व्यौरा देख सकते हैं। वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने का दायित्व सम्बन्धित स्थानीय निकाय का है कि वह बकाया कर को वसूल करने हेतु प्रभावी कदम उठाये। शासन के बजट में विशेष प्राविधान किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ग्रामों में विद्युतीकरण की मांग

129—श्री रणधीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है? वर्ष 1993 में कितने ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था तथा वर्ष 1994 में कितने ग्राम लिये जायेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधान सभा क्षेत्र में 21 ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

वर्ष 1993-94 में जनपद मुजफ्फरनगर में विद्युतीकरण का लक्ष्य 02 ग्रामों का था तथा चयनित दोनों ग्राम चरथावल विधान सभा क्षेत्र में नहीं आते हैं?

वर्ष 1994-95 के लिये अभी तक ग्रामों के विद्युतीकरण का जनपद वार लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है।

जनपद देवरिया के ब्लाक–कप्तानगंज के ग्राम मेहड़ा एवं पटखौली में जलकल व्यवस्था लागू करने की मांग

130—श्री अम्बिका सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मेहड़ा एवं ग्राम पटखौली ब्लाक कप्तानगंज, जिला देवरिया में गाड़े गये इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प से नागरिकों को पीने के योग्य पानी प्राप्त होता है? यदि नहीं, तो क्या पीने योग्य पानी प्राप्त कराने हेतु क्या जलकल व्यवस्था लागू करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के ब्लाक-हाटा के ग्राम–अम्परपुर का विद्युतीकरण करने की मांग

131—श्री अम्बिका सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93 में विद्युतीकरण हेतु जो गांव चयनित किये गये उनमें किस वर्ष के किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया गया? क्या अम्बेडकर ग्राम में चयनित ग्राम समेरामल छपरा ब्लाक रामकोला जनपद देवरिया तथा अम्परपुर ब्लाक हाटा, जिला-देवरिया विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्राम हैं? क्या उनका विद्युतीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो उपर्युक्त ग्राम कब तक विद्युतीकृत हो जायेंगे

श्री मुलायम सिंह यादव–

देवरिया जनपद में वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92, एवं वर्ष 1992-93 में चयनित ग्रामों तथा उनके विद्युतीकरण की स्थिति की सूची सदन के पटल पर रख दी है।

अम्बेडकर ग्राम समेरामल छपरा ब्लाक रामकोला जनपद देवरिया वर्ष 1993-94 में विद्युतीकरण हेतु चयनित हैं तथा उनका विद्युतीकरण दिनांक 7-2-94 को हो गया है। ग्राम अम्परपुर ब्लाक हाटा जिला-देवरिया विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं हैं। इसका विद्युतीकरण जनपदीय सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयनित होने एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड-कप्तानगंज, मोती चक, रामकोला के ग्राम–राजमन्दिर, गौनरिया तथा माण्डेराय के किसानों को विद्युत कनेक्शन देने की मांग

132—श्री अम्बिका सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजमन्दिर ब्लाक कप्तानगंज, जिला-देवरिया, ग्राम गौनरिया ब्लाक मोतीचक जिला-देवरिया ग्राम माण्डेराय ब्लाक रामकोला, जिला-देवरिया, में विद्युत के पोल एवं तार खीचे गये हैं? क्या उक्त ग्रामों के किसानों को विद्युत कनेक्शन दिया

गया है? यदि नहीं तो क्या उन ग्रामों के किसानों को कनेक्शन दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद देवरिया के ग्राम राजमन्दिर विकास खण्ड कप्तानगंज का विद्युतीकरण एल०टी०मेन्स बिछाकर वर्ष 1977-78 में, ग्राम गौनरिया विकास खण्ड मोतीचक का विद्युतीकरण एल०टी०मेन्स बिछाकर वर्ष 1978-79 में किया गया था। उक्त दोनों ग्रामों में किसी ग्रामवासी द्वारा विद्युत संयोजन नहीं लिया गया। कालान्तर में आये भयंकर आंधी, तूफान एवं वर्षा के कारण ट्रान्सफार्मर एवं लाइंस क्षतिग्रस्त हो गयी। उक्त जनपद के ग्राम माण्डेराय विकास खण्ड रामकोला के विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1976-77 में आवश्यक 11 के०वी० एवं एल०टी०लाइन का निर्माण किया गया लेकिन ट्रान्सफार्मर न लगने के कारण लाइनों का ऊर्जीकरण नहीं हो सका। इसी बीच दैवी आपदा के कारण 11 के०वी० लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी। किसानों/उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत संयोजन हेतु प्रार्थना-पत्र दिये जाने के पश्चात् क्षतिग्रस्त लाइन एवं ट्रान्सफार्मरों को व्यवस्थित करने एवं बदलने पर विचार किया जायेगा।

जनपद कानपुर (देहात) में स्थित प्रमुख स्थान बरीपाल से कानपुर तक संचालित बस सेवा की समयसारिणी

133–श्री राकेश सचान–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर (कानपुर देहात) स्थित प्रमुख स्थान, बरीपाल तक कानपुर से वर्तमान समय में प्रतिदिन राजकीय बस सेवा चालू हैं? यदि हां, तो प्रतिदिन कितनी बसें, कानपुर से बरीपाल तक जाती तथा वहां से वापस कानपुर लौटती हैं? उनकी समय-सारिणी क्या है? क्या चालू बस सेवा के विस्तार की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आर०के० चौधरी–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग पर परिवहन निगम की एक बस प्रतिदिन 2 अप तथा 2 डाउन ट्रिपों में संचालित हैं।

उक्त सेवा की समय सारिणी निम्नवत् है :–

किदवईनगर (कानपुर) से प्रस्थान	बारादेवी से प्रस्थान	बरीपाल आगमन
16.30 बजे	17.00 बजे	19.00 बजे (यह बस रात्रि में बरीपाल में ही रुकती है)

बरीपाल से प्रस्थान	बारादेवी आगमन	बारादेवी से प्रस्थान	बरीपाल आगमन
6.30 बजे	8.30 बजे	9.00 बजे	11.00 बजे
बरीपाल से प्रस्थान	किदवईनगर डिपो (कानपुर) आगमन		
11.30 बजे	13.30 बजे		

वर्तमान में यात्रियों की उपलब्धता को देखते हुए ट्रिपों की संख्या में वृद्धि प्रस्तावित नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत टिकैत राय कालोनी में सड़क निर्माण को पूरा करने की मांग

134–श्री रामलखन यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ अन्तर्गत टिकैतराय एल०डी०ए० कालोनी, लखनऊ के मकान नं० आर० एस०–1/110 के सामने पार्क के चारों तरफ की सड़क, जो एल० डी० ए० विभाग, उ० प्र० द्वारा बनाई गई है क्या उक्त सड़क पर बिना कार्य कराये ही वर्ष 1993 में फर्जी पेमेन्ट कर दिया गया है? क्या यह भी सही है कि सड़क पर पानी कीचड़ जमा रहता है और कर्मचारियों को अपने आवास तक जाने में काफी परेशानी होती है? यदि हां, तो क्या स्थानीय अभियन्ताओं की लापरवाही से सड़क के बगल में काफी गन्दगी, गोबर आदि रखा जाता है? यदि हां, तो क्या इसकी सफाई कराने के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

लखनऊ विकास प्राधिकरण के टिकैतराय कालोनी में भवन संख्या-आर०एस०1/110 के सामने पार्क के चारों ओर की सड़क का कार्य बिना कार्य कराये कोई भी भुगतान नहीं किया गया है।

कार्य अधूरा है जिसके पूर्ण कराये जाने का कार्य प्रगति पर है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मवइया स्थित नेहरु पार्क की सफाई की मांग

135–श्री राम लखन यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ अन्तर्गत, 35, नेहरु नगर, मकान नं० 36, नेहरु नगर, (मवइया) के बीच नगर पालिका का पार्क छोड़ा गया है? क्या यह सही है कि उक्त पार्क में काफी गन्दगी, गोबर आदि जानवरों को पालने वालों के द्वारा डाला गया है? क्या यह भी सही है कि उक्त गन्दगी से आस-पास के लोगों को बीमारी होने का भय

बना रहता है? क्या सरकार नेहरु, नगर पार्क लखनऊ को तत्काल साफ कराते हुए गोबर, कूड़ा आदि हटवाने का आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? क्या यह सही है कि उक्त पार्क की सफाई कराने व ठीक-ठीक से रखने की जिम्मेदारी स्थानीय नगर महापालिका के अधिकारियों की होती है? यदि हां, तो उनके द्वारा लापरवाही बरती जाने का क्या कारण है?

श्री रमा शंकर कौशिक–

पार्क की जमीन वैसे ही पड़ी है। पार्क विकसित नहीं है।

मोहल्ले के तथा आस-पास के कुछ लोग अपने घरों का कूड़ा आदि डाल देते हैं। कुछ लोगों द्वारा खाली भूमि पर गोबर से कन्डे पाथे जाते है। प्रश्नगत स्थल की सफाई यदाकदा दौरे (रनिंग गैंग) द्वारा करायी जाती है एवं कन्डा पाथने वालों के चालान भी किये जाते हैं। वहां कूड़े का कोई ढेर नहीं है। पतझड़ का यदाकदा कूड़ा हो जाता है। चूंकि पार्क विकसित नहीं है, इस लिए जब कभी कूड़े आदि का ढेर बढ़ जाता है तो उसे साफ करा दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून में निर्वाचन क्षेत्र चकराता के ग्राम-कन्धाड़ में विद्युतीकरण की मांग

136— श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम कन्धाड़ को विद्युतीकृत करने हेतु निविदाएं विभाग द्वारा आमंत्रित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम कन्धाड़ को विद्युतीकृत करने हेतु कोई भी निविदायें आमंत्रित नहीं की गयी हैं । उक्त ग्राम का विद्युतीकरण अभी नहीं किया गया है क्योंकि विद्युतीकरण करने के लिये जनपदीय सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा उपर्युक्त ग्राम का चयन नहीं किया गया है ।

137— श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

[6ठे बुधवार में अता० प्र० सं० 141 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

138— श्री सतीश भाटिया

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

139-140— श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

[6ठे बुधवार में अता० प्र० सं० 142-143 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ मुख्यालय स्थित जिला सहकारी बैंक के व्यवसाय में वृद्धि करके घाटे को समाप्त करने का प्रयास

141— श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ मुख्यालय स्थित जिला सहकारी बैंक में पिछले वर्षों मे वर्ष 1989-90 से प्रति वर्ष बैंक को घाटा होता चला आ रहा है?

यदि हां, तो उसका प्रतिवर्ष घाटे का विवरण अलग-अलग क्या है ? इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार करेगी । जनहित में उक्त घाटे को कैसे समाप्त किया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

वर्ष 1992-93 में बैंक में घाटा हुआ ।

वर्ष 1992-93 में रु० 23,78,184-03 का घाटा हुआ ।

वर्ष 1992-93 की आडिट रिपोर्ट के अनुसार हानि का उत्तरदायित्व किसी अधिकारी/कर्मचारी पर नहीं आता है ।

बैंक के व्यवसाय में वृद्धि करके घाटे को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा ।

जनपद व तहसील लखनऊ के परगना-बिजनौर के ग्राम- कल्ली पश्चिम में विद्युतीकरण की मांग

142—श्री रामकरन आर्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विद्युतीकरण से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्तियां वंचित रह गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों का विद्युतीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का लगभग 25 वर्ष पूर्व विद्युतीकरण किया गया था तथा उसके पश्चात समय-समय पर आवश्यकता अनुसार विद्युत लाइनों का विस्तार किया जाता है ।

ग्राम कल्ली पश्चिम से लगी अनुसूचित जाति/ जनजाति की कुछ बस्तियों का विद्युतीकरण इस कारण नहीं हुआ क्योंकि वहां विद्युत संयोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

शेष बस्तियों का विद्युतीकरण पर्याप्त संख्या में संयोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

नगर विकास के क्षेत्र में प्रत्येक श्रेणी में पिछड़ी जाति/ अनु० जाति, अनु० जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

143— श्री बशीर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास के क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के नौकरियों में पिछड़ी जातियों का 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व

अनुसूचित जन-जाति का 22.5 प्रतिशत व अल्पसंख्यक का प्रतिशत कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, किया गया है, तो कब तक कोटा पूरा किया जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगर पालिकाओं में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी व सफाई कर्मचारियों के अवशेष वेतन के भुगतान की मांग

144—श्री बशीर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन नगर पालिकाओं में कितने समय से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है ? विशेषकर चतुर्थ श्रेणी व सफाई कर्मचारियों को बकाया वेतन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारी स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं । अतएव उनके वेतन के भुगतान का दायित्व संबंधित स्थानीय निकायों का है । अपेक्षित सूचना प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों/ नगरपालिकाओं से एकत्रित की जा रही है जिसमें समय लगेगा ।

जनपद बांदा की तहसील मऊ को टाउन एरिया बनाने की मांग

145—श्री मन्नू लाल कुरील–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील मऊ को टाउन एरिया बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उसे टाउन एरिया बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धारित मानकों की परिधि में न आने के कारण मऊ को टाउन एरिया बनाया जाना समीचीन नहीं पाया गया ।

ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों की भांति नगरीय क्षेत्र के विधायकों को विकास कार्य हेतु समान अधिकार देने की मांग

146—श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों की भांति नगरीय क्षेत्रों के विधायकों को भी अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिये बराबर का अधिकार प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहाँपुर में क्षेत्र कलान के सहकारी पर्यवेक्षक स्व० श्री नत्थू लाल राठौर की पत्नी श्रीमती चमेली देवी के समस्त देयों का भुगतान

147—श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री नत्थू लाल राठौर, सहकारी पर्यवेक्षक, क्षेत्र कलान, जनपद शाहजहांपुर की मृत्यु सेवाकाल में ही दिनांक 28-1-87 को हो गयी थी ? मृतक की पत्नी द्वारा कर्मचारी का बीमा, फण्ड तथा पेंशन आदि के भुगतान करने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं ? उक्त मृतक कर्मचारी के देयकों का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी मृतक कर्मचारी के देयों का भुगतान उनकी पत्नी को शीघ्र करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

स्व० श्री नत्थू लाल राठौर, सहकारी पर्यवेक्षक की मृत्यु दिनांक 28-1-87 को नहीं हुई थी, वरन् सेवाकाल में दिनांक 20-1-87 को मृत्यु हुई थी, जैसा कि मृत्यु प्रमाण-पत्र में उल्लिखित है ।

श्रीमती चमेली देवी पत्नी स्व० श्री नत्थू लाल राठौर के तीन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

देयकों का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

148— श्री राधेश्याम वर्मा–

[5वें सोमवार में अता० प्र० सं० 158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद कानपुर (देहात) की तहसील–घाटमपुर में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की जानकारी

149—श्री राकेश सचान–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि घाटमपुर (कानपुर देहात) में वित्तीय वर्ष 1993-94 तक ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना हेतु कितनी योजनाएं स्वीकृत थीं और इन योजनाओं में से अब तक कितनी योजनाएं पूर्ण हो गयी हैं तथा कितनी अब भी शेष हैं ? शेष योजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

वित्तीय वर्ष 1993-94 तक ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना हेतु 7 योजनायें स्वीकृत थीं, जो कि सभी पूर्ण कर चालू की जा चुकी हैं ।

जनपद बस्ती व महराजगंज में इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्पों की जल निगम के प्रशिक्षित मिस्त्री द्वारा मरम्मत

150— श्री धनराज यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जल निगम द्वारा सिद्धार्थनगर, बस्ती महराजगंज जनपदों में पीने के पानी हेतु लगाये जा रहे इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्पों की लागत प्रति पम्प 16 हजार रुपये है ? क्या यह भी सही है कि वह हैण्ड पम्प खराब होने की स्थिति में विभागीय मिस्त्रियों से ही ठीक होते हैं जिसमे 6-6 माह या पूरे वर्ष लग जाते हैं ? क्या उसी श्रेणी का बाजार में उपलब्ध हैण्ड पम्प के सामग्री से लगाये गये हैण्ड पम्प की लागत अधिकतम 4 हजार रु० होगी और खराब होने की दशा में गांव के मिस्त्री सरलतापूर्वक मरम्मत कर देंगे ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित में इण्डिया मार्क–2 के स्थान पर बाजार में उपलब्ध किसी अच्छे कम्पनी के पाइप-मत्थे आदि से जल निगम द्वारा हैण्ड पाइप लगवाने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

जनपद सिद्धार्थनगर, बस्ती तथा महराजगंज में छिद्रण की गहराई के अनुसार इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प की लागत 14000 रु० से 17000 रु० प्रति हैण्डपम्प आती है ।

सभी विकास क्षेत्र मुख्यालयों पर जल निगम के मिस्त्री तैनात हैं। हैण्डपम्प के अस्थाई रूप से खराब होने की सूचना मिलने पर उसे यथाशीघ्र एक सप्ताह के अन्दर ठीक करा दिया जाता है। स्थाई रूप से खराब हो जाने वाले हैण्डपम्पों को धन उपलब्ध होने पर ही ठीक कराया जाता है ।

जी नहीं । इस श्रेणी के बाजार में उपलब्ध हैण्डपम्प की गुणवत्ता का स्तर विश्वसनीय नहीं है तथा इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प की केवल सामग्री लागत ही 4000/- रु० से कहीं अधिक है जल निगम द्वारा प्रयोग किये जाने वाले हैण्डपम्पों का निरीक्षण यूनीसेफ द्वारा कराया जाता है । जल निगम द्वारा प्रयुक्त तथा उसी श्रेणी के बाजारू हैण्डपम्पों की मरम्मत की प्रक्रिया एक ही है परन्तु अप्रशिक्षित मिस्त्री इसे नहीं कर पायेंगे । जल निगम द्वारा मरम्मत प्रशिक्षित मिस्त्री से करायी जाती है ।

जी नहीं । यूनिसेफ परीक्षित, अच्छी कम्पनी के हैण्डपम्प के मत्थे और पम्प आदि स्थानीय बाजार में उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अन्तर्गत उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् का गठन तथा सचिव कार्यालय को परिषद् सचिवालय घोषित किये जाने की जानकारी

151—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, शक्ति भवन, लखनऊ को सचिवालय के समानान्तर माना जाता है ? यदि नहीं, तो परिषद् के अधिकारियों द्वारा अपने पत्रों में परिषदीय सचिवालय लिखने के क्या कारण हैं ? क्या उत्तर प्रदेश शासन ने

उ० प्र० रा० वि० प० को परिषदीय सचिवालय घोषित किया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । राज्य सरकार ने विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया है, जिसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी 'सचिव' के कार्यालय को परिषद सचिवालय कहा जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गाजियाबाद नगर की विकसित कालोनियों के नागरिकों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की मांग

152—श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या गाजियाबाद नगर के साथ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों से अतिरिक्त अनेक कालोनियां विकसित हुई हैं ? यदि हां, तो उन कालोनियों में रहने वाले नागरिकों को भी न्यूनतम नागरिक सुविधायें प्रदान करने की शासन की क्या योजना है ? पिछले 5 वर्षों में कितनी ऐसी कालोनियों में सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं तथा उनके चयन का आधार क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हाँ ।

जिन कालोनियों के मानचित्र स्वीकृत होते हैं उनमें सभी नागरिक सुविधायें योजनानुसार उपलब्ध करा दी जाती हैं ।

6 (छः) ऐसी कालोनियों में सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं।

इनके चयन का आधार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ले आउट एवं मानचित्र स्वीकृत किया जाना ।

जनपद रामपुर में विकास खण्ड-शाहाबाद/चमरोआ के चयनित शेष ग्रामों में विद्युतीकरण की मांग

153—स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रामपुर के ब्लाक शाहबाद व ब्लाक चमरोआ में पिछले 10 वर्षों से आज तक चयन समिति द्वारा किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु चयन किया गया हैं ? क्या चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से

ग्राम हैं ? क्या जिन ग्रामों में अभी तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं हो सका है, उन चयनित शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया मे विश्व बैंक द्वारा लगाये गये ट्यूबवेलों को उपयोगी बनाने की मांग

154— श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में नहरों के किनारे जल स्तर को बरकरार रखने हेतु लगाये गये ट्यूबवेलों में विश्व बैंक की सहायता से लगाये गये लाइनों के विद्युत तार, ट्रांसफार्मर एवं मोटर चोरी हो गये हैं ? यदि हां, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या उन ट्यूबवेलों को उपयोगी बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत स्थाई विद्युत विच्छेदन से सम्बन्धी प्रकरण की जानकारी

155—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत स्थाई विद्युत विच्छेदन के कितने मामले मार्च, 1992 से जुलाई, 1993 तक विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/द्वितीय जौनपुर, आजमगढ़ एवं देवरिया में लम्बित हैं ? उनका निस्तारण न होने के क्या कारण हैं ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मार्च, 1992 से जुलाई, 1993 तक विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, जौनपुर, द्वितीय जौनपुर, प्रथम आजमगढ़, द्वितीय आजमगढ़, प्रथम देवरिया व द्वितीय देवरिया में क्रमशः 940, 1459, 244, 226, 132 एवं 2 मामले स्थाई विद्युत विच्छेदन हेतु लम्बित हैं ।

स्थाई विच्छेदन हेतु विभिन्न कार्यवाही आवश्यक है जिनकी औपचारिकताओं की पूर्ति के कारण निस्तारण लम्बित हैं ।

1— लाइन सब-स्टेशन उखाड़ना ।

2— अस्थायी विच्छेदन तिथि प्राप्त कर उपभोक्ता के अन्तिम देय धनराशि निकालना ।

3— उपभोक्ता के द्वारा जमा की गई धनराशि का समायोजन करना ।

4— विवादित मामलों के निर्णय न्यायालय के विचाराधीन होना ।

इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं हैं । वांछित औपचारिकताओं के पूर्ण करने में विलम्ब होना स्वाभाविक है ।

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में स्थापित सहकारी गन्ना इकाई के पुनर्संचालन पर व्यय धनराशि का आकलन

156—श्री राम सरन वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि क्या 59-बीसलपुर वि० स० क्षेत्र के अन्तर्गत करोड़ों रुपया के विनियोजन के रूप में स्थापित सहकारी गन्ना प्रक्रिया इकाई (क्रेशर), जो कि वर्ष 1978-79 से खुले आकाश तले बन्द पड़े हैं, नष्ट हो रहे हैं? यदि हां, तो उन क्रेशरों को चलाने की कोई व्यवस्था सरकार करेगी? यदि हां, तो क्या वर्ष 1989 में निदेशक, सहकारिता विभाग द्वारा सर्वेक्षण करवाने में 10.27 लाख रुपया का व्यय पुर्नस्थापन हेतु अनुमानित किया गया? क्या वर्ष 1992 में 15 लाख रुपया पुनर्संचालित व्यय का आंकलन किया गया? क्या पुनर्संचालन व्यय मशीनरी नष्ट होने की निरन्तरता के कारण बढ़ता जा रहा है?

श्री मोहम्मद आजम खां–

बीसलपुर सहकारी गन्ना क्रय-विक्रय एवं प्रक्रियात्मक समिति द्वारा वर्ष 1957 में स्थापित की गयी गन्ना प्रक्रिया इकाई (क्रेशर) वर्ष 1980-81 से बन्द चल रही है। इकाई की प्लांट एवं मशीनरी टीन शेड के नीचे है तथा गन्ना फीडर टीन शेड से बाहर है।

वर्ष 1989 में इस इकाई के पुनर्संचालन हेतु निदेशक, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश की तकनीकी टीम द्वारा सर्वेक्षण कराया गया तथा 10.27 लाख रुपये के व्यय का आंकलन प्रस्तुत किया गया, किन्तु 24 जुलाई, 1990 को यह निर्णय लिया गया कि खाण्डसारी यूनिट को कोई वित्तीय सहायता न दी जाये।

वर्ष 1989 में पी०आर०ए०आई० से पुनर्स्थापन हेतु सर्वेक्षण कराया गया जिसमें 10.27 लाख रुपये के व्यय का आंकलन किया गया।

वर्ष 1992 में पुनर्स्थापन हेतु 15.00 लाख रुपये का व्यय समिति द्वारा अनुमानित किया गया है।

पुनर्संचालन में लगने वाले उपकरणों में हो रही मूल्य वृद्धि के कारण पुनः संचालन व्यय बढ़ रहा है। मशीनरी के निष्क्रिय रहने से ह्रास का होना भी स्वाभाविक है।

उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त, लखनऊ के कार्यालय के आडिट एवं सम्परीक्षा सेल में श्री कृष्ण कुमार मिश्रा नाम के कर्मचारी का कार्यरत न होना

157—कुंवर अखिलेश तथा श्री अम्बिका सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आडिट एवं सम्परीक्षा सेल में कार्यरत, वरिष्ठ लेखाकार (कामर्शियल) श्री कृष्ण कुमार मिश्रा

अपनी ड्यूटी से विगत सात-आठ माह से अनुपस्थित चल रहे हैं? यदि हां, तो क्या इसका गजट नोटीफिकेशन दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से करके, उनकी गुमशुदगी का प्रकाशन कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी बतायेंगे कि यदि उन्हें विभाग द्वारा लम्बी अवधि की छुट्टी प्रदान की गयी है, तो उसका आधार क्या है? क्या शासन उक्त प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए, कार्यहित तथा लोकहित में अपने स्तर से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आर० के चौधरी–

जी नहीं? श्री कृष्ण कुमार मिश्रा नाम का कोई व्यक्ति वरिष्ठ लेखाकार (कामर्शियल) कार्यालय, परिवहन आयुक्त, उ० प्र०, लखनऊ में कार्यरत नहीं है।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है।

[समय–12 बजकर 20 मिनट]

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 8 अप्रैल, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं :–

पहली सूचना श्री नरेश अग्रवाल जी की, फतेहपुर जनपद के कस्बा किशनपुर में एक 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने वालों को गिरफ्तार कर दण्डित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

दूसरी सूचना श्री रंगनाथ जी की, वाराणसी के औराई क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट के संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री भैरो प्रसाद मिश्र की, बांदा जनपद में पुलिस बल की कमी के कारण बढ़ रहे दस्यु गिरोहों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

चौथी सूचना डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बाघम्बरी आवासीय योजना में सीवर लाइन को सुधारने एवं सफाई आदि हेतु धन स्वीकृत करने के संबंध में है।

पांचवी सूचना श्री मन्नू लाल कुरील की, बांदा के विकास खण्ड, रामनगर मानिकपुर, मऊ में हैंड पाइपों के खराब होने से उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में है।

छठीं सूचना श्री ऊदल की, वाराणसी के भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गरीबों की भूमि पर औद्योगिक विकास न करके आवासीय योजना बनाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

सातवीं सूचना श्री राज कुमार शिवहरे की है, वे अनुपस्थित हैं, प्रतीक्षा सूची में दो सूचनाएं हैं, पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है, इसलिए इसको लिया जा रहा है, विषय है–सीतापुर निर्वाचन क्षेत्र में आवागमन की सुविधा हेतु सेतु बनवाने के संबंध में, है। ये सारी सातों सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जा रही हैं।

(सदन की सहमति से सातों सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद फतेहपुर के कस्बा किशनपुर में 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने वालों को दण्डित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश अग्रवाल–

।महोदय, फतेहपुर जनपद के थाना किशनपुर अन्तर्गत कस्बा किशनपुर में 27 फरवरी को स्व० राम आसरे विश्वकर्मा की 17 वर्षीय पुत्री सुनीता के साथ शौंच के लिये जो बाहर गई थी पड़ोस में रह रहे गुलाब सोनकर व कल्लू सोनकर हरिजन खटिकों द्वारा विश्वकर्मा परिवार की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। बलात्कार किये जाने के बाद लड़की ने आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आत्महत्या के मामले को बदल कर धारा–376/306 में दर्ज कर नामजद किया गया है। लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक नामजद अभियुक्त गुलाब सोनकर व कल्लू सोनकर को गिरफ्तार नहीं किया गया इससे पिछड़ी जाति के लोगों में काफी रोष उत्पन्न हो गया है।

कृपया सदन के माध्यम से शासन को निर्देशित करें कि उक्त दोनों अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार कर परिवारजनों को न्याय प्रदान करें। ।

वाराणसी के औराई क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रंगनाथ –

। महोदय, वाराणसी जनपद के औराई विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी का अकाल पड़ गया है भीषण गर्मी आयी नहीं कि उससे पहले कुएं सूख गये हैण्डपम्प की सीमित मात्रा तथा जल निगम की टंकी से जो इतने बड़े विधान सभा क्षेत्र में नाम मात्र की है पाइप लाइन के अभाव में मात्र कुछ गांवों में ही जल आपूर्ति हो रही है। इस क्षेत्र के जसा, अमवा, घोसिया, खमरिया, टिकैत, ठतराडोमनपुर, महराजगंजपुर में ही जल निगम की टंकी है, इन स्थानों पर से मात्र एक कि०मी० के अन्दर आने वाले गांव में ही जल आपूर्ति हो रही है बाकी दूसरे क्षेत्रों में आने वाले गांव में पाइप लाइन बिछी ही नहीं और यदि बिछी भी है कहीं तो उसमें प्रेशर पानी का है ही नहीं। हैण्डपाइप इस 7 लाख की आबादी वाले विधान सभा क्षेत्र में मात्र कुछ सौ हैण्ड पम्प लगे हैं जिनमें अधिकांश खराब है और लगाते समय विभाग ने 15000 में एक हैण्डपम्प लगाये किन्तु बोर मात्र 110 फीट किया है और उसमें डिलवरी पाइप मात्र 80 फीट डाले है जिससे गर्मी में डेल्टा नीचे जाने से पानी नहीं दे पा रहे हैं।

नोट। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि उपरोक्त मामले की जांच का निर्देश सरकार को देते हुये एक हजार हैण्ड पम्प आबादी को देखते हुये औराई विधान सभा क्षेत्र में लगवाने हेतु शासन को निर्देशित करें तथा भीखमपुर, शकलपुर, बड़गांव, बाबूसराय, औराई, जगन्नाथपुर, सहसेपुर उगापुर आदि स्थानों पर जल निगम की टंकी लगाकर शासन को पानी आपूर्ति हेतु ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।]

जनपद बांदा में पुलिस बल की कमी से बढ़ रहे दस्यु गिरोहों के आंतक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

[महोदय, बांदा जिले में पुलिस दल की अत्यधिक कमी है। यह प्रदेश के दस्यु प्रभावित जिले में अग्रणी जिला है। यहां पर लगभग एक दर्जन सूचीबद्ध दस्यु गिरोह हैं, जिसमें दस्यु ददुआ का आतंक उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के कई जिलों में है। अभी पिछले 18 मार्च, 1994 को ही आई० जी० जोन, इलाहाबाद की क्षेत्र में उपस्थिति के बावजूद मानिकपुर थाना अन्तर्गत निर्माणाधीन चुरेह के सस्आ मार्ग पर कार्य कर रहे मजदूरों की जमकर पिटाई की थी जिसमें दर्जनों लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये थे रोड में कार्य कर रहे सरकारी ट्रकों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। आज तक उक्त गिरोह के भय के कारण कार्य न ही शुरू हो सका है। उसी दिन रात में ही वहां के कई ग्रामों में घरों में जाकर लोगों को पिछले साल का तेन्दू पत्ते का कमीशन वसूलने हेतु पिटाई की है। जैसा कि संज्ञात है कि हर वर्ष लाखों रुपये वन निगम से एवं वन निगम में कार्य कराने वाले ठेकेदारों से चौथ के रूप में उक्त गैंग वसूली करता है। वर्तमान में इस वर्ष का तेन्दू पत्ते का सीजन फिर आने वाला है। उक्त कार्यवाही अपना हिस्सा वसूलने के लिए भय पैदा करने के उद्देश्य से की गई है। उक्त दस्यु गिरोहों पर सैकड़ों हत्याओं, डकैतियों, अपहरण एवं सामूहिक हत्याओं के मुकदमें उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के थानों में पंजीकृत हैं। शासन का करोड़ों रुपया उक्त गिरोह के खिलाफ चलाये गये अभियानों में व्यय हो चुका है। उक्त दस्यु गिरोह के अलावा भी दर्जनों सक्रिय दस्यु गिरोह हैं। इस समय जिले में पिछले सालों के अपेक्षा न्यूनतम पुलिस बल है पी०ए०सी० की कम्पनियां भी कम लगायी गई हैं। पूरे क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त है। लोग क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं।

अस्तु श्रीमान् जी से अनुरोध है कि इस विषय को शासन के संज्ञान में लाते हुए जिले में पुलिस बल बढ़ाने एवं उन्हें साधन उपलब्ध कराने के लिए शासन का ध्यान आकर्षित कराने का कष्ट करें।]

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बाघम्बरी आवासीय योजना में सीवर लाइन के सुधार हेतु धन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

[महोदय, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 20 वर्ष पूर्व बाघम्बरी आवासीय योजना के रूप में इसे एक विकसित कालोनी के रूप में बसाया गया था। पूरे विकसित कालोनी में सीवर

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लाइन नहीं बिछायी गयी है जिससे हजारों लोग इस सुविधा से वंचित रह गये हैं। जो भी सीवर लाइन बिछायी गयी है, उसका ब्यास 6" से 9" है जो अपर्याप्त है।

सीवर के सफाई की व्यवस्था न के बराबर है तथा स्लिट की निकासी का काम आज तक नहीं किया गया है जिसके कारण सीवर लाइन प्रायः चोक रहती है। सीवर चोक होने के कारण कई बार सड़कों पर सीवर के गंदा पानी का जमाव हो जाता है तथा पूरे क्षेत्र का वातावरण दूषित हो जाता है।

इस समस्या से हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित होते हैं। सरकार से अपेक्षा है कि इस समस्या के निवारण हेतु इस क्षेत्र की सीवर लाइन को सुधारने, सफाई तथा कार्य योग्य बनाने हेतु अपेक्षित धनराशि स्वीकृत करें।

अतः लोक महत्व के निश्चित अविलम्बनीय विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूँ।]

जनपद बांदा के विकास खण्ड-रामनगर, मानिकपुर मऊ में हैण्ड पम्पों के खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मन्नू लाल कुरील–

[मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि बांदा जिले के विकास खण्ड मानिकपुर मऊ रामनगर में लगे हैण्ड पाइप इस समय 70 प्रतिशत खराब पड़े हैं जिसके कारण गरीब जनता में पानी के अभाव के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है इस समय ग्रीष्म ऋतु आ रही है पानी न मिलने से पशुओं और इन्सानों की जान जा सकती है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि प्राथमिकता के आधार पर मेरी बात सुनते हुये कार्यवाही रोक कर सरकार का ध्यान इस ओर दिलायें की उपरोक्त तीनों विकास खण्डों में नये हैण्ड पाइप लगाये जायं तथा जो हैण्ड पाइप खराब पड़े हैं उन्हें तत्काल ठीक कराने का निर्देश दें ऐसी अपेक्षा है।

कष्ट के लिये धन्यवाद ।]

जनपद वाराणसी के भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गरीबों की भूमि पर आवासीय योजना बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ऊदल–

[मान्यवर, भदोही, जिला वाराणसी के औद्योगिक विकास प्राधिकरण भदोही ने गांव हरिपौव रजपुरा परगना भदोही, तहसील-भदोही, जिला वाराणसी की 26 बीघा से ऊपर गरीब किसानों, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यकों की काश्तकारी भूमि को रजपुरा आवासीय योजना भूमि अर्जन हेतु 8–4–88 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी स० स०,

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाराणसी के यहां अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, भदोही, वाराणसी द्वारा मुकदमा किया गया। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक विकास न करके आवासीय योजना बनाकर गरीब किसानों को परेशान कर रहा है तथा ग्राम घमहापुर, भदोही में भी अनुसूचित जातियों की भूमि को अवाप्त कर रहा है। भदोही पीडा द्वारा अनुसूचित तथा पिछड़े वर्गों के किसान विरोधी कदम से व्यापक असंतोष व्याप्त है। इसलिये इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये पीडा भदोही द्वारा किसान विरोधी कार्यों को रोकने की मांग करता हूँ।]

सीतापुर निर्वाचन क्षेत्र में आवागमन की सुविधा हेतु सेतु बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[महोदय, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 79 सीतापुर में निम्नालिखित पाटों पर सेतुओं का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। विषय के महत्व को देखते हुए वित्तीय वर्ष 1992–93 में उनका सर्वेक्षण करके स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई थी परन्तु दुर्भाग्य है कि निर्माण अभी तक सम्भव नहीं हुआ।

सेतुओं के नाम:

1—सरायन नदी पर फर्रकपुर घाट सेतु

2—दुसेनपुर मैमहरा घाट पर सेतु (सरायन नदी)

3—ब्लाक खैराबाद, ग्राम गद्दीपुर में सरायन नदी गद्दीपुर घाट

4—ग्राम मिर्जापुर में पिपरी घाट

पिपटी घाट तथा गद्दीपुर घाट पर पीपों का पुल भी चल सकता है। मात्र 2 या 3 पैन्टून अपेक्षित है। शेष दोनों सेतु यदि तत्काल न बन सकें तो पीपों के पुल भी चल सकते हैं। मात्र 4-4 पीपे लगेगें। आवागमन की सुविधा के लिए बनना आवश्यक है। नदी के दोनों ओर सड़कें बन गई हैं।

अविलम्बनीय लोक विषय के सुनिश्चित प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने की सूचना देता हूँ।]

श्री अध्यक्ष–

प्रतीक्षा सूची में दूसरी सूचना श्री बनवारी सिंह यादव की है, विषय है बदायूं के विकास क्षेत्र आशापुर के ग्राम मानपुर व विकास खण्ड, उसावा के ग्राम खुण्डी में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में।

जिन अन्य माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार हुई हैं, वह हैं–

(1) श्री राम सरन वर्मा, (2) डा० राम बाबू हरित, (3) श्री राम करन आर्य, (4) श्री विश्राम सिंह यादव, (5) श्री बदन सिंह, (6) श्री सुन्दर लाल दीक्षित, (7) श्री वासुदेव सिंह,

---

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(8) श्री सुरेश कुमार खन्ना, (9) श्री राम औतार मिश्र, (10) श्री बालेश्वर त्यागी, (11) श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (गुरु जी), (12) श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, (13) श्री राम आसरे वर्मा, (14) श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, (15) श्री बचनू राम पटेल, (16) श्री मातवर सिंह कण्डारी, (17) श्री प्रणत पाल सिंह, (18) श्री किशन लाल दिलेर

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

नियम-311 की सूचना न लेकर उसे नियम-56 में सुने जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

कल यह तय हो गया था कि नियम- 311 में कोई सूचना न लेकर, वह नियम 56 में ही ग्राह्यता पर सुन ली जायगी।

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात को सुन तो लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुछ को नियम 51 में स्वीकार किया है और शेष को अस्वीकार कर दिया है।

गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपका निर्णय सर आंखों पर है, नियम 311 में न सुनकर नियम 56 में सुन लेंगें, लेकिन पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि से 7 लोगों की जानें गयी हैं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने अपने विवेक से स्वीकार कर लिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जिस विषय को माननीय प्रमोद तिवारी जी उठाना चाहते हैं और आपका ध्यान आकृष्ट किया है, उस पर कल चर्चा हो चुकी है और प्रशासन की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण कल फिर वहां पर गोली चली है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्ति बनाये रखें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अभी सूचना मिली है कि वहां पर.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने उसको स्वीकार नहीं किया है। इस सम्बन्ध में जो विषय है वह इस विषय से सम्बन्धित नहीं है, वह बनता नहीं है। नहीं, वह बनता नहीं है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। मेरी बात आप नहीं सुन रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप मेरी बात सुनें या न सुनें लेकिन आप वहां पर जब बैठा करें तो मुस्कराते रहा करें, नाराज होकर न बैठा करें।

डंकल प्रस्ताव सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा की मांग

श्री ब्रहम दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूँ। इस पर आपकी व्यवस्था सुरक्षित है। राजेन्द्र गुप्त जी ने सदन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था, डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, इस आशय का प्रस्ताव दिया था कि केन्द्र सरकार उस पर हस्ताक्षर न करे। 15 तारीख को हस्ताक्षर हो जायेंगें। 9–10 को सदन नहीं बैठेगा और 11, 12 और 13 ही शेष हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके खिलाफ सभी दलों ने रैलियाँ की हैं और इसका विरोध किया है। आप कहेंगें कि यह केन्द्र का विषय है और यहां पर नहीं उठाया जा सकता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ही रुलिंग है।.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं किसी रुलिंग की ओर आपका ध्यान आकृष्ट नहीं करता हूं,.....

जो व्यवस्था आपने सुरक्षित रखी थी उसकी तिथि निर्धारित करेंगे क्या आपने चर्चा के लिए कोई तिथि निर्धारित की थी? जैसा आपने बताया कि 15 तारीख हस्ताक्षर की तारीख है और उसके पहले आपने कोई तिथि निर्धारित नहीं की तो सूचना व्यर्थ हो जायेगी इसलिये डंकल प्रस्ताव को अग्राह्य करने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करेगें।

(व्यवधान)

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

2 बजे के बाद मैं देख लूँगा इसको।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसका मतलब हम आशा करें।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

एक व्यवस्था का सवाल है, मेरी बात को सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मलिक साहब आप कृपा करके बैठ जाँय।

(अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने की अनुज्ञा मांगते रहने पर सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

हरेन्द्र मलिक जी व्यवस्था उठा रहे हैं उनको सुन लेने दें आप सब लोग खड़े रहेंगे तो सबको एक साथ कैसे सुन सकेंगे?

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, कांशी राम जी ने आरोप लगाया है। (व्यवधान)

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, यह सदन नियमों से चलेगा। डंकल का यहां पर नाम लिया गया है जबकि डंकल इस सम्मानित सदन के सदस्य नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके बैठ जाइये और व्यवस्था सुनने दीजिये।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस सम्मानित सदन के सभी चुने हुए सदस्यों को बराबर का हक है। मान्यवर, 80 फीसदी लोग इस देश के कृषि से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जो किसान विरोधी हैं, हमारे अधिकारों का हनन करते हैं और हमको बोलने नहीं देते हैं। हम किसान के बेटे हैं आप किसान का हक दिलाइये। जो लोग किसानों से जुड़े हुए हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, विधान सभा के अन्दर भी और बाहर भी, दिल्ली की रैली सबसे बड़ी रैली रही समाचार पत्रों ने इसे स्वीकार किया।

(घोर व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सब लोग बैठ गये हैं। आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिये लोग खड़े होते हैं आपका अधिकार है जिसको चाहें बुला लें आप कह दें बैठ जायें तो बैठ जायेंगे। आपकी आई कैच करने के लिये खड़े हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कहां लोग मानते हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं अपने दल की जिम्मेदारी लेता हूँ, दूसरे दल की जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। आप जिसको कहेंगे वही खड़ा होगा।

हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा में हो रही नकल के सम्बन्ध में नियम-311 की सूचना पर चर्चा की मांग

श्री अमर नाथ यादव–

मान्यवर, 311 की सूचना आपके संज्ञान में लायी गयी है। 5 अप्रैल से हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षा हो रही है उसमें धड़ल्ले से नकल हो रही है आज तीन दिन के अन्दर 4 हजार के लगभग नकलची परीक्षार्थी पकड़े गये। कई केन्द्रों पर तो सामूहिक नकल की रिपोर्ट आयी है आप इस पर चर्चा करायें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, 311 में माननीय सदस्य ने सूचना दी है.....

श्री अध्यक्ष–

311 में नहीं सुनूंगा, 56 में सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आपके आदेशों की अवहेलना करते चले आ रहे हैं यह आपको सदन नहीं चलाने दे रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषणा का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अमर नाथ यादव–

311 में मेरी सूचना है, अवहेलना का आरोप लगाने का अधिकार इनको कहां है?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। यह सदन नियमों से चलता है। सदन की परम्परा भी यह रही है कि जो इस सदन का सम्मानित सदस्य होगा उसी के संदर्भ में चर्चा की जा सकती है डंकल इस सदन के कोई सदस्य नहीं हैं इसलिये इस समूचे सन्दर्भ में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वह मेरे विचाराधीन है।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

डा० सरजीत सिंह डंग जी इस सदन के सदस्य हैं उनके सन्दर्भ में कोई विचार विनियम करना है तो वह तो हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

डंकल कोई सदस्य नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस सदन का कीमती समय बर्बाद न कीजिये।

प्रदेश मे भीषण ओलावृष्टि से हुई क्षति के मामले को सुने जाने की मांग

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, सारे प्रदेश में भीषण ओलावृष्टि हुई है आगरा में किसान मारा गया।

व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात सुनें, मैंने लिया है 56 में लिया है, मैंने अपने विवेक से लिया है। आपको अवसर दूंगा।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर किसान राहत की मांग कर रहे थे गोली चलवायी गयी, किसान उसमें मारा गया।

श्री अध्यक्ष–

आप समय बर्बाद कर रहे हैं।

मा० किरन पाल जी आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। 56 में सुनूंगा। फिर आपको अनुमति नहीं मिलेगी।

सीतापुर आंख का अस्पताल, सीतापुर के प्रबन्धन में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में याचिका

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सीतापुर आंख का अस्पताल, सीतापुर के प्रबन्धन में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में श्री कृष्ण गोपाल त्रिवेदी तथा श्री सुधीर तिवारी, निवासीगण जनपद-सीतापुर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ब्लाक अछनेरा में स्थित ग्राम खेड़ा वाकन्दा में पुल बनवाने के सम्बन्ध मे याचिका

*श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद-आगरा की तहसील किरावली के ब्लाक अछनेरा में स्थित ग्राम खेड़ा वाकन्दा में खारी नदी पर पुल बनवाये जाने के संबंध में श्री क्षेत्रपाल सिंह, प्रधान ग्राम-अभैदापुरा, पोस्ट-किरावली, जिला आगरा तथा श्री रणवीर सिंह, प्रधान ग्राम-सरसा, पोस्ट-अरहेरा, जिला आगरा, आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अक्षयवर लाल सदस्य विधान सभा का अपर पुलिस अधीक्षक बहराइच के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अक्षयवर लाल–

मान्यवर, कल जब यहां विधान सभा में बैठक चल रही थी तो मैं यहां आने के लिये बहराइच से आ रहा था। इतने में अपर पुलिस अधीक्षक, श्री सुरेश चन्द्र धुसिया मुझे अपने घर ले गये और कहा कि बहुत जरूरी बात करनी है फिर दिन भर उन्होंने मुझे अपने कमरे में बन्द रखा मुझे आने नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि विधान सभा चल रही है और मेरे चार प्रश्न भी लगे हैं लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया और दिन भर बन्द रखा। मैंने उनसे यह भी कहा कि मैं लौटकर आपकी बात सुन लूंगा लेकिन वे धमकी देते रहे और पूरे विधान सभा का अपमान किया, विधायिका का अपमान किया उन्होंने यह कहा कि "तुम्हारे जैसे बहुत विधायकों को देखा हूँ तथा ठीक किया हूँ, विधान सभा में जाकर क्या करोगे तुम सारे विधायक विधान सभा में कुत्तों एवं भेंड़ों की तरह लड़ते हो तुम्हारी विधान सभा की क्या औकात है? मैं विधान सभा अध्यक्ष तथा विधायकों को कुछ नहीं समझता, सब दुष्ट हैं तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो।" मान्यवर, उन्होंने आपका भी अपमान किया। मैं चाहता हूँ कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है आपकी बात आ गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ। इस सदन की यह पूर्व परम्परा एवं परिपाटी रही है कि अगर किसी सदस्य के ऊपर अत्याचार होता है तो उसको सुना जाये। यह सदस्य नये हैं और पहली बार चुन कर आये हैं इसलिए ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। मान्यवर, इनको डी० एस० पी० बहराइच ने यहां आने से रोका इनसे यह कहा कि "तुम्हारे जैसे बहुत विधायकों को मैंने देखा है तथा ठीक किया है, विधान सभा में जाकर क्या करोगे? तुम सारे विधायक विधान सभा में कुत्तों एवं भेड़ों की तरह लड़ते हो तुम्हारे विधान सभा की क्या औकात है? मैं विधान सभा अध्यक्ष तथा विधायकों को कुछ नहीं समझता सब दुष्ट हैं, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो।" उन्होंने विधायक को एवं विधायिका को भी लांछित किया। कल माननीय सदस्य का सवाल लगा हुआ था तो उन्होंने कहा कि मुझे जाने दें जब मैं लौट आऊंगा तो जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लीजियेगा लेकिन उन्होंने आने नहीं दिया। इन्होंने विधायिका का अपमान किया है और माननीय सदस्य को विधान सभा में आने से रोका। उनके विधायी कार्य में बाधा पहुंचायी। हमारे विशेषाधिकार में यह लिखा हुआ है कि विधान सभा में वाक् स्वतंत्रता है और इसे कोई रोक नहीं सकता है, कोई दबाव नहीं डाल सकता है। लेकिन कल अपर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें विधान सभा में आने से रोका और उनका अपमान किया, विधायिका का अपमान किया जबकि कल उनका सवाल लगा हुआ था। मान्यवर, बिहार में एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। उस प्रदर्शनी में एक चित्र लगा हुआ था जिसका शीर्षक था कि विधायक चोर है। तो प्रदर्शनी के आयोजक के ऊपर विशेषाधिकार हनन का मामला लाया गया और उसकी शास्ति की गयी।

इस प्रकार से यह मामला बनता है।

*श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय सदस्य बड़ा गम्भीर प्रकरण सदन के संज्ञान में लाये हैं। मान्यवर, इस सदन में नित्य प्रति कोई न कोई इस तरह का प्रकरण आता रहता है। अभी कुछ दिन पहले पीलीभीत के डी०एम०, एस०पी० ने माननीय विधायक बी०एम० सिंह के साथ दुर्व्यवहार किया था, वह प्रकरण यहां आया था। सत्ता पक्ष के एक विधायक श्री मुनव्वर हसन, मुजफ्फरनगर का मामला आया है, वहां का डी०एम० उनसे कह रहा है कि "जेल भिजवा दूंगा।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस तरह से प्रदेश की नौकरशाही बेलगाम हो गयी है, जहां जिसका मन हो, विधायकों को रोक ले, अपने घर ले जाये और विधायकों की अवमानना करते हुये उसके खिलाफ तरह-तरह की बकवासें अधिकारियों की ओर से की जायें, यह गम्भीर प्रश्न है। मैं समझता हूं कि विधायिका के लिये यह अत्यन्त चिन्तनीय है और अब सदन के संज्ञान में सारे तथ्य आने के बाद यदि कार्यवाही सुनिश्चित न हुई तो कोई फायदा नहीं होगा, सदन की कार्यवाही का और सदन को आगे चलाने का।

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 8 अप्रैल, 1994 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुयीं.....

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य एक साथ अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी, मैंने प्रश्न उपस्थित किया और उस पर आपने कोई निर्देश नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष–

मैनें निर्देश दे दिया है कि मैं परीक्षण कर रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

सदन के संज्ञान में सारे तथ्य आने के बाद परीक्षण का क्या मतलब है? मान्यवर, आप नियमावली देख लें। नियमावली में स्पष्ट है कि सदन के समक्ष अगर कोई माननीय सदस्य कोई बात कहता है तो सच कहता है उस पर आपको कोई निर्देश देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय सदस्य की बात सुनी, अब मैं स्वयं भी इसका परीक्षण करूंगा, उसके बाद निर्णय दूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

जब माननीय सदस्य ने खड़े होकर बात कह दी तो उसे सच माना जाता है।

श्री अध्यक्ष–

वह सच माना जाता है, ऐसा नहीं है। माननीय वर्मा जी, आप मुझे आगे बढ़ने दीजिये.

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

माननीय वर्मा जी, आपको व्यवधान नहीं करना चाहिये। आप व्यवधान डालने की बहुत कोशिश करते हैं।

*श्री ऊदल–

यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है। माननीय सदस्य ने जो उनके ऊपर आपबीती है, उसी बात को उन्होंने इस सदन के अन्दर आपके समक्ष कही है। आप कहते हैं कि क्या हम उनकी बात को सही मान लें? आखिर आप किसकी बात को सही मानेंगे? हमारी नियमावली में यह व्यवस्था है कि अगर माननीय सदस्य अपनी आपबीती को सदन के समक्ष कहते हैं तो आपको उसे ग्राह्य करना चाहिए और सच्चाई को मानना चाहिए। आप कहते हैं कि हम इस पर निर्णय नहीं दे सकते तो आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दीजिये वहां इसका निर्णय हो जायेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग मेरी भी बात सुन लें, मुझे भी कुछ कहने दीजिये।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मेरे कहने के बाद आप कह लें, अगर आप नाराज न हों तो, माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन परम्पराओं से चलता है और आपसे ज्यादा परम्पराओं का ज्ञाता कौन है, आप सदैव परम्पराओं को निभाते भी हैं। इस मामले में किसी के साक्ष्य या विचार की जरूरत नहीं है। एक सम्मानित सदस्य अपनी आपबीती सुना रहा है और अगर आप उसकी बात का विश्वास नहीं करेगें तो क्या उसकी बात का विश्वास करेंगे जिसने माननीय सदस्य के ऊपर आक्रमण किया है?

मान्यवर, वह तो यही कहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। मान्यवर, जब कोई माननीय सदस्य सदन में अपनी आपबीती सुनाते हैं तो उनकी बात को सच मानकर उन पर कार्यवाही की जाती रही है। आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि इस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। अगर वह समिति कुछ साक्ष्य लेना चाहेगी तो वह समिति के समक्ष आयेगा। मान लीजिये माननीय सदस्य की बात गलत निकल जाये तो अस्वीकार हो जायेगा। आप फांसी पर तो इनको चढ़ा नहीं रहे हैं। अगर आप इसको करते हैं तो परम्पराओं का पालन करेंगे, विधान सभा की गरिमा की रक्षा करेंगे और अपने पीठ की रक्षा करेंगे।

(श्री अध्यक्ष द्वारा संसदीय कार्यमंत्री को पुकारे जाने पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं नियम 66 और 67 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और प्रक्रिया सम्बन्धी दो नियम कोड करना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नही किया।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, आपने मुझे बुला लिया है तो गुप्ता जी क्यों खड़े हो गये?

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी की बात भी सुन लीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के बोलने के बाद मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं होगा। मैं आपका ध्यान नियम 66-67 शिकायतों और विशेषाधिकार के बारे में दिलाना चाहता हूं। अभी जो विचार माननीय नेता कांग्रेस, नेता जनता दल, नेता कम्युनिस्ट पार्टी श्री ऊंदल जी ने प्रकट किये हैं, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। 66–शिकायत का प्रस्तुत किया जाना यदि इन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष के मत में विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान की सूचना सम्मति योग्य तथा ग्राह्य हो तो वे उस मामले को विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन के निमित्त निर्दिष्ट कर सकेंगें और सदन को उसकी सूचना देंगे। 67– विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न पर सदन द्वारा विचार..... यदि अध्यक्ष इस मत के हों कि सूचना का विषय ऐसा है जो बिना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये ही सदन में निस्तीर्ण किया जा सकता है तो यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रश्न पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाय।

सभी माननीय सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया है कि प्राग्दर्शन में माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना बिल्कुल सही साबित होती है। दो बातें बिल्कुल साफ हैं कि सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये बाधा डालना और विधायक के घर से सम्बन्धित मामलों में लांछित करना। ये दोनों बातें साफ हैं और तीसरी बात माननीय सदस्य ने यह कहा है कि माननीय बदन सिंह जी की सूचना 22 फरवरी की है और उस पर अभी तक परीक्षण हो रहा है और इसका परीक्षण जाने कब तक हो पायेगा? माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि उनकी जान को खतरा है और उन्होंने एडीशनल एस०पी० के खिलाफ मामला सदन में उठा दिया है इससे वह और भी कुपित हो गये होंगे। श्री राम आसरे वर्मा जी ने कहा कि नौकरशाही के हौसले बुलन्द हो गये हैं और वह बेलगाम हो गयी है। इस मामले के परीक्षण की रिपोर्ट आयेगी महीने भर में लेकिन उनकी जान को जो खतरा है, उसके लिये क्या व्यवस्था करेंगे? माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी उत्तर देगें और कह देगें कि इसे अग्राह्य कर दिया जाना चाहिए। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप तत्काल इनकी पूरी बात को सुन लें और छानबीन के उपरान्त इसको.....

विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया है। माननीय सदस्य ने आपबीती सुनाई है, यह सबके लिये अच्छा होगा। जो आरोप लगाये गये हैं। माननीय सदस्यों की एक कोर्ट बुलाकर बात करते , उसके बाद वह सदन में आयेगा। श्रीमन् इसके लिये नियम–66व 67 अधिकृत करता है। माननीय नेताओं ने भी यही बात कही है यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय और मेरी भी यही राय है तथा साथ-साथ सरकार को भी निर्देशित करने की कृपा करें कि

माननीय सदस्य के जानमाल की, उनके परिवार की सुरक्षा की जाय और सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावी उचित कदम उठाया जाय। आप हमारे अधिकारों के रक्षक है और संरक्षक हैं। सरकार को आप जानते हैं, हम जानते हैं, सभी जानते हैं। विभिन्न दलों के नेताओं ने यहां पर जो विचार प्रकट किये, अपने को मैं उनसे सम्बद्ध करता हूं।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह विधायकों और विधायिका का अपमान प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अक्सर किया जाता है। इससे पहले भी तीन-चार माननीय विधायकों का प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपमान करना, उनके विरुद्ध झूठे मुकदमें कायम करना और माननीय विधायक द्वारा आपबीती सुनाने की बात है, इससे प्रशासनिक अधिकारी उत्साहित हैं। मान्यवर, आप सबके संरक्षक हैं, इस विधान सभा की गरिमा बनी रहे, उनके हितों और अधिकारों की सुरक्षा हो, यह आपसे विनम्र निवेदन है । माननीय ऊदल जी ने अभी यहां पर कहा माननीय विधायक के बारे में, ( ) कि जो माननीय विधायक अपने बारे में आपबीती विधान सभा में बयान करें वह सत्य माना जाता है, यह नियमों में है और यही परम्परा भी है तथा ऐसा होना भी चाहिए। हमारे श्री बी०एन० सिंह जी हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमें कायम हैं। अधिष्ठाता जी ने इस पर कहा था कि पीलीभीत एक कमेटी जायेगी और वहां पर देखेगी, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं हुआ है, और न ही सचान साहब के बारे में। श्री बदन सिंह जी के मामले में भी निर्णय सुरक्षित है, इसी तरह कई विधायकों के बारे में है, उनके अपमान, मान-सम्मान के संबंध में पूरी तरह से टाल-मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी आये दिन उत्साहित हो रहे हैं। जब घटना सदन में आई है तो इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय इस पर गवाही आयेगी, इस पर निष्कर्ष निकलेगा, माननीय विधायकों के आत्मसम्मान की रक्षा होगी। आज इस विधायक का मामला है, कल दूसरे का, परसों तीसरे फिर चौथे सदस्य का मामला आयेगा। प्रशासनिक अधिकारी माननीय सदस्यों का अपमान करके उत्साहित हो रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकरण पर गंभीरता से विचार करते हुये विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें, मुल्जिम के बयान करायें, इस पर किसी तरह की बात ही नहीं होगी, यही मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो प्रकरण इस समय सदन के समक्ष विचाराधीन है उससे कदाचित आप स्वयं विज्ञ हैं। आप संरक्षण देते हैं, सार्वजनिक जीवन में समस्यायें आती हैं, जनमानस की समस्याओं के लिये उनकी रक्षा करनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में तमाम लोगों की समस्यायें हैं उनका निराकरण करते हैं। सार्वजनिक जीवन में कर्त्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन में तरह-तरह की बातें आती हैं, प्रशासनिक कठिनाई भी आती हैं, आप संरक्षण देते हैं समस्त माननीय सदस्यों को अपनी पीठ से देते हैं। माननीय सदस्य ने आप बीती सुनाई है। माननीय सदस्यों की समानता के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

संबंध में, उनके सम्मान के संबंध में, उनके प्रेवीलेजेज के संबंध में और विशेषाधिकार के संबंध में माननीय तिवारी जी, श्री किरनपाल जी, श्री ऊदल जी और श्री गुप्ता जी तथा तमाम माननीय सदस्यों ने कहा है आये दिन ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। आज विभिन्न जनपदों में सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले लोगों और जनप्रतिनिधियों को प्रशासन का कोप भाजन होना पड़ रहा है।जब वह जनमानस की समस्याओं को मुखरित करने का प्रयास करते हैं तो प्रशासन उनसे नाराज हो जाता है इस तरह की घटनायें बराबर होती रही हैं यदि इस प्रवृत्ति को नहीं रोका गया तो इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। एडीशनल एस०पी० ने जिस तरह से माननीय विधायक को अपमानित किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, अगर सख्त से सख्त कार्यवाई नहीं की गई तो अन्य जनपदों में भी प्रशासनिक अधिकारी इसी तरह का व्यवहार करेंगे और सम्पूर्ण विधायिका को अपमानित करेंगे।

इसी सदन में और इससे पूर्व भी इस तरह की घटनायें उठायी जाती रही हैं। अभी मुजफ्फरनगर की घटना को ले लीजिए माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी और नरेश अग्रवाल ने उठाया था कि हमारे पूर्व मंत्री श्री हुकुम सिंह एवं श्री नकली सिंह जी को किस तरह से पुलिस कप्तान ने जूते दिखाए और उन्हें अपमानित किया और फर्जी मुकदमों में आरोपित करने का काम किया। जब विधायकों ने इसका विरोध किया तो उनसे कहा गया कि हम आपकी हिस्ट्रीशीट खोल देंगे। जिस तरह की परिस्थितियां विद्यमान हो रही हैं उसमें जनप्रतिनिधि के लिये काम करना कठिन होता जा रहा है। यह एक सदस्य का सवाल नहीं है आज इस विषय पर सदन को निर्णय लेना ही होगा ताकि जनप्रतिनिधि निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकें। माननीय सदस्यों ने जो बात यहां पर रखी है उससे मैं भी अपने को सम्बद्ध रखते हुए कहना चाहता हूं कि इस मामले को आप विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दें। यह परम्परा भी रही है।

श्री बदन सिंह स०वि०स० द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर निर्णय की मांग

*श्री बदन सिंह–

मान्यवर माननीय सदस्य बहराइच में इस आदरणीय सदन को एक विशेषाधिकार की सूचना दी है उन्होंने विनम्रतापूर्वक गुहार भी की है कि उनके जीवन व परिवार के लोगों को खतरा बना है। उनका कहना है कि अगर वह बहराइच जायेंगे तो उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। माननीय श्री राम आसरे वर्मा जी ने एक व्यवस्था का सवाल उठाया था। आपने कहा था परीक्षण करा रहे हैं। परीक्षण कराने का आदर करते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार सी०डी०ओ० आगरा ने किया था। सी०डी०ओ० आगरा ने 3 फरवरी को तहसील किरावली के सिंगारपुर गांव को पुनः गोद लिया था। हम माननीय सदस्यों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि जिला स्तर पर व निकाय स्तर पर, क्षेत्र में विकास से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

संबंधित जो भी समितियों की बैठकें होंगी, उसमें हम जन प्रतिनिधियों को आदर-पूर्वक बुलाया जायेगा। परन्तु हमें नहीं बुलाया गया। अखबारों की सूचना के मुताबिक जब हम गये तो उन लोगों ने दुबारा उस गांव को गोद लेने का कार्य किया, जो कि अनुचित था। मैंने इस व्यवहार के प्रति 22 फरवरी को विशेषाधिकार की सूचना दी थी। मैं बार-बार सचिव, विधान सभा व आपके पास चक्कर लगाता रहा लेकिन आपने यह कह कर कि परीक्षण कराया जा रहा है, मुझे वापस कर दिया। मेरा यह कहना है कि अगर 27 अप्रैल तक इसका जबाब नहीं आता है तो हम लोग अधिकार शून्य हो जायेंगे।

विधायिका के अधिकारों का अपमान जानबूझ कर हो रहा है जिसे किसी भी प्रकार से हम बरदास्त नहीं करेंगे। बार-बार विधायकों के द्वारा अपील की गयी है। विशेषाधिकार समिति को मामला दे दें जो छानबीन कर लेगी। संभवतः माननीय सदस्य को न्याय मिल जायेगा। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि मैने जो मामला दिया था उसके संबंध मे आप मुझे इसी सत्र के दौरान परीक्षण करा कर निर्णय दे देंगे। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, मेरे जिले का मामला है.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय बदन सिंह ने एक प्रश्न उठाया है (व्यवधान) मैं पहले बदन सिंह जी की बात पर निर्णय दे दूं (व्यवधान) आप मुझे निर्णय नहीं देने देंगे।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, विधायकों के अधिकारों का मामला है उनकी भावनाओं को सुनने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मेरे सामने जो प्रकरण उठाया है उस पर निर्णय सुन लें। अभी माननीय बदन सिंह जी ने एक प्रकरण में अपने विशेषाधिकार की सूचना के प्रश्न के संबंध में प्रकरण उठाया है उस पर व्यवस्था दे दूं। माननीय बदन सिंह जी ने विशेषाधिकार के संबंध में सूचना दी थी उनकी जानकारी के लिये मैंने रिमाइंडर भी भिजवाया है आज तक सूचना नहीं आयी है। (व्यवधान) अगर 11 ता० तक सूचना नहीं आई तो फिर मैं निर्णय अपने विवेक से कर लूंगा।

श्री अक्षयवर लाल स०वि०स० का अपर पुलिस अधीक्षक बहराइच के विरूद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

जहां तक प्रश्न माननीय सदस्य के प्रकरण पर चल रहा है मैं समझता हूं कि काफी विचार आ गये हैं बालियान साहब आप भी अपने विचार रख लीजियेगा फिर मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से पूछ लूंगा।

श्री सुधीर कुमार बालियान :–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। आज जिस प्रकार पूरे प्रान्त में अधिकारियों के द्वारा विधायकों का अपमान किया जा रहा है और उनकी उपेक्षा की जा रही है उसके अनेक संदर्भ विधान सभा में आये हैं। मेरे जिले का उल्लेख यहां आया इसलिये मैं उस पर कुछ कहने के लिये इच्छुक हुआ। मेरे जिले के विधायक मुनव्वर हसन के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक द्वारा हिस्ट्री सीट खुलवाने की सूचना है। इसी तरह से जगत सिंह जी के विरुद्ध भी अपमानजनक शब्द पुलिस अधीक्षक द्वारा कहे गये। माननीय जगत सिंह जी उपस्थित नहीं है उन्होंने मुझे बताया था। अभी 27 ता० को मथुरा में दरोगा, इंस्पेक्टर और सिपाहियों के साथ पुलिस अधीक्षक ने अपने विधायक को अपने घर में रोकने का प्रयास किया। जिस घटना का उल्लेख है माननीय प्रणतपाल सिंह जी बतायेंगे उनको पुलिस अधीक्षक ने अपने घर में डिटेन कर लिया था। किसी तरह से वह वहां से निकले। तो इस प्रकार अभद्र व्यवहार विधायकों के साथ हो रहा है। पुलिस निरंकुश हो रही है। सुरेन्द्र सिंह इंस्पेक्टर जो उसी जनपद का है वहीं उसे नियुक्त किया हुआ है।

उसके द्वारा विधायकों और कार्यकर्ताओं के विरूद्ध अनेक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसके अनेक प्रकरण हैं। आप हमारे हितों के संरक्षक हैं, इसलिये विधायकों का सम्मान रहे और सरकार से विधायकों की सुरक्षा जो अपेक्षित है वह प्रदान की जाये। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि गोकुल, मथुरा के विधायक जो यहां मौजूद हैं उनकी बात को भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी आप बोलें।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह–

मेरी बात को सुन लिया जाए।

(कई माननीय सदस्य कहने लगे मेरी बात को सुन लें)

श्री अध्यक्ष–

मैं किसी को नहीं सुनूंगा, मैने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है। (व्यवधान) (सदस्यों के न बैठने पर) सभी को मैं सुनूंगा, आप बोलें लेकिन ढाई बजे बजट पर चर्चा मैं शुरू करवा दूंगा। आप लोग नहीं मानते हैं तो बोल लें।

(व्यवधान)

* श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह–

मान्यवर, मैंने विधान सभा में एक महीने पहले यह मामला उठाया था कि एस०डी०एम० और डी०एम० पीलीभीत द्वारा विधान सभा और विधायकों की गरिमा के ऊपर हाथ डाला गया था। जिसपर आपने रूलिंग रिजर्व किया था और उसके परिणामस्वरुप आज हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उन सभी को जानबूझकर दंडित किया जा रहा है जैसे पूरनपुर में एक मुसलमान मोहल्ले के अंदर 150 खोके गुमटियों को तोड़ा गया जबकि पीलीभीत में और कहीं अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसलिये डी०एम० ने हमारे कार्यकर्ताओं को तंग करने का प्रयास चालू कर दिया है। इसके साथ ही हमारे क्षेत्र में एस०डी०एम० और डी०एम० द्वारा काश्तकारों की खड़ी फसलें जैसे गेहूं, गन्ने को जुतवा दिया गया है और यह इसलिये हो रहा है कि यहां से आप सदस्यों को संरक्षण नहीं देते हैं। इसलिये आपसे अनुरोध है कि एक विधानसभा की कमेटी बनाकर पीलीभीत भेजें जिससे अधिकारियों का पर्दाफाश हो और एस०डी०एम० एवं डी०एम० के खिलाफ विशेषाधिकार समिति को मामला सौंपा जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें। संसदीय कार्य मंत्री जी आप जबाब दें।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन् गुप्ता जी जानते हैं कि सदन की परम्परा है कि जो भी विशेषाधिकार के प्रश्न यहां अध्यक्ष जी को दिये जाते हैं उनका पहले परीक्षण कराया जाता है और उसके बाद निर्णय दिये जाते हैं। यह इसलिये किया गया है कि कोई भी न्याय सही तभी होता है जब दोनों पक्षों की बातें सामने होती हैं। दूसरे पक्ष को भी सुना जाता है चाहे मंत्री को ही अध्यक्ष जी सुनें और उसके बाद जो निर्णय किया जाता उसकी सूचना सदन को दी जाती है।

यह सही है कि विधायकों की मर्यादा सर्वोपरि है। वह नियम निर्माता हैं, किन्तु उनका यह भी कर्तव्य है कि वह नियमों में प्राविधान के अधीन ही मंत्री या अध्यक्ष पर कोई प्रभाव या दबाव डालें। आपने नियम का कुछ पोरशन छोड़ दिया था, पूरा नहीं दिया था। नियम 66 में दिया हुआ है–प्रतिवेदन के निमित्त निर्दिष्ट कर सकेंगे और उसकी सूचना सदन को देंगे। और उसमें पहले यह है कि वह उसका परीक्षण करेगे। आप नियम 64, 65, 66 में देख लीजिये, यह परम्परा भी रही है। माननीय सदस्य ने जो उठाया है, उसके औचित्य और अनौचित्य के बारे में मैं कुछ नही कहना चाहता हूं, लेकिन विधायकों को परम्परा का आदर करना चाहिए और इसमें यह आवश्यक है कि विरोध पक्ष से भी प्राग्दर्शन में जानकारी कर ली जाये। यही सब तरह से उचित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

होगा.....व्यवधान..... जब सदन के समक्ष कोई घटना घटी हो, तभी उस पर सीधे कोई कार्यवाही की जा सकती है। उसके अलावा एक इसी तरीके से कार्यवाही करने की परम्परा रही है और उसके अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए.....

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....'व्यवधान'

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग मुझे भी कुछ कह लेने दीजिए। 'व्यवधान' आप कुछ लोग हमें कोई निर्णय नहीं लेने देना चाहते हैं.....व्यवधान.....ढाई बजे तक ही हम सुनेंगे, ढाई बजे से अनुदान पर चर्चा शुरू हो जायेगी।.....'व्यवधान'..... अब मैं किसी को नहीं सुनूंगा।

श्री रामआसरे वर्मा–

मान्यवर, आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं, आप बैठिये। यह सब ढाई बजे तक ही चलेगा.....'व्यवधान'

श्री रामआसरे वर्मा–

यह कोई तरीका नहीं हुआ आपका। इस तरीके से नहीं चलेगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य ने इतना गम्भीर प्रश्न उठाया, अपने ऊपर खतरा बताया और आप उसे यों कह कर छोड़े दे रहे हैं। माननीय सदस्य की सुरक्षा का अश्वासन तो कम से कम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दे दें।

श्री अध्यक्ष–

यह तो ठीक है, आप उनसे कहें, लेकिन जो लोग यों ही बोल रहे हैं और बिना मेरी इजाजत के बोलते हैं वह विलकुल ठीक नहीं है।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

नियमों के तहत मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आप व्यवधान न डालिए। आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं, मैं आपकी कैसे सुनूं? तो माननीय वर्मा जी आप कृपा करके अपने स्थान पर बैठिये।

श्री रामआसरे वर्मा–

आप नियमों की बात नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात नहीं सुनना चाहतें हैं, वर्मा जी मुझे कुछ कहने नहीं देना चाहते हैं । मैंने माननीय पीड़ित सदस्य की बात सुनी, माननीय नेताओं की भी बात सुनी, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री की भी बात सुनी और उसके पश्चात् नियम 65 देखियेगा–

[समय–1 बजकर 20 मिनट]

65 में देखियेगा । ऐसे प्रश्न की ग्राहयता निम्नलिखित शर्तों से नियंत्रित होगी–(क) प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निबद्ध हो, (ख) सूचना के विषय से विशेषाधिकार भंग अवमान का प्रश्न प्राग्दर्शन से विदित हो । आप देखिये प्राग्दर्शन अगर एक ही पक्ष का सुनेंगे तो निर्णय कैसे हो पायेगा? प्राग्दर्शन के लिए यह आवश्यक है कि हम गृह मंत्री जी की बात भी सुन लें और इसके लिए मैं 12 तारीख निश्चित करता हूँ । अगर 12 तारीख को मेरे पास गृह मंत्रालय की ओर से, सरकार की ओर से कोई अपना वर्जन नहीं आता है और कोई पक्ष नहीं आता है तो 13 तारीख को अपना निर्णय मैं सुना दूँगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, ऐसे सभी मामलों पर ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब देखिये मैंने आपको बता दिया फिर भी वही बात कर रहे हैं। आप देखिये मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं उसके बाद भी आप कह रहें हैं । अब क्या शेष रह गया है ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने कृपा पूर्वक इतनी बात तो कह दी कि 12 तारीख की लाइन खींच दी । अगर अपके पास नहीं आता है तो आप एकतरफा फैसला कर देगें । मान्यवर, मैं दो निवेदन करना चाहता हूँ । पहला तो यह कि प्राग्दर्शन आप तय करेंगें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है मैं मान लूँगा । अगर सूचना नहीं आती है, कुछ विचार उस तरफ से नहीं आते हैं तो पूरी तरह से मान लूँगा कि सही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कह रहा हूँ कि माननीय सदस्य ने अपनी सुरक्षा के बारे में गुहार की है ।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार को सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करनी चाहिये । माननीय सदस्य को किसी तरह से कोई ठेस नहीं लगनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नहीं मान्यवर, आप डिक्शनरी भी देख लें । प्राग्दर्शन का तात्पर्य यह है कि जो बिना तर्क के भी सरकमस्टैनसेज, इविडेंस यानि साक्ष्य के आधार पर अपने विवेक से निर्णय दें ।

श्री अध्यक्ष–

विवेक तो मेरा होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप करेंगे । मान्यवर, यह विशेषाधिकार समिति क्या काम करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

जब कोई चीज प्राग्दर्शन में आ जायेगी उसके बाद ही उसे समिति गठित करके उसके सुपुर्द किया जायेगा । एक प्रोसीजर है, उसके तहत ही तो काम होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, प्राग्दर्शन को आप किस तरह से परिभाषित कर रहें हैं, मै यह जानना चाहता हूँ ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अब तक यह परम्परा रही है कि सबका प्राग्दर्शन एक तरफ आपका प्राग्दर्शन एक तरफ । जो आप कह दें, वह सही होगा । ओला तूफान 56 में लीजिएगा 13 तारीख को नहीं आया तो ले लीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैने कह दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य की सुरक्षा के बारे में क्या किया है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

विधायकों की सुरक्षा के बारे में पहले ही निर्देश दिये गये हैं, अंग रक्षक दिये जाने लिए। अगर नहीं दिया गया है तो दे दिया जायेगा और अगर है तो ठीक है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आज एक विशेष परिस्थिति हुई है। अंगरक्षक जिसने दिया है वही उनकी जान को खतरा पैदा कर रहा है। एस० पी० के अन्डर में अंगरक्षक है।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सुरक्षा हम थोड़े ही करने जायेंगे यह कह दिया है कि अंगरक्षक दे दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन् अक्षयवर लाल बहराइच की सुरक्षा के लिए कोई निश्चित उत्तर नहीं दे रहें हैं। सरकार के इस रवैये के कारण जो गलत तरीके से गलत लोगों की हौसलाबुलन्दी हो रही है, मैं अपने आगरा के सदस्यों को निर्देशित करता हूँ कि वह यहीं रहेंगे बाकी सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन करता हूँ।

(श्री राजेन्द्र गुप्त द्वारा आगरे के सदस्यों को छोड़कर दल सहित सदन का त्याग किया गया)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 8 अप्रैल, 1994 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें स्वीकृत की गई। पहली सूचना श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री रंगनाथ श्री रमेश कांत लवानिया, श्री बदन सिंह, डा० राम बाबू हरित, श्री छोटे लाल वर्मा, श्री भैरो प्रसाद मिश्र, श्री प्रमोद तिवारी. श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्री शूरवीर सिंह सजवाण, डा० राम बाबू हरित, श्री छोटे लाल वर्मा, श्री हरेन्द्र सिंह मुजफ्फरनगर की है, इनको इन सूचना पर सुना जायेगा, इनकी सूचना आगरा में हुई ओलावृष्टि की घटना से संबंधित है।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

पुलिस फायरिंग में एक किसान के मरने के संबंध में है।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप सुन तो लीजिए।

दूसरी सूचना श्री रमेश कांत लवानिया की है इसको सुना जायेगा इन्होंने ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश के द्वारा आगरा की 11 औद्योगिक इकाइयां बन्द होने व अन्य 852 आद्योगिक इकाइयों को ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित किये जाने से आगरा के औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न संकट और उसके दुष्परिणामों के संबंध में सूचना दी है। तीसरी सूचना श्री अफजाल अंसारी, श्री ऊदल, श्री किरनपाल सिंह की है, इस सूचना पर सुना जायेगा। उन्होंने जनपद गाजीपुर के थाना भुड़कुड़ा के अन्तर्गत ग्राम पदमपुर रामराज निवासी श्री वीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है। चौथी सूचना श्री रंगनाथ और डा० सरजीत सिंह डंग की है, इस सूचना पर इन्हें सुना जायेगा।

इन्होंने प्रदेश के सांसद तथा भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री सत्यदेव सिंह पर हुए प्राणघातक हमले तथा कथित रुप से जान से मारने का षडयन्त्र किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। पांचवी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल, श्री हरि शंकर तिवारी, श्री वीरेन्द सिंह, मुन्ना, श्री शिव प्रताप शुक्ल तथा राजेन्द्र कुमार गुप्त की है इस सूचना पर इनको सुना जायेगा। इन्होंने बरेली से निकलने वाले 'आज' समाचार-पत्र के सम्पादक श्री गिरजेश राय की अकारण पुलिस द्वारा पिटाई किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। छठीं सूचना श्री सुरेश प्रताप सिंह चौहान की है इसमें सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है इन्होंने मुरादाबाद जिले के भोजपुर थानान्तर्गत ग्राम पिपलसाना में पूर्व विधायक के भाई श्री अजीमुल हक की हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। सातवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की है इसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है इन्होंने जनपद उन्नाव के थाना मौरावाँ अर्न्तगत ग्राम-केदार खेड़ा में कथित रूप से पुलिस संरक्षण में लगाई गई आग व आतंक के संबंध में सूचना दी है। आठवीं सूचना श्री किरनपाल सिंह , श्री हरेन्द्र सिंह मुजफ्फरनगर श्री तेजपाल सिंह तथा श्री विशम्भर सिंह की है। इसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। इन्होंने जनपद मथुरा के बी० एस० ए० कालेज में विधि छात्रों को बिना पूर्व सूचना के परीक्षा देने से रोके जाने के संबंध में सूचना दी है।

नवीं सूचना श्री राम आसरे वर्मा व किरनपाल सिंह की है। विषय कानपुर के शेयर दलाल श्री संजय सोमानी द्वारा इलाहाबाद बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में करोड़ों रुपये का घोटाला किये जाने के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

दसवीं सूचना श्री राज कुमार शिवहरे की विषय है, बांदा नगर के मोहल्ला, खाईपार में बालिका डिग्री कालेज एवं मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के समीप शराब के ठेका एवं पशुओं को काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

शेष सूचनाएं जो लाटरी से नहीं निकली, वह अस्वीकार की जाती है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री बदन सिंह, श्री रंगनाथ, श्री सुन्दर लाल आदि कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए।

श्री अध्यक्ष–

मैं समय देख लेता हूँ उसके बाद नियमानुसार सदस्यों को बुलाऊंगा ।

मैं श्री सत्य प्रकाश विकल को पहले बुला रहा हूँ उनकी सूचना पहले प्राप्त हुई है।

श्री प्रमोद तिवारी–

पहली सूचना हमने दी है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना 9.20 पर मिली है, जबकि श्री विकल जी की सूचना 9.00 बजे मिली है । विकल जी के बाद आपको बुला लेंगे । कई लोगों की सूचनाएं हैं । तीन-तीन मिनट से ज्यादा समय आप लोग मत लें ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, आपकी पीठ से निर्णय हुआ था कि सूचनाओं पर जिन सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे उन्हें पहले सुना जायेगा, बाकी लोगों को बाद में सुना जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अगर दो-दो, तीन-तीन लोगों के हस्ताक्षर हर सूचना पर हैं । तो एक इधर से एक उधर से हर दल के नेता को सुना जाता है । इस संबंध में आप कार्यवाही देख लीजिए ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

आज जो सूचना मैंने दी है वह बहुत गम्भीर विषय पर है । यह सरकार लगातार यह घोषणा करती है कि यह सरकार दलितों, गरीबों, किसानों और पिछड़ों की सरकार है और उनके हितों के लिए और उसकी रक्षा के लिए सब प्रकार के काम करेगी ।

लेकिन मान्यवर, आये दिन हरिजनों, पर दलितों पर, किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसी कड़ी में कल आगरे में पुलिस द्वारा निहत्थे किसानों पर, गरीब किसानों पर पुलिस ने फायरिंग की। 5-6 तारीख को आगरे में जो भीषण तूफान आया था और भारी ओलावृष्टि हुयी थी तथा वर्षा हुयी थी उससे सारे किसाने तबाह हो गये हैं और जिसमें 14 लोगों की मृत्यु हुयी है। हजारों लोग बेघर हुये हैं लोगों के मकान और छप्पर टूट गये हैं। हजारों पशु पक्षी इस तूफान में मारे गये हैं। मान्यवर, तहसील एतमादपुर में जमालपुर भैंस नामक स्थान पर अनेक किसान धरना दे रहे थे। उनकी मांग यह भी कि उनकी बात सहानुभूति पूर्वक सुनी जाय और उनको सहायता दी जाय। यह सरकार जो किसानों की हितैषी होने का दावा करती है वह उससे मुआवजे की मांग कर रहे थे और अपने पुनर्वास के लिये सहायता की मांग कर रहे थे लेकिन सहायता के बदले उनको मिली लाठियां और गोलियां। (इस समय 1 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता अशोक बाजपेई पीठासीन हुए।) पुलिस ने गोली चलायी और नगला अमर सिंह का एक किसान किताब सिंह यादव मारा गया और अनेक किसान घायल हो गये तथा उनकी मार-मार कर हड्डियां तोड़ दी गयीं। पुलिस ने गांव में घुसकर जो पूर्व प्रधान ओम प्रकाश थे उनके मकान के पीछे

अनुसूचित जाति, [XXX] की बस्ती थी उसमें पुलिस ने घुसकर लोगों को घरों से निकाल कर बुरी तरह से पीटा जिससे पचासों लोग घायल हुये। आज इस घटना से आगरा में दहशत और आतंक है, वहां उत्तेजना व्याप्त है।

इंजी० राम लोटन सिंह पटेल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने [xxx] शब्द का प्रयोग किया है इसको कार्यवाही से निकाल दें।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं शब्दों में सुधार किये लेता हूँ। हरिजनों की बस्ती मैंने कहा है, अनुसूचित जाति की बस्ती, दलितों की बस्ती, गरीबों की बस्ती में घरों में घुसकर महिलाओं को बेइज्जत किया गया और लूटपाट की गयी। सबसे शर्मनाक बात यह है कि कल हम जिस समय यह मामला यहां उठा रहे थे, उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर नहीं थे और आज भी यहां पर नहीं हैं। कल माननीय राजस्व मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमारे अधिकारी घूमघूम कर देख रहे हैं सहायता दी जा रही है। जिस समय यहां पर यह कहा जा रहा था उस समय आगरे की पुलिस वहां पर सहायता नहीं बल्कि गोलियां बांट रही थी और लोग मारे जा रहे थे। यहां पर सदन को गुमराह करते हुये कहा गया कि 70 गांवों में नुकसान पहुंचा है लेकिन मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूँ कि वहां पर 278 गांव प्रभावित हुये हैं और 20 हजार एकड़ जमीन पर खड़ी फसल बरबाद हो गयी है और करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। मेरी मांग है कि वहां पर किसानों की सभी वसूलियों को स्थागित किया जाय किसानों को मुआवजा दिया जाय। मैंने कल ही चेतावनी दी थी लेकिन यह सरकार इतनी हृदयहीन है और असंवेदनशील है कि इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। आज किसानों पर गोलियां चल रही हैं, किसान बरबाद हो गया है। मैं इस नोटिस द्वारा मांग करता हूँ कि सरकार को निर्देशित किया जाय, इस गोली कांड की उच्चस्तरीय जांच हो कि गोली क्यों चलायी गयी तथा जो लोग मरे हैं या जिनको नुकसान इस तूफान, ओलावृष्टि, वर्षा से पहुंचा है उनको सहायता दी जाय।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

सूचनायें निर्धारित क्रम में न लिये जाने के सम्बन्ध मे व्यवस्था का प्रश्न

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

तिवारी जी आप बैठ जाय, मैं व्यवस्था का प्रश्न सुन लूँ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लें। पिछले दिनों ऐसी कई बार बातें आई हैं कि नेता (कांग्रेस) ने अपने पक्ष के लिये तोड़-मरोड़ कर बातें रखी थीं,.....

नोट – [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, व्यवस्था क्या है?

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, जो नोटिस दी जायगी, उसमें दस्तखत करने वालों में से सिर्फ उसके नेता को पहले सुन लिया जायगा, फिर दूसरे दिन कांग्रेस दल द्वारा यह मामला उठाया गया , तो नेता के बाद दूसरे दल के लोगों को बुलवाया गया ? कल की घटना है कि दूसरे को मौका दिया गया। आज हमारी नोटिस 56 की है, मेरा नाम दूसरे नम्बर पर है, तो पहले बी० जे० पी० के लोग बोल लें, तब कांग्रेस के लोग बोलें।

मान्यवर, आप कार्यवाही निकाल कर देख लें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज जो सूचना आई, अभी माननीय अध्यक्ष ने केवल इसलिए माननीय सत्य प्रकाश विकल को मौका दिया, क्योंकि वह आगरा के हैं।

श्री रंगनाथ–

ऐसा नहीं है मान्यवर।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जब रंगनाथ जी बोल रहे थे, तब मैं सुन रहा था, अब मेरे बोलने पर रंगनाथ मिश्र खड़े हो गये । मान्यवर, नियम 311 में हमने सूचना दी थी, बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी थी, आपने 311 को 56 में परिवर्तित कर दिया । उसमें जितने माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है, उनको सबको बोलने का अवसर मिलना चाहिए । वहां पर भीषण ओलावृष्टि व तूफान आया है।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप पाल साहब, बैठ जायं। एक व्यवस्था का प्रश्न श्री रंगनाथ जी ने उठाया है, उस पर उनको सुना, माननीय जगदम्बिका पाल को सुना। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय सत्य प्रकाश विकल और उनके तमाम साथियों द्वारा 9 बजे सूचना सचिवालय को प्राप्त हुई है और 9–20 बजे माननीय प्रमोद तिवारी, माननीय जगदम्बिका पाल आदि की सूचना प्राप्त हुई है। चूँकि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना पहले प्राप्त हुई थी, इसलिए उनको पहले मौका दिया गया था। दूसरी सूचना माननीय प्रमोद तिवारी आदि की थी, इसलिए उनको भी अवसर दिया गया। श्री प्रमोद तिवारी जी, आप बोलें।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

आपको इनके बाद सुन लिया जायगा, आप बैठें।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

*श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 6 एवं 7 अप्रैल को ओलावृष्टि व तूफान से 7 लोगों की मृत्यु हो गयी है और 24 लोग गम्भीर रूप से घायल हैं। इस तूफान की रफ्तार 120 किलो मीटर आंकी गयी है, जिसके कारण किसानों की रबी की फसल को भारी क्षति हुई है। इस प्रदेश के जिन हिस्सों में भीषण ओलावृष्टि तूफान आया है, वहां पर किसान पूरी तरह से बरबाद हो गया है। वर्तमान सरकार उन किसानों को तत्काल राहत देकर आंसू तो पोंछ नहीं सकी, उल्टे आगरा जनपद के वरहद के पास किसानों द्वारा जमालपुर भैंस ग्राम में रेलवे क्रासिंग पर हजारो की तादाद में इक्ट्ठा होकर जब प्रशासन से मोआवजा एवं क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे थे, उस समय निहत्थे एवं शांतिपूर्ण किसानों पर पुलिस ने फायरिंग की, जिससे एक किसान की तत्काल मौत हो गयी। मान्यवर, किसानों की मेहनत से तैयार फसल पक कर तैयार है या ज्यादातर वह खेतों से खलिहानों में आ गयी। इस ओलावृष्टि से किसानों की फसल को बड़ी क्षति हुई है। तूफान से खलिहानों में रखी हुई फसल उड़कर एक किलो मीटर दूरी पर गिरी और जो फसल खेतों में बची हुई थी, और काटकर खेतों में रखी हुई थी, वह एक गांव से दूसरे गांव में उड़ गयी और जो खेत में खड़ी थी, बरसात हो जाने से खराब हो गयी है। अगर आंकलन किया जाये तो लगभग पूरे प्रदेश में आधे से ज्यादा रबी की फसलें जो थी वह क्षतिग्रस्त हो गयी है। मान्यवर, यह ठीक है कि यह प्राकृतिक त्रासदी है, लेकिन इससे प्रदेश का किसान बहुत परेशान हो गया है। इसके अतिरिक्त इसका एक दूसरा गम्भीर दुष्परिणाम यह भी हुआ है कि जो संचार व्यवस्था थीं, बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था थी वह प्रभावित हुई है। बिजली के पोल गिर गये हैं, ट्रान्सफारमर जल गये हैं और विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसान अपनी फसल को नष्ट हुआ देखकर क्षुब्ध है। मान्यवर, आगरा के पास किसान धरना दे रहे थे, उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था, केवल यही था कि जो क्षति हुई है, उसका मुआवजा दिलाया जाये और सरकार उनकी मदद करे, लेकिन मान्यवर, उनकी क्षति पूर्ति करना तो दूर रहा, उन निहत्थे किसानों पर गोलियां चलायी गयीं और इस गोली कान्ड से एक किसान की जान गयी है और कई घायल हुये हैं और इस कारण वहां का किसान आन्दोलित है।

एक ओर तो किसान ओला और तूफान के आने से और उसकी फसल नष्ट होने से दुखी है और दूसरी ओर जब वह इस के लिये सहायता की मांग कर रहा था, तो उस पर गोलियां चलायी गयी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि यह तात्कालिक विषय है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

और लोकमहत्व का है। इसमें कोई मानवीय आधार नहीं, प्राकृतिक त्रासदी है। आप सरकार को निर्देश दें कि वह कार्यवाही करे और सदन को बताये कि कुल कितनी क्षति हुई है और इस क्षति की पूर्ति के लिये मुआवजे के रूप में या बकाये वसूली को रोकने के रूप में या लगान माफ करने के रूप मे क्या कार्यवाही कर रही है, किस प्रकार से सरकार उन किसानों की मदद करने जा रही है, इसको बताये? आप इस विषय पर चर्चा कराये और अपनी पीठ से कोई समय निर्धारित करे जिस दिन इस पर चर्चा हो, जिससे उस दिन सरकार पूरी सूचना के साथ आये और हम सभी को सारी जानकारी मिल सके आज हो सकता है कि सरकार कह दे कि जानकारी नहीं है, या उसके पास सूचना नहीं है।

मान्यवर, यह एक ऐसा विषय है, जिसमें सरकार को कम से कम दो-दो लाख रुपया किसानों को देना चाहिये और जो क्षति हुई है उसका आंकलन कराना चाहिये और विद्युत आपूर्ति और संचार व्यवस्था को दुरुस्त कराना चाहिये।

* श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, जो मामला आज सदन में उठा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले में राजनैतिक विन्दुओं से ऊपर उठकर कार्य करे। यह अवश्य है कि यह एक दैवी आपदा है, लेकिन इससे किसान बहुत परेशान हो गया है, उसके सामने रोजी रोटी का सवाल उठ खड़ा हुआ है। इस तूफान का प्रभाव बुलन्दशहर, आगरा, मथुरा और मुजफ्फरनगर तक में है। कई स्थानों पर मुजफ्फरनगर में ओला वृष्टि हुई है। इतनी बड़ी घटना हो गयी, लेकिन आगरा का प्रशासन चुप बैठा रहा है। उसे इस बात की जानकारी थी कि इतनी बड़ी घटना हो गयी है और विधान सभा चल रही है, और आज यह मसला वहां पर उठेगा, लेकिन फिर भी उसने सारी जानकारी सरकार को उपलब्ध नहीं करायी। वहां पर एक अमर सिंह की हत्या हो गयी है, लेकिन घटना स्थल पर कोई जिले का अधिकारी नहीं गया है।.....

जिला प्रशासन ने यह बात बताने की कोशिश नहीं की और नौकरशाही ने जिस तरीके से किसानों पर लाठी गोली चलाई और एक किसान जिसका पसीना खेत की मिट्टी में, खलिहान में पड़ना चाहिए था, देश के लिये वह अन्न पैदा करता है उसका खून बहा रेलवे लाईन पर इसमे कौन राजनीतिक बात आ जायेगी? मै आपसे अनुरोध करूंगा कि इससे ज्यादा गंभीर मसला और कोई नहीं हो सकता है? इसमें दो मामले हैं एक हत्या का मामला है और दूसरा दैवी आपदा की क्षतिपूर्ति को न करने का मामला है और यह सदन की अवमानना का भी मामला है क्योंकि जिला प्रशासन को जानकारी थी कि सदन में मामला उठा है और जानबूझकर जिला प्रशासन ने किसानों के ऊपर गोली चलाई है और हत्या की है और एक तरह से सदन की हत्या की है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नही किया।

अगर इस प्रकार से लाठी चार्ज करेंगे, गोली वर्षा करेंगे तो हम लोगों को सोचकर आना पड़ेगा कि किस बिन्दु को यहां पर उठाया जाय और किसे न उठाया जाय कहीं इसकी जानकारी वहां न हो जाय तो वहां लाठी, गोली चलाकर हत्या कर दी जाय। मैं मांग करता हूं कि आज सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें और जो मृतक किसान है उसको 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय तथा जो घायल हैं उनको भी समुचित धनराशि उपलब्ध कराई जाय।

* श्री रंगनाथ–

मान्यवर, आगरा में भीषण ओलावृष्टि हुआ, पूर्वांचल में भी उसका असर रहा। कल सदन में चर्चा हो रही थी ओलावृष्टि के सम्बन्ध में मुआवजा देने की सरकार ने घोषणा भी की थी लेकिन जिस समय यहां पर सदन में चर्चा हो रही थी उसी के बाद आगरा में उन पीड़ित किसानों के ऊपर सरकार गोलिया चलवा रही थी। आज स्थिति यह है कि जिसका भी घर उजड़ जाता है, जिसका सर्वस्व समाप्त हो जाता है वह वास्तव में बौखला जाता है और वह अपनी बात को कहने के लिये आन्दोलन करता है, मांग करता है। आगरा का किसान उसका सामान, उसकी सारी लागत के ऊपर तुषारापात हो गया। लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये थे और भूखे पेट की चिन्ता को लेकर सरकार से निदान की मांग कर रहे थे, वह कोई अपराध नहीं कर रहे थे। लोकतंत्र में आन्दोलन करना, धरना देना अपनी बात को शासन तक पहुंचाने के लिए जनतांत्रिक ढंग से इस तरह की प्रक्रिया अपनाना यह उनका अधिकार है लेकिन अफसोस है कि राहत देने के बजाय इस उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने उन पर गोलिया चलवाई और घरों में घुसकर उन पर लाठियां बरसायी। मान्यवर, वह डकैत नहीं थे, अपराधी नहीं थे। अगर वहां शिविर लगाकर उनको राहत सामग्री समय से पहुंचायी गयी होती तो आज ऐसी स्थिति न बनी होती।

ऐसी परिस्थिति में जहां सरकार अनुदान देने के बजाय गोलिया चलवायें और एक किसान की मृत्यु हुई हो, उसको तुरन्त यह सरकार 5 लाख रुपये का मुआवजा दे और साथ ही जिनका नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराकर उनको एक-एक लाख रुपया मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक रामकोला कांड हुआ था तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपनी बात पर पुरजोर तरीके से हंगामा किया था, बहुत दबाव डाला था। वह तात्कालिक ऐसी समस्या थी जिस पर सरकार का कोई भी दोष नहीं था लेकिन मान्यवर, उस पर मुआवजा दिया गया था और तत्कालीन अधिकारियों ने जिन्होंने गलती किया था उनको हटाया गया था और उसकी जुडीशियल इन्क्वायरी की गयी थी, स्पष्ट मैं नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन आज किसान जिसका सब कुछ नष्ट हो गया है उसे अपने बेटे की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है और जब उसकी सारी सम्पत्ति नष्ट हो गयी है और जब वह उसकी चिन्ता करके अपनी बात को शासन तक पहुंचाना चाहा तो उनके ऊपर गोली चलवाई गयी।

मान्यवर,कृषि प्रधान देश में किसानों के ऊपर इस प्रकार का जुल्म ढाया जा रहा है और आपने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है और यहां पर बैठकर अध्यक्ष पीठ की ओर बातें कर रहें हैं। निश्चित रूप से आपकी इस मुस्कराहट में किसानों की पीड़ा नहीं झलक रही है, इसलिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

यह सब हो रहा है। यह सरकार किसान विरोधी है, किसानो का शोषण करना चाहती है। किसानों की समस्या अगर यह नहीं होती, पूंजीपति की होती तो निश्चित रूप से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी घोषणा कर देते। सेल्सटैक्स या अन्य कोई व्यापारियों की टैक्स माफी की बात होती तो आप घोषणा कर देते।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री रंगनाथ–

इनकी जितनी वसूली है उनको माफ किया जाय। मृतक को 5 लाख रु० का मुआवजा दिया जाय। किसानों की जो क्षति हुई है उसको मुआवजा दिया जाय। आगरा, पूर्वांचल में वाराणसी गोरखपुर आदि में सर्वे कराकर पीड़ित किसानो को मुआवजा दिया जाना चाहिये। यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। मैं 56 की अपनी सूचना की ग्राह्यता पर बल देते हुए चर्चा की मांग करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो वक्ता आने वाले है, इस घटना के बारे में बिन्दुवार जानकारी माननीय सदस्यों ने दे दी है उसको बार-बार दोहरायेंगे तो सदन का समय जाया होता है। उसके बाद बजट आना है। ढाई बजे के आगे शून्य प्रहर नहीं चलेगा, यह सारी सूचनायें रह जायेंगी।

(श्री रमेश कान्त लवानियां के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

पूर्वांचल के काफी क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई मैं भी उस सम्बन्ध में अपने आप को जोड़ना चाहता हूँ। मुझे भी सुन लें।

श्री रमेश कान्त लवानियां–

आगरा का मसला मान्यवर आपके सामने है, वैसे तो उत्तर प्रदेश में ही तूफान आया आंधी आयी ओलावृष्टि हुई। आगरा मंडल में जितनी भारी ओलावृष्टि हुई है, जितनी तेज गति से तूफान आया है शायद उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं अया हो। पेड़ गिर गये, जानवर मर गये, कई व्यक्तियों की जानें गयी, छप्पर गिर गये, बिजली के खम्भे गिर गये, चारों तरफ किसानों की बर्बादी हुई है। किसानों ने शासन से प्रशासन से मांग की कि युद्ध स्तर पर तुरन्त ही इसका सर्वे कराकर हमको आर्थिक सहायता दी जाय उस मांग को लेकर अहिंसात्मक तरीके से किसान आन्दोलित हुआ।

श्री अधिष्ठाता–

यह बात आ चुकी है।

श्री रमेश कान्त लवानियां–

मान्यवर, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये। इसके जांच के बिन्दु में होना चाहिये कि क्या फायरिंग से पूर्व किसी भी सक्षम अधिकारी, सक्षम मजिस्ट्रेट ने फायरिंग के आदेश दिये क्या फायरिंग करना आवश्यक था? क्या अधिक बल का प्रयोग नहीं हुआ क्या चेतावनी या हल्की लाठी फटकारने से काम नहीं चल सकता था।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री रमेश कान्त लवानियां–

पुलिस अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में घुसी, गांव में जाने की पुलिस को क्या आवश्यकता थी? जो किताब सिंह यादव जी इसमे मरे हैं उनको 5 लाख रु० का मुआवजा मिलना चाहिये जो घायल हैं उनको 1-1 लाख रु० का मुआवजा मिलना चाहिये। जो भारी क्षति हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिये।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, ओलावृष्टि जो हुई है उससे किसानों को नुकसान हुआ है, उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है जो आगरा की घटना है उसके संदर्भ में कोई बात नहीं कहूंगा सारी बातें आपके समक्ष रखी जा चुकी हैं। आगरा मे जो घटना हुयी है उसके अलावा सम्पूर्ण प्रदेश ओलावृष्टि से प्रभावित है और आगरा मण्डल के प्रत्येक जनपद में कम से कम 80 फीसदी फसल नष्ट हो चुकी है। मथुरा में और अलीगढ़ में मोठ तहसील, छाता तहसील और सिंगला तहसील में पूरे के पूरे किसानों के खेत नष्ट हो गये हैं। वहां पर बिजली के खम्भे गिर गये है जिससे गांवों में बिजली बन्द हो गयी है और टेलीफोन के तार टूट गये हैं। श्रीमन् छात्रों की परीक्षायें चल रही हैं बिजली न आने से छात्र उससे वंचित रह गये हैं, अनेकों मौतें हो चुकी हैं और हजारों पशु-पक्षी इसका शिकार हो गये है लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई साधन मुहैय्या नहीं कराया गया है।

जो स्वच्छ प्रशासन की दुहाई देते हैं उनके ऊपर आज प्रश्नचिन्ह् लग गया है। इस समय किसानों की मदद करने की बात है। दूसरी नयी बात यह पैदा हो गयी है कि एक तरफ तो किसान बैचेन, परेशान है वहीं दूसरी तरफ उनसे रिकवरी हो रही है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि शासन रिकवरी को बन्द कराये और इस पूरे वर्ष की रिकवरी माफ की जाये और जो फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा दिया जाये, जो लोग मरे हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाये। यह अति अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है अतः इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आगरा जनपद में किसानों को ओला वृष्टि और तूफान से और भारी वर्षा से काफी नुकसान हुआ है। मान्यवर, किसान की चार सम्पत्ति होती है. पहली तो होती है उसकी खेती। इस भयंकर तूफान और बरसात से और ओला वृष्टि से पूरा किसान का गल्ला समाप्त हो गया है और खेत में कटा हुआ गल्ला तूफान में उड़कर पता नहीं कहा चला गया है और जो कुछ शेष रह गया था वह भी भारी बरसात हो जाने के कारण सड़ रहा है। दूसरी उसकी सम्पत्ति होती है पशु। हजारों की संख्या में पशु आगरा जनपद में ओला वृष्टि और तूफान से मर गये हैं। तीसरी सम्पत्ति होती है उसका आवास, उसका घोसला। मैं आपके माध्यम से सदन को सूचना देना चाहता हूँ कि हजारों हजार मकान इस तूफान से गिर गये हैं। वहां पर एतमातपुर के किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कोई नयी बात कहिये।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, इस सरकार ने कल यहां पर कहा था कि वह मुआवजा देंगे लेकिन मुआवजा देने के बजाय दैवी आपदा से ग्रस्त किसानों पर पुलिस ने बड़ी ही दानवता के साथ गोली चलायी और उस गोली से एक किताब सिंह यादव नामक किसान मारा गया, बहुत से आदमी घायल हो गये। मैं मांग करता हूँ कि प्रत्येक मृतक को पांच-पांच लाख रुपया, प्रत्येक घायल व्यक्ति को पचास-पचास हजार रुपया और जिनके पशु मरें हैं उनको पांच-पांच हजार रुपया और जिनके मकान गिरे हैं उनको दस-दस हजार रुपये दिये जायें। इस प्रकार से किसानो के हित की बात करने वाली यह सरकार किसानों की दुश्मन बन गयी है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करे। आपकी बहुत बात आ चुकी है.

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, वहां पर किसानों की मांग पूरी नहीं की गयी है, वहां का किसान आज आन्दोलित है, पुलिस ने दानवता के साथ वहां पर गोली चलायी। मै मांग करता हूँ कि उनकी मांग पूरी की जाये।

(व्यवधान)

श्री राम औतार मिश्रा–

मान्यवर, भयंकर ओला वृष्टि से हमारे जनपद शाहजहांपुर में काफी नुकसान हुआ है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में ही इस दैवी आपदा से नुकसान हुआ है। हमारे जनपद के 100 गांव भयंकर ओला वृष्टि से ग्रस्त हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र पिपरौला में भी इससे काफी क्षति हुई है।

सेरामऊ गांव में पेड़ फटकर गिरने से 7–8 पशु मर गये हैं। किसान की पूरे साल की मेहनत बरबाद हो गयी। किसान को खाने के लिये अनाज नहीं रह गया है, न ही पशुओं के लिये कुछ बचा है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों/इलाकों में राजस्व वसूली को स्थगित कर, किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाय और आर्थिक सहायता दी जाय।

* डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे आप कहते हैं कि नये सदस्यों को मौका देगें, लेकिन आप पुराने लोगों की ही बुलवाते हैं। मान्यवर, मैं अपने माननीय नेताओं द्वारा कही गयी बातों में सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा कि यह बहुत ही गम्भीर मसला इसलिये है कि दैवी आपदा से किसान त्रस्त था और अब वह प्रशासनिक आपदा का शिकार हो गया है। यह सरकार अपने को किसानों की सरकार कहती है और उसी के द्वारा किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया जाय, फायरिंग करवाई जाय और पिछड़ी जाति के एक भाई को सीधे गोली मारकर संसार से विदा कर दिया जाय, वह अत्यन्त क्षोभ की बात है और शासन के लिये चुनौती की बात है। मान्यवर, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, वह इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं सरकार अपनी आंखें बंद किये हुये है और प्रशासनिक अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। यह अधिकारी सरकार की नीतियों पर अमल नहीं कर रहे हैं। मेरी मांग हैं कि इस महत्वपूर्ण मसले पर माननीय विधायकों ने जो मांग की है, उसे पूर्ण किया जाय और आपसे निवेदन है कि आप सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित करें, साथ ही इस पर चर्चा करायें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यहां पर आगरा की घटना की उल्लेख हो रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त सिद्धार्थ नगर, बस्ती में भी ओले पड़े हैं और वहां के संबंध मे दो मिनट में ग्राह्यता पर मैं भी कहना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

आपने इस संबंध में कोई सूचना दी है।

श्री जगदम्बिका पाल–

जी हाँ, दी है।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, मौका दूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग किसानों की समस्याओं के प्रति कितने गम्भीर हैं, यह इसी से दिखाई पड़ता है कि उनकी पूरी बेन्चें खाली हैं। इसका मतलब साफ है कि इस हत्यारी सरकार को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं हैं। मैं आपके संज्ञान में नई बात लाते हुये कहना चाहूंगा कि वहां पर 50 वर्षीय किताब सिंह यादव की मृत्यु हुयी है, उसके अलावा मेरी निश्चित जानकारी है कि कई और लोगों की भी मृत्यु हो चुकी है। मैं आपसे मांग करता हूँ कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह बतायें कि घायलों की चिकित्सा उपचार की क्या व्यवस्था कराई जा रही है।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि श्री यादव के शव का, परिवारजनों को बिना सूचना दिये हुये आननफानन में रात में पोस्टमार्टम कराया गया है और परिवारजनों को अब तक शव सौंपा नहीं गया है। इसके साथ ही दो-तीन मांगें और करना चाहूंगा। मृतक के परिवार को 5–5 लाख का मुआवजा दिया जाय तथा घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था की जाय तथा प्रत्येक गम्भीर घायल व्यक्ति को 50–50 हजार का मुआवजा उपलब्ध कराया जाय। साथ ही जो लोग हत्या के लिये दोषी हैं, उनके ऊपर अविलम्ब हत्या का मुकदमा चलाया जाय और उन्हें गिरफ्तार किया जाय। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो गृह मंत्री भी हैं, उनके कार्यकाल में अनेक हत्यायें हो चुकी हैं, मेरठ में हत्यायें हो चुकी हैं, अनुसूचित जाति के लोगों की गोलीबारी करके हत्या कराई गयी है, इसलिये मुख्य मंत्री जी को नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुये तत्काल इस्तीफा देना चाहिये।

मै सूचना की ग्राहयता पर बल देता हूं और कहना चाहता हूँ कि आप इस पर चर्चा करायें।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ सूचना की ग्राह्यता पर बोलने के लिये अनुरोध करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

जिन माननीय सदस्यों ने सूचना पर हस्ताक्षर किये हैं पहले उनको अवसर दे रहा हूँ और इसके बाद जिन्होने हस्ताक्षर नहीं किये हैं उन पर विचार किया जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। मैं समझता था कि यह किसानों और दलितों की कही जाने वाली सरकार 6 तारीख को आये तूफान और ओलावृष्टि से हुई धन, जन की क्षति और आगरा में दुर्भाग्य से जो श्री किताव सिंह की हत्या हुई, उसके सम्बन्ध में स्वयं वक्तव्य लेकर आती। कल जब इस सदन मे माननीय राजस्व मंत्री प्रदेश सरकार की तरफ से ओला वृष्टि एवं तूफान से हुई क्षति और राहत की बात कर रहे थे उसी समय आगरा में किसानों के ऊपर लाठी चार्ज और फायरिंग हो रही थी और वहां के नौकरशाह सरकार की मंशा की अवहेलना कर रहे थे। तो मान्यवर, सरकार का प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं रह गया है।

आप क्षमा करेंगे, बीच मे व्यवधान न करियेगा। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह विषय कल भी आया था। क्योंकि कल ही फायरिंग हुई।

माननीय राजस्व मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया था कि वह पूरे प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करेगें। मान्यवर, सिद्धार्थ नगर, लखनऊ, बस्ती, हरदोई में जिस तरीके से क्षति हुई और मथुरा अलीगढ़ के माननीय सदस्य बैठे हैं, वहाँ के किसानों के सामने बड़ी भयानक स्थिति उत्पन्न हो गयी है, तमाम किसान बेघर हो गये हैं। मैं समझता हूँ कि शायद इसके पहले 10–5 सालों में ऐसी ओलावृष्टि और तूफान नहीं आया। जो किसान बेघर हो गये हैं उनको बसाने के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया कि उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था होगी? मैं कहना चाहता हूँ कि वहां के किसान शांतिपूर्ण ढंग से केवल राहत और मुआवजे की मांग कर रहे थे लेकिन बिना किसी चेतावनी के एत्मादपुर के क्षेत्राधिकारी और ए० डी० एम० (प्रशासन) के मौजूदगी में उनके आदेश से बल प्रयोग किया गया और पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग में एक किसान की दुःखद् मृत्यु हो गयी। इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और राज्य मंत्री जी नहीं हैं हालांकि मंत्रि-परिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बलराम यादव जी सदन में मौजूद हैं, यदि आज स्वास्थ्य विभाग का बजट न होता तो शायद वह भी न होते।.....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल जी, अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं मांग करता हूँ कि प्रत्येक मृतक परिवार को पांच लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये दिये जाये, इसके साथ ही वहाँ पर राहत कार्य युद्धस्तर पर चलाया जाये। यह सरकार राहत आयुक्त को निर्देशित करे कि वह उन जनपदों का दौरा करें जहां भारी नुकसान हुआ है।

श्री छोटे लाल वर्मा–

मान्यवर, आगरा में किसानों के साथ जो किया गया वह अत्यन्त ही गम्भीर है। यह किसानों की सरकार कही जाती है। लेकिन किसानों के ऊपर गोलियां बरसा रही है यह मामला रामकोला से भी अधिक गम्भीर है। आगरा के किसान राहत और मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसमे खिताब सिंह नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। मृतक के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाये इसके साथ ही जिन किसानों के पशु मरे हैं, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। आगरा के जिलाधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि 70–80 गांवों में 65 प्रतिशत की क्षति हुई है।.....

.....अस्सी गांवो में 65 परसेन्ट निर्धारित हुई है। वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुयी है। वहां पानी की तत्काल व्यवस्था करायी जाय और जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाय।

*श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता जी , खुशी है कि जिस क्षेत्र का मैं हूँ आप भी वहीं जनपद हरदोई के हैं जो प्रभावी है, इस विषय पर सरकार कितनी गम्भीर है, देख लीजिए, यहां पर न तो राजस्व मंत्री जी है और न ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। पूरे प्रदेश में भीषण तबाही है, इस संबंध में सरकार क्या कर रही है? लीजिए माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी भी आ गये। सिर्फ मेरे विचार सुनें, ज्यादा समय नहीं लूंगा। यदि हम किसानों की भलाई और उनके हितों को देखें तो.....

श्री अधिष्ठाता–

आप क्या अपेक्षा करते हैं और क्या सुझाव देना चाहते हैं?

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन् भयंकर ओला पड़ा है, एक किसान मरा है और कई घायल हो गये हैं। सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था फेल हो गयी है, किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इस स्थिति से किसान बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। आगे श्रीमन् सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है, तार टूट गये हैं, खम्भे उखड़े हुये पड़े हैं। एक तो किसानों को फसल चली गयी। दूसरी तरफ जो बचे हुये हैं वह मड़ाई कहां से करेंगे? जो फसल बची है, जो अनाज बचा है विद्युत व्यवस्था न होने के कारण वह मड़ाई के लिये कहाँ पर ले जायगा? श्रीमन् मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि किसानों के लिये फसल बीमा योजना लागू करायेगी।

आज आप यह घोषणा करें कि प्रदेश के किसानों के लिये जो पूरी फसल बीमा योजना में खर्च आयेगा उसे प्रदेश सरकार सहायता देगी। दूसरी जो उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है उस पर तत्काल रोक लगायी जाय। किसानों को नुकसान हुआ है, उनके लिए माफी योजना लागू की जाय। भारतीय किसान यूनियन मेरठ मण्डल द्वारा तो कोई वसूली ही नहीं होने देते। पूरे प्रदेश में किसानों का जो नुकसान हुआ है उसके लिये आपसे निवेदन है कि किसानों की भलाई के लिये गम्भीरता से विचार कर लिया जाय और उनके हितों की बात की जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन् में घटना को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मेरे विचार से आगरा में जो घटना घटी, वह उचित नहीं थी। वस्तुस्थिति यह थी कि किसान जिलाधिकारी के यहाँ गये और वहां पर जाकर जिलाधिकारी से बात की। जिलाधिकारी ने उत्तर दिया कि हमारे पास अभी लेखपाल की रिपोर्ट नहीं आई है। मान्यवर, आप सोचें कि जिलाधिकारी द्वारा ऐसा कहा गया जो कि किसानों की ऐहक सहायता के संबंध में था, यह सामान्य न होकर असामान्य बात ही है, इससे उन लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। तहसील द्वारा लेखपाल की रिपोर्ट एहेतुक सहायता हेतु क्यों नहीं भेजी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

गयी और कहा गया कि पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपसे स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि रेवेन्यू रुल्स-20 के अन्तर्गत हर समय पैसा उपलब्ध रहता है उसे ट्रेजरी से केवल निकालना पड़ता हैं। वहाँ पर हम पहुंचें, तहसीलदार पहुंचे। यह आगरा प्रशासन की हृदयहीनता ही है। वह गये थे रोटी मांगने और उनकी पीठ पर गोली मार दी गयी, इससे आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक है और जो यह चूक हो रही है उससे किसानो की भलाई नहीं हो सकती है बल्कि उनका नुकसान ही होगा।

मान्यवर, इस मामलें से जो संबंधित है और जिन्होने शिथिलता बरती है किसानों को एहेतुक सहायता न दिये जाने के संबंध में उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करायें क्योंकि यह असामान्य मामला नहीं है, सामान्य मामला है। जो रुल्स हैं उसके अनुसार 250 या 500 रु० नियमों की शिथिल करते हुये एहेतुक सहायता दी जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया जिससे स्थिति बिगड़ गयी। मैं एक और विशेष बात बताना चाहता हूँ। टेहरी में जो तूफान में जो तूफान आया था उसके लिये हमने भी असामान्य पैसा ले करके द्रुत गति से वहां पर कार्य कराया था।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

रिलीफ कैम्प लगाने की जरुरत है, मकान बनाने के लिए सामग्री देने की जरुरत है। जैसा कि माननीय श्री बदन सिंह जी ने कहा कि हमारी जान तो जान है क्या पशुओं की जान नहीं होती । आज वहां पर पशु भूखे मर रहे हैं, सारा चारा नष्ट हो गया है। चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। खिताब सिंह को 5 लाख रुपये देने की मांग की गयी है, क्योंकि वह गोली से मरे थे परन्तु दूसरे लोग जो तूफान से मरे हैं, उन्हें भी 5–5 लाख रुपये दिये जांय और जो लोग घायल हुए हैं, उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाय और साथ ही इस घटना की न्यायिक जांच कराई जाय। यह मामला नीति संबंधी है। विभिन्न जनपदों में अलग-अलग घटनायें हो रही हैं, कहीं कोई घटना हो रही है तो कहीं कोई घटना हो रही है।

पुलिस की गोली से किसानों पर जुल्म किया गया है। वह पेट के लिये रिलीफ मांगने गये थे परन्तु पेट के लिये रोटी देने के बजाय उनके पेट पर गोलियां चलाई गई, इससे बड़ा काला धब्बा सरकार के माथे पर और कोई हो नहीं सकता है। मै पूरी रिलीफ की बात इस समय नहीं कह रहा हूँ। मैं इसकी निन्दा करता हूँ। श्री खिताब सिंह की हत्या इस सरकार की किसान विरोधी नीति का प्रतीक है। इसकी जितनी निन्दा की जाये कम है। आज आगरा में जब असमान्य स्थिति पैदा हो गयी है तो सरकार को भी कुछ असामान्य फैसले लेने होंगे। मान्यवर, आप भी किसान के घर से ही आये हैं, आज किसान की पीड़ा को जानते हैं, आपने कई बार यहां पर शोभा बढ़ाई है। इसलिए आप सरकार को निर्देशित करें। किसानों पर गोली चले, इसे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बर्दास्त नहीं कर सकती है। घोषणायें यहां पर हो रही थी, ठीक उसी वक्त दूसरी और किसानों पर गोलियां चलाई जा रहीं थी।

जिन-जिन अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट नहीं की, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी उत्तर में इन सभी बातों को स्पष्ट करें।

श्री विजेन्द्र सिंह :–

मान्यवर, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तूफान की गति 120 कि० मी० प्रति घण्टा थी। रबी इस प्रदेश की मुख्य फसल है। नगला बिरखू व जेतूखेड़ा के 25 गांवो की लगभग 5 हजार एकड़ जमीन पर गेहूं की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई है। यह वही स्थान है, जहां पर एक बार नहर से कटान हो गया था और नियम-300 में यहां पर मैंने प्रश्न उठाया था। किसानों ने जिस तरह से भी अपनी इस फसल को बोया था, वह भी आज तूफान से नष्ट हो गई है। जब यह स्पष्ट हो गया है कि इतनी गति के तूफान में कुछ नहीं बच सकता है तो सरकार उचित से उचित मुआवजा वहां पर दे और साथ ही जो वसूली वहां पर की जा रही है, उसको रोक दिया जाय और माफ किया जाय।

*श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में ओला वृष्टि हुई है और पर्वतीय क्षेत्र बागेश्वर जनपद अल्मोड़ा में भी फलों को काफी नुकसान हुआ है तथा खेती को भी काफी नुकसान हुआ है। बिजली के पोल उखड़ चुके हैं, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति मे बाधा पड़ जाने से बच्चों की पढ़ाई में इसका बुरा असर पड़ रहा है स्कूलों आवासीय भवनों के छत आवासीय भवनों के छत उखड़े है। परीक्षायें चल रही हैं। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि फलों को जो नुकसान हुआ है, उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिये सरकार किसानों को उचित मुआवजा दे और जो वसूली की जा रही है, उसे माफ करे।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारने पर)

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, जिन्होंने सूचना पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं उनको भी आपने बुलाया है। जनपद सिद्धार्थनगर में भी बहुत नुकसान हुआ है। जब औरों को अवसर दिया है सिद्धार्थनगर के एक माननीय सदस्य को बुलवा लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, दो ही लोग रह गये हैं एक मिनट सुन लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

* श्री स्वयंवर चौधरी–

मान्यवर, जो ओलावृष्टि हुई और उस संदर्भ में आगरा में जो घटना हुई जिस पर हमारे माननीय नेताओं ने अपने विचार रखे मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं। मान्यवर, सिद्धार्थनगर में भी 6 ता० को भयंकर तूफान आया और बस्ती में भी उससे काफी नुकसान हुआ। वहां पेड़ गिर गये, घर गिर गये, लोगों की फसल नष्ट हो गयी, खलिहान से फसलें नष्ट हो गयी। एक महीना पहले भी वहां ओला वृष्टि हुई थी और वर्षा में भयंकर बाढ़ भी सिद्धार्थनगर में आई जिससे वहां का जनजीवन त्रस्त हो गया है। मैं सदन से मांग करता हूं कि वहा सभी वसूलियां स्थगित की जांय और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार हैं उनके कर्जे वसूल न किये जांय, कर्ज माफ किये जांय और संपूर्ण सिद्धार्थनगर में राहत कार्य चलाये जांय यहा से राहत आयुक्त को निर्देश दें कि वह वहां जाकर स्थिति का जायजा स्वयं लें।

श्री ऊदल–

श्रीमन् इस 6 तारीख के तूफान से बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश के पश्चिमी जिलों, मध्य और पूर्वी जिलो में हुआ है इससे वहां की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गयी है। राहत के संबंध में सरकार के नियम बहुत ही सख्त हैं, पहले से ही सख्त हैं आज उनमें संशोधन तो नहीं किया जा सकता लेकिन उनमें कुछ शिथिलिता करके लोगों को राहत देने की बात है। श्रीमन् 6 ता० की घटना बहुत भयावह थी उसके लिये राहत की घोषणा होना जरूरी है। क्योंकि नियम है कि 50 प्रतिशत से कम फसल का नुकसान होगा तो किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जायेगी। इसलिये मैं नियम को शिथिल करने की बात पर बल दे रहा हूं क्योंकि प्रदेश की हालत बहुत खराब है इसलिये नियमों को शिथिल करने की आवश्यकता है।

दूसरा जितनी वसूलयाबी है उसे स्थगित किया जाना चाहिये और जो माफी लायक हैं उसे माफ किया जाना चाहिये क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई राहत कार्य नहीं किये गये हैं। इसलिये सरकार घोषणा करे और हर जिलाधिकारी को आदेश दे कि वह हर प्रकार की वसूलयाबी बंद करे आगरा में जो हमारे भाई इसका विरोध कर रहे थे और सड़क पर धरना दे रहे थे उन पर गोली चलाई गयी, यह बहुत ही जघन्य अपराध है, मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाना चाहिये कम से कम 5 लाख रु० दिया जाय और जिन लोगों ने निर्दयतापूर्वक गोली चलाई है उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से सहायता हेतु निर्देश जाने चाहिये।

श्री किरन पाल सिंह–

श्रीमन् यह जो ओलावृष्टि का मामला आया है यह कल भी आया था। राजस्व मंत्री जी ने जवाब भी दिया था। सदन में जब मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो आगरा में उस वक्त किसानों पर गोलियां चलाई जा रही थीं .....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

यह बात सही है कि दैवी आपदा किसी सरकार द्वारा नहीं लाई जाती है बल्कि यह प्राकृतिक होती है लेकिन यह भी सही है कि किसान अपनी फसल को औलाद की तरह पालता है और जब फसल नष्ट हो जाती है तो वह बहुत दुखी होता है और फिर धरना देता है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जिन व्यक्तियों को गोली लगी है जिससे किसान मरे हैं उनके घर स्वयं मंत्री जी जायें और उनको राहत दी जाये।

मान्यवर, कल से यह बात सदन के संज्ञान में थी कि वहां गोली चली है और उसमें किसान मरे हैं, इसलिये सरकार प्रशासन की रिपोर्ट पर विश्वास न करके मुख्य मंत्री जी तक इसके पहले इस तरह की जो घटनायें हुई हैं वहां वह मौके पर गये हैं, इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी मृतक किसान के घर जायें और उसको 5 लाख रुपये या सरकार की जो श्रद्धा हो वह राशि उसके परिवार वालों को दे। इसके साथ ही मंत्री जी आगरा में स्वयं बैठकर जानकारी करें कि दुखी किसानों पर प्रशासनिक अधिकारियों को गोली क्यों चलानी पड़ी इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अधिकारियों ने गोली चलाने से पहले किसानों को समझाबुझाकर ट्रेन की पटरी से उन्हें क्यों नही हटाया? मैं यह भी चाहता हूं कि इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मौके पर ही कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये।

(व्यवधान)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन् 6 तारीख की रात में भीषण ओला वृष्टि हुई और पूरे प्रदेश में तूफान आया। श्रीमन् जो आगरा में हुआ है वह दैवी आपदा तो है ही लेकिन साथ ही हृदय विदारक है। (व्यवधान) माननीय गुप्ता जी आप अपने सदस्यों को कुछ शिक्षा दें।

श्रीमन् 6 तारीख की रात में जो भी वहां हुआ उसके प्रति यह सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और जो एक व्यक्ति, श्री किताब सिंह यादव, की मृत्यु हुई है उसके परिवार वालों को एक लाख रुपया उपलब्ध कराया जा चुका है। उसकी अंत्येष्टि भी हो चुकी है।

श्रीमन् पूरी सूचना देने में कोई संकोच नहीं है, इसलिए मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आगरा में ओला वृष्टि से 10 जानें गई हैं।.....

हम बता रहे हैं अभी। गुप्त जी आप अपने लोगों से कहें कि किस तरह से सुना जाता है और जो कमी रहे उसका स्पष्टीकरण लिया जाता है। आप इसको गम्भीर मानते है तो इसको गम्भीरता से सुनें भी। मुख्य मंत्री जी आज दिल्ली में हैं, वहां से उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी की है और मैंने भी पूरी जानकारी की है और रात में ही की है। जो अभी नियमानुसार धनराशि दी जा सकती है, उसको युद्धस्तर पर वितरित किया जा रहा है। इस काम में बी०डी०ओज० लगाये गये हैं कि वह क्षतिपूर्ति वहां पर गांव-गांव में जाकर बांटें, और जो दूसरी सुविधायें हैं उनको भी युद्धस्तर पर वहां उपलब्ध करें। इसमें बी०डी०ओ० स्तर तक के कर्मचारी लगे हैं। और भी जनपदों में,जहां पर के बारे में चर्चा हुई है, वहां पर काफी ग्रामों में 75 फीसदी तक फसल क्षतिग्रस्त हुई है, उसके लिये भी निर्देश दे दिये गये हैं कि उन सबको राहत तत्काल उपलब्ध कराई जाये।

इसके अलावा जो किताब सिंह यादव की मृत्यु हुई है, भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने ओलावृष्टि के विरोध में रेल मार्ग रोक दिया था, गोमती एक्सप्रेस समेत तमाम रेल गाड़ियां रोकी गई थीं। जिसके फलस्वरूप पुलिस को वहां जाना पड़ा, हल्का बल प्रयोग भी हुआ और हवाई फायर भी हुए, 12 बोर से फायर हुए, उधर से भी हुआ। जो किताब सिंह यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें 12 बोर के छर्रे उसके बाडी से बरामद हुए हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में स्पेशल डी०जी० (ला ऐण्ड आर्डर) को मौके पर जाने के निर्देश दे रहा हूं। वह वहां से जो रिपोर्ट लेकर आयेंगे, उस पर आगे उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ऐसा लगता है कि शासन ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया, क्योंकि मैंने यह जानना चाहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस ओलावृष्टि से कहां-कहां लोग प्रभावित हुए हैं और कितनी क्षति हुई है? यह तो मैं मान सकता हूं कि यह बड़ा विशाल प्रदेश है, इसकी सम्पूर्ण जानकारी इकट्ठा करने में काफी समय लग सकता है, लेकिन परसों ओला गिरा था, तूफान आया था, तब से 36 घंटे का समय उसे मिला, वह कम से कम यह तो बता सकती थी कि किन-किन जनपदों में क्या-क्या नुकसान हुआ है? सरकार ने इसको ऐसे लिया है, जैसे कोई बड़ी त्रासदी हुई ही न हो।

उन्होंने राहत कार्य शुरू करने की बात कही है, किन्तु सरकार का क्या इरादा है इस वक्त, जिनकी क्षति हुई है, उनको क्षतिपूर्ति के रूप में आप क्या दे रहे हैं? उन किसानों का क्या होगा, जिनकी सम्पूर्ण फसल क्षतिग्रस्त हो गई है? उन लोगों का क्या होगा जो पूरी तरह उजड़ गये हैं, इस सब पर सरकार की ओर से कोई साफ स्थिति नहीं आई है। इसमें तो आपने घुमा फिराकर आगरा और ज्यादा से ज्यादा अलीगढ़ तक ही सीमित रखा है। जो गोली काण्ड हुआ, वह आगरा की घटना है। उसे आपने एक लाख देने की बात कही है, हम उससे सन्तुष्ट नहीं हैं। हम तो आपसे पांच लाख की मांग करते हैं, हम इसको और ज्यादा देने के लिये आगे आप से आग्रह करेंगे।

लेकिन सरकार यह तो बतायें कि पूरे प्रदेश में कितनी क्षति हुई। जब मुख्यमंत्री आवास पर 4 घंटे बिजली नहीं रही, तो इसमें कितनी क्षति हुई, उसको अगर बतला दें कि कौन-कौन जिले प्रभावित हुए हैं और कितनी क्षति हुई है इसके प्रतिशत की जानकारी दे दें। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि राहत के रूप में आप क्या करने जा रहे हैं, आपकी मंशा क्या है–सरकार मुआवजा देगी, टेस्ट–वर्क देगी या लगान माफी करेगी या ऋण की वसूली स्थगित करेगी? इनका इरादा क्या है, यह तो आप बता दें? इन्होंने तो कुछ ऐसे बता दिया, जैसे कोई घटना हुई ही न हो। मान्यवर, मैं आपसे भी इस पर कहना चाहता हूं, इसमें पूरा प्रदेश प्रभावित है।

मैं आपके माध्यम से शासन से आग्रह कर रहा हूं कि वह हमें यह बतायें कि इस त्रासदी से मुकाबला करने के लिये शासन क्या करने जा रहा है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी ने जो नियमानुसार की बात कही उससे मेरे मन में शंका पैदा हुई। नियमानुसार का मतलब तो 200+500 याने 700 रुपये देने की बात हुई। दीवार गिर जाने से मरने पर नियमानुसार 1000 रुपये देना। यह जो घटना हुई है इसमें नियमानुसार देने की बात नहीं है। जो लोग मर गये हैं, उनके परिवार को क्या मुआवजा दिया जायेगा। पशुओं के मरने पर क्या मुआवजा दिया जायेगा? पशुओं के चारे की व्यवस्था का क्या होगा। मेरी जानकारी के अनुसार मकान के मकान ध्वस्त हो गये हैं। आगरे की बड़ी हृदय विदारक स्थिति है। वहां पर जो मकान नष्ट हो गये हैं, उनके बारे में, पशुओं के चारे के बारे में और जो फसल नष्ट हो गयी है उसके बारे में क्या सहायता वहां की जायेगी?

मान्यवर, मैं यही जानना चाहता हूं कि नियमानुसार से इनका तात्पर्य क्या है? वहां विशेष परिस्थिति में विशेष सहायता की आवश्यकता है। इसकी सरकार को चिन्ता है कि नहीं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गोलीकांड की घटना हुई है, उसमें हत्या हुई है, उस घटना की जांच किससे करवायेंगें? इन दो तीन बातों का उत्तर दे दें ताकि हमारी शंका का समाधान हो जाय।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इस तूफान का सर्वाधिक प्रभाव आगरा में रहा है। नियमानुसार की बात मैंने कही है क्योंकि नियमों में सहायता दिये जाने का प्राविधान है, उस सहायता को युद्धस्तर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। विस्तृत रिपोर्ट हमने मांगी है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 250 गांव प्रभावित हुए हैं, 180 मकान प्रभावित हुए हैं और 1900 हेक्टेयर क्षेत्रफल फसलों का प्रभावित हुआ है। आगरा, अलीगढ़ और पीलीभीत के बारे में हमारे पास सूचना है। बाकी जिलाअधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि वह इसकी सूचना हमें दें। जहां प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर सहायता प्रदान की जा रही है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पूरा जवाब तो सुन लीजिये। डी०एम० अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें अलग से निर्देश देगें कि जो प्रभाधित गांव, मकान या कृषि क्षेत्र हैं उसके लिये सहायता राशि प्रदान की जाय। हमारे पास सूचना उपलब्ध है, उनके पास सहायता राशि है।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आगरा जनपद के किन्नारी गांव में मोहन सिंह, और तोता राम की पत्नी की मृत्यु हो गई। अभी तक वहां डी०एम० उनके परिवार तक संवेदना प्रकट करने नहीं गये हैं। जहांआरा में ललऊ में महिला की मृत्यु हो गई। पांच तारीख को हुई थी और अभी तक वहां कोई अधिकारी जानकारी करने नहीं गया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आगरे के लिये अनुग्रह धनराशि उपलब्ध करा दी गई है और जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि युद्ध स्तर पर सहायता कार्य किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–56 के अन्तर्गत जो सूचना प्राप्त हुई है.....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्री सत्य प्रकाश विकल, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री बाल कृष्ण मिश्र, श्री राम प्रसाद टण्टा, श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, रवीन्द्र प्रताप मल्ल आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अधिष्ठाता–

नियम–56 के अन्तर्गत यह सूचना प्राप्त हुई है इसके सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के आदेश देता हूं। यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये निरस्त की जाती है। सभी माननीय सदस्य अपनी सीट पर चले जायें और अपने को व्यवस्थित करें।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप सीट पर जायें वहीं से प्रश्न पूछें।

(माननीय सदस्य वापस अपने स्थान पर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हम चाहते हैं आप सरकार को निर्देश दें संसदीय कार्यमंत्री ने हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है सम्पूर्ण मामले की गम्भीरता को संसदीय कार्य मंत्री ने नहीं लिया।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्यमंत्री के पास जो सूचना, जो जानकारी थी वह माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सरकार घोषित करे कि दो लाख रु० देगी। घायलों की व्यवस्था करायेगी यह तो सरकार की नीति का सवाल है। मकान जिनके गिर गये उनको कितना पैसा दिया जायेगा। कितने गिरे हैं वह तो जानकारी जिलाधिकारी देंगे लेकिन कितना रुपया देंगे यह तो सरकार ही बतायेगी।

(घोर व्यवधान)

रिपोर्ट कल आयेगी उससे पता चलेगा.....

श्री अधिष्ठाता–

इसमें सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस पर सारी सूचना के साथ विस्तृत वक्तव्य सदन में पेश करें।

(व्यवधान)

(सर्व श्री रणधीर सिंह, हरेन्द्र सिंह, जगदम्बिका पाल, सत्यप्रकाश विकल, सरजीत सिंह डंग, श्यामसुन्दर शर्मा आदि कई मा० सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये।)

(घोर व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

इससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर मैने वक्तव्य देने की बात कही है।

(घोर व्यवधान)

(मा० सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगाने लगे) "किसान विरोधी यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।"

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी की दूसरी सूचना श्री अफजाल अंसारी तीसरी सूचना रंगनाथ जी की है। चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी तथा अन्य की है–ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिये औद्योगिक इकाइयों को बाहर स्थानान्तरित करने से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में, जनपद गाजीपुर के ग्राम–पदमपुर रामराज निवासी श्री वीरेन्द्र सिंह की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री सत्यदेव सिंह पर प्राणघातक हमले सम्बन्धी तथा आज समाचार पत्र के सम्पादक श्री गिरजेश राय की पुलिस द्वारा पिटाई किये जाने के सम्बन्ध में, मैं चारों सूचनाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। शेष सूचनायें नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आतीं। उनको अस्वीकार किया जाता है।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

किसानों के प्रति यह सरकार गम्भीर नजर नहीं आ रही है।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश मोटर, स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994

लोक निर्माण एवं संदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाये।

(श्री किरनपाल सिंह तथा श्री रामआसरे वर्मा द्वारा अपना प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर)

(घोर व्यवधान)

खण्ड 2, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायगा, — संक्षिप्त नाम

2—संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 की धारा 3 में उपधारा (1) में,— — संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1939 की धारा-3 का संशोधन

(क) खण्ड (क) में, शब्द "दस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "चौदह प्रतिशत" रख दिये जायेंगे,

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "आठ प्रतिशत की दर से" तथा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित दिनांक से बारह प्रतिशत की दर से के स्थान पर शब्द "सोलह प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत जनपद आगरे में ओला वृष्टि तथा तूफान से सम्बन्धित सूचना पर राहत दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता, महोदय, अगर सरकार का इरादा यह है कि किसानों की लाशें पड़ी रहें, उनके खेत उजड़े पड़े रहें, सरकार राहत न दे। व्यवधान उपस्थित करके बजट पारित करा ले, तो मैं सम्पूर्ण विपक्ष के साथ बहिर्गमन करने के लिये तैयार हूं। आप जैसे चाहें बजट पास करा लें। अधिष्ठाता महोदय, अगर आप सरकार के उत्तर से संतुष्ट हों तो मुझे कुछ नहीं कहना है। एक तरफ लाशें पड़ी हुई हैं, फसल उजड़ी हुई है, दूसरी तरफ सरकार को बजट पास कराने की जल्दी है। आपको विपक्ष की बात सुननी चाहिए। सरकार से दो तीन विषय पर स्पस्टीकरण चाहता हूं। राहत कार्य क्या किया जा रहा है? आप शासन को निर्देश दें कि पूरी जानकारी सदन को दे। आपके मानक क्या हैं यह भी बताइये? यदि कोई तूफान आया है तो वह मानक के हिसाब से तो आया नहीं है। यह लोकतंत्र है हमारी बातों को ध्यान से सुनकर आप सरकार को निर्देश दें इतनी जल्दी भी क्या है बजट पास कराने की? आप राहत क्या देने जा रहे हैं कितनी राशि देने जा रहे हैं? जो वहां सरकारी वसूली हो रही है, उसको स्थगित करवाने की सरकार घोषणा करे। जो घायल हैं उनको कितनी राशि दी जायेगी? जब तक यह घोषणाएं नहीं हो जाती हैं, तब तक बजट पास कराना लोकतंत्र पर कुठाराघात है और सदन के इतिहास में काला दिवस होगा।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जैसा कि प्रमोद तिवारी जी ने कहा, मैने भी इसको पहले कहा था। राहत घोषित करना यह शासन का काम है। कितने एकड़ जमीन में नुकसान हुआ है, क्या राहत दी जाएगी शासन की इस संदर्भ में नीति क्या है?

इस बात की जानकारी दें कि वसूली के बारे में सरकार की क्या नीति होगी? सोच समझ कर, साजिश करके कि यह हल्ला मचायेंगे, आक्रोश फैलेगा और उस बीच बजट पास करा लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सदन अव्यवस्थित है। सारा काम प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिये। आप मतदान करायें, वह भी आपने नहीं किया। मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि आप संरक्षण देकर बजट पास न होने दें। हम लोगों को मौका दें। संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं हुयी है। राहत का क्या क्राइटेरिया होगा, पशुओं के चारे की क्या व्यवस्था होगी, जो गोली से मरे हैं या जो दीवाल से दब कर मरे हैं या बिजली लगने से मरे हैं और जो दैवी आपदा से मरे हैं उनके बारे में सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है? जब तक इस संबंध में सरकार की नीति सामने नहीं आती है तब तक प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? जैसा कि ऊदल जी ने कहा, केवल लीपापोती की जा रही।

श्री अधिष्ठाता–

मैने आपको केवल व्यवस्था के प्रश्न पर बोलने की इजाजत दी है।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह पालीटिकल डिबेट हो रही है। साजिश करना आपका काम है यह किसानों की हमदर्द सरकार है। (शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह किसान विरोधी सरकार है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह किसानों की लाशें गिराने वाले लोग हैं। (शोर)

(श्री श्याम सुंदर शर्मा, श्री कामेश्वर उपाध्याय आदि सदस्य सदन के वेल में बैठ गये।)

श्री श्याम सुंदर शर्मा–

जब तक सरकार स्पष्ट घोषणा नहीं करती है तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

यह मिलों को बेचकर पैसा इकट्ठी करने वाली सरकार है।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

यह किसानों पर गोली चलाने वाली सरकार है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अगर किसानों की बात नहीं सुनी जायगी तो सदन नहीं चलेगा।

(लाठी गोली की सरकार–नहीं चलेगी नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्री वृजेन्द्र सिंह, श्री चेतराम और श्री कामेश्वर उपाध्याय सदन के वेल में बैठ गये और नारे लगाने लगे, "लाठी गोली की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।")

श्री अधिष्ठाता–

व्यवस्था के प्रश्न पर मैने माननीय किरनपाल सिंह को बुला लिया है। माननीय सदस्यों को शोर मचाना है और सदन की कार्यवाही वाधित करना है, तो सदन की कार्यवाही आगे कैसे चलेगी? मैने माननीय किरनपाल सिंह को बोलने की अनुमति दी थी, और वह वोलने के लिये खड़े हुए थे, लेकिन बीच में अन्य सदस्यों ने व्यवधान उत्पन्न कर दिया। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें, जो बात उन्हें कहनी हो, अपनी सीट पर खड़े होकर कहें।

(सदन के वेल में बैठे हुए सदस्य अपनी-अपनी सीट पर वापस चले गये।)

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, जिस प्रकार से वहां जनपद में अधिकारीगण व्यवहार कर रहे हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप उत्तेजना न लायें, जिम्मेवारी आपकी बहुत है, सामने वालों को धमकायेंगे, तो अच्छी बात नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

ये जो हमारे सामने बैठे हुए है, ये कह रहे हैं कि हम साजिश कर रहे हैं.....

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारी और उनकी नीतियों में मतभेद होंगे, लेकिन जनहित के मामले में कोई मतभेद नहीं है।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

दैवी आपदा सरकार के कारण नहीं आई है, इसमें सरकार का दोष नही है, लेकिन जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया, एक तरफ तो यह कहा कि मरने वालों को 1 लाख रुपया दे दिया। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको निर्देशित कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय किरनपाल सिंह, आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी है, आप व्यवस्था का प्रश्न उठावें, चर्चा न करें।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक तरफ तो एक लाख रुपये की घोषणा कर दिया, दूसरी तरफ यह कहा कि मरने वाला जवान किसानों की गोली से मरा। मान्यवर, इतना

भारी नुकसान, इतना भारी तूफान, लेकिन पुराने नियमों और पुराने मानकों से आप क्षतिपूर्ति दे रहे हैं। यह जो नियम है, वह पर्याप्त नहीं है।

आप यह समझें कि इससे किसानों का भला नहीं होने वाला है। मेरी मांग व्यवस्था के द्वारा यह है कि आप जो सहायता करें, किसानों के हितैषी आप है, मैं मानता हूं। ये जैसे हैं, इनको भी सब जानते हैं, लेकिन आप कसानों के हितैषी हैं, आप किसानों के बारे में, जो उनका नुकसान हुआ है, अपनी सरकार की तरफ से ज्यादा से ज्यादा सहायता देने की घोषणा यहां पर करें। माननीय प्रमोद तिवारी जी ने न्यायिक जांच की मांग की थी, आप न्यायिक जांच नहीं करा रहे हैं। 12 बोर कट्टे की बात आपने कही थी। जहां कहीं पर कोई मौत होती है, तो सरकार का प्रतिनिधि मौके पर जाता है, कोई भी सरकार रही हो,.....

हालांकि मैं अपेक्षा नहीं करता हूं कि माननीय बाबू राम जी इस्तीफा देगें, लेकिन उनको इस्तीफा दे देना चाहिये। मान्यवर, क्या इनका फर्ज नहीं बनता है, कि वहां पर जायें और जानकारी करें कि किस प्रकार से यह घटना हुई है। क्या इनको मौके पर नहीं जाना चाहिये। आप हृदयहीनता का परिचय न दें, आपको मौके पर जाना चाहिये। 12 बोर के छर्रे से मारा गया है, किसी की गोली से मरा है। उसके परिवार वालों को आप अपने हाथ से राशि देते और मुआवजे की राशि को आप बढ़ावें। आप मौके पर जायें और इनक्वायरी करें, यह घटना क्यों हुई है और इतने फोर्स का इस्तेमाल क्यों किया गया है?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी ने, गुप्ता जी ने और किरन पाल सिंह जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया । इस समबन्ध में मेरा सरकार से निवेदन होगा और सरकार को निर्देशित करूंगा कि जो ओलावृष्टि हुई है और उससे जो किसानों की क्षति हुई है, उनको राहत उपलब्ध करायी जाये और अगर पुराने नियम कहीं पर बाधक आते हैं तो उनको शिथिल करके उनको समुचित राहत दी जाये और जो राहत दी जाये वह त्वरित गति से दी जाये और मैं समझता हूं कि शासन इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतेगा। राजस्व मंत्री जी सारे बिन्दुओं को गम्भीरता से विचार करेगें और यह सूचना अस्वीकार की जाती है।

(घोर व्यवधान)

(श्री हरेन्द्र सिंह आदि कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे)

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाये।

(व्यवधान के मध्य)

(श्री किरन पाल सिंह व श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त आदि का नाम पुकारे जाने पर और किसी के द्वारा संशोधन का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह हैकि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994

संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीलीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायगा।

(2) यह 28 अगस्त, 1992 को प्रवृत्त हुआ समझा जयगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 10 सन् 1939 की धारा 10–क का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 10-क में, उपधारा (1) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" रख दिये जायेंगे।

विधिमान्यकरण

3—मूल अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 10–क के अधीन नियुक्त नियंत्रक को, जो 28 अगस्त, 1992 के ठीक पूर्व आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बी चिकित्सा प्रणाली बोर्ड, उत्तर प्रदेश की शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, तब तक नियंत्रक के रूप में विधिमान्यतः निरन्तर नियुक्त समझा जायेगा, जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उपर्युक्त धारा के अधीन नियंत्रक के रुप में नियुक्त न कर दिया जाय और 28 अगस्त, 1992 को या उसके पश्चात् किसी समय ऐसे नियंत्रक द्वारा कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य होगी, मानों इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994 में पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्य लगातार नारे लगाते रहे" किसान विरोधी यह सरकार नहीं, नहीं चलेगी" ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आध घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूँ ।

(इस समय 3 बजकर 10 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी ।

3 बजकर 40 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है ।

तत्पश्चात् 4 बजे सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(विपक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थान से एक साथ बोलने लगे)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के अर्न्तगत जनपद आगरे में ओलावृष्टि तथा तूफान से सम्बन्धित सूचना पर राहत दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, राहत के बारे में जो मामला हमने उठाया था उसके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपनी स्पष्ट नीति घोषित करें । वे कृपया इस आदरणीय सदन को सूचित करें कि क्या-क्या राहत कार्य उनके लिए किये जा रहे हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह जो क्षति हुई है उसका यह सरकार आकलन करें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूँ । आप लोग बैठ जायें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आपसे इजाजत मांग कौन रहा है ? 100 करोड़ रूपये की घोषणा राहत के लिए यह सरकार करे। अगर नहीं करती है तो मैं यह समझूंगा कि यह सरकार किसानों के हितों को सोचने वाली सरकार नहीं है ।•इसलिए तत्काल इसका प्राविधान करे ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह सौ करोड़ ही क्यों ज्यादा भी हो सकता है ? राजस्व मंत्री जी मौके पर जाकर वहां पर आकलन करें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठ जाये मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री को आमंत्रित कर रहा हूँ ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर; यह राशि ज्यादा भी हो सकती है । चार सौ, या पाँच सौ हो हम इसके लिए सरकार को साधुवाद देंगे ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह हमको तो सुन ही नहीं रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठ जायं मैंने माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को बुला लिया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा––

मान्यवर, पहले भी आगरा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी है । अन्य जनपदों के लिए भी आपके माध्यम से जानकारी दी गयी । सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि वह वहां पर जाकर पता लगाये और पैसे की कहीं कमी नहीं होने दी जायेगी जो मानक हैं उनके अनुसार आगरा में राहत कार्य किये जा रहे हैं । डी० डी० ओ० या अन्य स्तर के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं और वह रात-दिन इसमें लगे हुए हैं । जो धन की हानि हुई है उसको पूरा किया जायेगा । किसानों की समस्याओं के प्रति यह सरकार सचेत है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं रखी जायेगी । यह सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है । जैसे की आपने निर्देश दियें हैं, नियम अपनी जगह पर हैं पर हम नियमों के अतिरिक्त भी किसानों को सहायता उपलब्ध करायेंगे । जो हमारे राजस्व मंत्री जी हैं उनसे विचार-विमर्श हुआ है और वह मौके पर जायेंगे और सांत्वना देगें । जाँच का जहां तक सवाल है, उसके लिए एडीशनल डी०जी०पी० लॉ एण्ड आर्डर को भेज रहें हैं । जो व्यक्ति मरा है उसके पेट से 12 बोर के छर्रे बरामद हुए हैं । इससे यह लगता है कि यह पुलिस की गोली से नहीं मरा है क्योंकि गोलियां दोनों तरफ से चली थीं, फिर भी इसमें देखा जा रहा है ।

(व्यवधान)

(श्री किरनपाल सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

[मद संख्या-14 पुकारे जाने पर घोर व्यवधान]

(अनेक सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ)

वित्तीय वर्ष, 1994-95 के आय व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा), अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा), अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 72,94,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जायें ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 2,58,03,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सरकार ने इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया है । श्री यादव की हत्या की गयी है और जिस जांच एजेंसी की बात मंत्री जी ने कही है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं । मेरी मांग है कि इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिये जिससे की स्थिति स्पष्ट हो सके । जो मंत्री जी ने छर्रे की बात कही है, यह बनावटी है और पुलिस का पक्ष लिया जा रहा है ।

(कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलते रहने पर—घोर व्यवधान)

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं

यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 59,38,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,10,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,19,86,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,11,94,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय डंग साहब, कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(श्री सरजीत सिंह डंग के कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

यह किसान ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों के साथ न्याय नहीं कर रही है, इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूँ ।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन त्याग कर चलें गये)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 72,94,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 2,58,03,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 59,38,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(भारतीय जनता पार्टी एवं काग्रेस के माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 14,10,13,,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,19,86,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक

धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,11,94,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 8 अप्रैल, 1994 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिनमें पहली सूचना श्री हरीश कुमार गंगवार की जनपद पीलीभीत की जिला जेल में टाडा बन्दियों द्वारा आमरण अनशन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया।

दूसरी सूचना श्री राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के प्रथम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालयों का अधिवक्ताओं द्वारा बहिष्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया।

तीसरी सूचना श्री रंगनाथ की जनपद वाराणसी में ज्ञानपुर नहर प्रखण्ड के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर नगरपालिका के कर्मचारियों को 6 माह से अधिक समय का वेतन न मिलने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

पाँचवीं सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की वाराणसी नगर में भेलूपुर थानान्तर्गत गौरीगंज मोहल्ले में स्थित अवैध रूप से चलाये जा रहे पशु वधशाला के कारण आस-पास के मोहल्लों में फैल रही गन्दगी एवं सीवर लाइनों के जाम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

छठीं सूचना डा० राम बाबू हरित की आगरा महानगर में चलचित्रों के मालिकों द्वारा अश्लील पोस्टर एवं चित्र पेंटिंग लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

सातवीं सूचना श्री अमरनाथ यादव की वाराणसी में अवस्थित संक्रामक रोग अस्पताल के पास जी० टी० रोड़ से लाट भैरव, सरैया होते हुए आशापुर (सारनाथ) जाने वाले मार्ग की दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश में लाटरी के व्यापार के दुष्प्रभावों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

नवीं सूचना श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (गुरु जी) की सेंट जोसेफ स्कूल, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं व असंवैधानिक कार्यों के सम्बन्ध में है, की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(घोर व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित की जो सूचना नियम 56 में थी उसे नियम 51 में परिवर्तित कर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा जारी किये गये परिपत्र के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री का वक्तव्य घड़ियाल देवता पट्टी लोक्त गढ़वाल के प्रांगण में समतलीकरण कार्य में अनियमितता के संबंध में मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

जनपद मेरठ के भोला की झाल ग्राम में जिले सिंह नामक युवक की हत्या के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

जनपद पीलीभीत की तहसील मुख्यालय बीसलपुर में परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अधिवक्ताओं द्वारा बहिष्कार के संबंध में वक्तव्य का स्थगन।

शेष सूचनायें स्थगित की जाती हैं मद संख्या 16 से 19 तक को स्थगित किया जाता है।

(अब हम उठते हैं 11 अप्रैल, 1994 को पूर्वाह्न 11 बजे फिर बैठेगें।)

इसके बाद सदन 4 बजकर 12 मिनट पर सोमवार 11 अप्रैल, 1994 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

लखनऊ :

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

8 अप्रैल, 1994.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र०सं० 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

उच्च स्तरीय समिति से प्राप्त अनुशंसाओं की विषय सूची

1—स्टेनोग्राफर से सम्बन्धित प्रत्यावेदन।

2—एक ही पद पर 4 अथवा 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 1-4-84 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में क्रमशः 1 व 2 प्रकल्पित वेतन वृद्धि की स्वीकृति।

3—अवर अभियन्ता के वेतनमान एवं समयबद्ध वेतनमानों में कथित विसंगतियों के संबंध में।

4—बाल विद्यालय मान्टेसरी स्कूल, हरदुआगंज के अध्यापिकाओं के वेतनमान के सम्बन्ध में।

5—ड्राइंग संवर्ग के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान एवं समयबद्ध वेतनमान में कथित विसंगतियों के सम्बन्ध में।

6—स्टोर मुन्शी, आयल इंजन ड्राइवर, वल्कनाइजर, क्रेन आपरेटर, फिटर, हेड गार्ड, टेलीप्रिन्टर आपरेटर, अटेन्डेन्ट ग्रेड-प्रथम, टेलीफोन आपरेटर/टेलीफोन अटेन्डेन्ट, ब्वायलर फायरमैन, फायरमैन, डार्करूम असिस्टेंट, वाटर साफ्टनिंग प्लान्ट/वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट अटेन्डेन्ट, केसा इन्सपेक्टर आदि।

7—आर० जी० सी०, ड्राइवर, स्टोर कीपर इत्यादि का प्रत्यावेदन।

8—पैरा मेडिकल फार्मेसिस्ट एसोसियेशन।

9—सहायक मैट्रन तथा मैट्रन की वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में।

10—शिक्षण कर्मचारियों की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में।

11—फायर आफिसर के सम्बन्ध में।

12—हाई प्रेशर वेल्डर के वेतनमान के सम्बन्ध में।

13—परिषद् के वेतनमान 900-1190 रु० में सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 975/-रु० दिया जाना।

14—वैयक्तिक सहायक (मिनिस्टीरियल) के वेतनमानों में विसंगति के सम्बन्ध में।

15—कल्याण अधिकारियों को परिषदीय वेतनमान तथा समयबद्ध वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

16—डिवीज़नल फायर आफिसर तथा सहायक कार्मिक अधिकारी जिनका वेतनमान 880-1750 था, को 1-4-84 से 2225-3500 रु० के स्थान पर 2600-4000 रु० दिये जाने के सम्बन्ध में।

17—टाइम कीपर को समयबद्ध वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

18—मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्टाफ तथा फस्ट एडर एवं ड्रेसर, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्निशियन तथा डार्करूम असिस्टेंट, नर्स· वैक्सीनेटर तथा ओ० टी० टेक्निशियन, एक्सरे टेक्निशियन, मेल नर्स/स्टाफ नर्स तथा वार्ड सिस्टर, हाउस कीपर, स्टुअर्ड इत्यादि के सम्बन्ध में।

19—रसायन कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में।

20—लेखा लिपिक को 1200–1800 के स्थान पर 1350–2160, सहायक लेखाकार को 1350–2160 के स्थान पर 1650–2690 रु० तथा लेखाकार को 1650–2690 रु० के स्थान पर 1850–2930 के सम्बन्ध में।

21—जन-सम्पर्क अधिकारी, सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी/परियोजना जन-सम्पर्क अधिकारी के वेतनमानों एवं समयबद्ध वेतनमानों के सम्बन्ध में।

22—अभियन्ता फोरमैन को समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता।

23—संवर्ग विशेष के अतिरिक्त कतिपय सेवा संघों द्वारा विभिन्न मामलों हेतु दिये गये प्रत्यावेदन।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० पृ०सं० 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के तीसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री राकेश सचान, सदस्य, विधान सभा के अता० प्रा० सं०–42 के उत्तर का संलग्नक

क्र० सं०	ग्राम का नाम	प्रस्तावित है० प० की संख्या
1	2	3
ब्लाक-घाटमपुर		
1—	बसौरा	1
2—	मखौली	2
3—	ताहरापुर	1
4—	शाखाजनवारा	2
5—	सरैया	3
6—	वकसरा	2
7—	बदलेसेभनापुर	2
8—	कोरांव	1
9—	काठर	3
10—	कटरी	2
11—	किरांव	2
12—	मुईया	2
13—	मकरन्दपुर वौमार	2
14—	टिकरी (मौडवा बांगर)	1
15—	कुठरा	2
16—	जुरैया	3
17—	चौबेपुर	2
18—	कुतुबुदीनपुर	1
19—	राहा	4
20—	विपेड़ी	1
21—	निमंधा	2
22—	सुखापुर	2
23—	हयेरुआ	3
24—	लोकहा	2
25—	जामपुर	2
26—	मवई मछनं	3
27—	गोपालपुरघाटमपुर	1
28—	शेषपुर	2
29—	भटपुरवा	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
30—	कोरिया	5
31—	इटौरा	2
32—	कुरसेण्डा	1
33—	सियाडी ललईपुर	2
34—	गुजेला	2
35—	अमौली	1
36—	डुहरु	2
37—	कोहरा	3
38—	धर्ममन्दपुर	1
39—	सजेती	1
40—	माया का पुरवा	1
41—	मोहरा	1
42—	काशिमपुर	2
43—	लहरीमऊ	1
44—	अश्वारमऊ	1
45—	समुहीलालनगर	2
46—	बावन	2
47—	सिरसा	1
48—	धारचुहा	2
49—	मैधरी	1
50—	कन्धौली	2
51—	निहुरा	2
52—	तिलहली	1
53—	गौरीघाटमपुर	2
54—	नरायनपुर	1
55—	हमोरामऊ	1
56—	कटरा	1
57—	वेंदा	1
58—	वीरपुर	1
59—	बीबीपुर	1
60—	कुठानपुर	1
61—	मऊनखत	1
62—	रामपुर	2
ब्लाक-पतारा		
63—	वेहुटा	2
64—	सरखेलपुर	2
65—	मिर्जापुर	2
66—	वारा	2
67—	अमवानपुर	2
68—	खेमपुर	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
69—	देवली	3
70—	तेजपुर	1
71—	बलरामपुर	2
72—	बल्हापारा	3
73—	देउरा	1
74—	अकबरपुर अवइया	3
75—	दहेली	4
76—	हथेही	4
77—	पतरासा	1
78—	चंवर	6
79—	वर्रताव	2
80—	बमुरहा	2
81—	तिलसंडा	2
82—	जहांगीराबाद	1
83—	कंठीपुर	1
84—	गिरसी	1
85—	मडेला	1
86—	बरौली	2
87—	सेडठारी	2
88—	मेरानपुर	1
89—	कुंवरपुर	1
90—	तरगांव	2
91—	चतुरीपुर	1
92—	छाजा	1
93—	पडरीलालपुर	1
94—	पतारा	1
95—	सिमौर	1
96—	वल्हा पाराखुर्द	1
ब्लाक-मीतरगांव		
97—	रावतपुर	1
98—	कोरथा	1
99—	तिवारीपुर साढ़	1
100—	बंजरी	1
101—	सेमरा	1
102—	कुन्दौली	1
103—	चिरली	3
104—	तिलियावर	1
105—	सचौली	1
106—	अमौर	2

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
107—	साढ़	3
108—	ईटासेरा	1
109—	गोपालपुरनर्वल	1
110—	करचुलीपुर	1
111—	रातपेरु	1
112—	छतेरूवा	1
113—	निवादाउजागरि	1
114—	मेहरौली	1
115—	ढहरपुर	1
116—	बैजपुर	2
117—	मुहम्मदपुर नर्वल	1
118—	अरज बनकट	1
119—	अरंज हामी	1
120—	बिरहर	2
121—	हाजीपुर पकरा	1
122—	जीबिया	1
123—	गगरा	2
124—	फैजुल्लापुर	1
125—	उमरी	1
126—	मिल्किनपुर	1
127—	पतारी	5
128—	मद्रेपुर	2
129—	भदवारा	2
130—	शलपुर	1
131—	चपरहटा	2
132—	मनिहारपुर	1
133—	कमालपुर	2
134—	महोलिया	2
135—	राजेपुर	1
136—	नौरंगा	1
137—	कुआंखेड़ा	1
	योग–	130

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० पृ०सं० 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–53 का संलग्नक (सूची)

उपकेन्द्र जलालपुर, जनपद जौनपुर

1— हौज
2— विश्व बैंक ट्यूबवेल, त्रिलोचन
3— त्रिलोचन
4— रसूलपुर
5— सलीमार
6— विशुनपुर मझवारा
7— विश्व बैंक ट्यूबवेल–टिसौरी
8— विश्व बैंक ट्यूबवेल–मझगवां
9— चौमाना
10— लहंगपुर
11— जलालज़पुर बाजार
12— देवनाथपुर
13— पूर्वा
14— विश्व बैंक ट्यूबवेल मझगवां
15— बुद्धी जलालपुर
16— जाफराबाद
17— फकीरगहना
18— मनहन
19— कुण्डी
20— राजकीय नलकूप रहैरी द्वितीय
21— फरतहा
22— इन्डस्ट्रीज क्षेत्र रैहटी
23— राजकीय नलकूप शादीपुर
24— इजरी
25— बीवीपुर
26— हौज
27— विश्व बैंक ट्यूबवेल भरेहरी
28— मइबालपुर
29— इजरी
30— भगन्दपुर
31— जगदीशपुर
32— मझगवां
33— पूर्वा
34— विश्वबैंक मया
35— नहौरा
36— पुर्री
37— कैरांव
38— रामपुर
39— धनेजा
40— राजेपुर टाउन
41— विशुनपुर
42— भरैहरी
43— कैलाशपुर
44— शादीपुर
45— विश्वबैंक हरीपुर
46— पुरजनपुर
47— राजकीय नलकूप शादीपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

48— रैहटी
49— राजेपुर
50— प्रधानपुर
51— मांदपुर
52— गोदनपुर
53— नोहरा
54— ताल मझवारा
55— इजरी
56— रैहटी
57— छतारी
58— मया
59— बीजनमऊ
60— सहमलपुर
61— लंहगपुर
62— टिसौरी
63— विश्वबैंक रुनबान
64— सहमलपुर
65— प्रधानपुर
66— महिमापुर
67— बेजा धनान्ह
68— पूर्वा
69— हरजेपुर
70— पूर्वा त्रिलोचन
71— नहौरा
72— रैहटी
73— सहमलपुर
74— महौरिगपुर
75— देवेसपुर
76— नहौरा
77— महदेव
78— धनेजा
79— प्रधानपुर
80— विश्व बैंक हरीपुर
81— सलीमपुर
82— बेरी
83— डेरवा
84— जीवनमऊ
85— चलांव
86— लौहगाजर

उपकेन्द्र मुर्तजाबाद

1— कुएडी राजकीय नलकूप
2— गौरा बादशाहपुर टाउन
3— नसीरुद्दीन पुर
4— अरण्डी
5— बसीर गहना
6— उत्तर गांवा
7— जलनिगम प्रथम धर्मापुर
8— तारा उमरी
9— तरसंड
10— मैनीपुर
11— स्योर गहना
12— भौनिलालपुर
13— पलैवा
14— कुण्डा
15— सरैया
16— सरखीरी
17— पलैवा
18— खदेहरा

प्रेस विधान सभा

19— राजकीय नलकूप अतरौरा
20— पोटारी
21— पतुरार
22— निशान
23— सरियारी
24— नईपर
25— राजकीय नलकूप मुर्तजाबाद
26— निशान
27— सूरतपुर
28— बरवार
29— तरियारा
30— मुहीद्दीन
31— पीत्तूपुर
32— बजनपुर
33— उदियासन
34— मुर्तजाबाद
35— जल निगम प्रथम धर्मापुर
36— मुफ्तीगंज टाउन
37— चौरसण्ड
38— केशवपुर
39— कादीपुर
40— गजना
41— भदेवरा
42— दुधीरा
43— गद्दीपुर
44— कहहरा
45— निशान
46— मऊतांग (टाउन)
47— बिरतापुर
48— मलिकपुर
49— मझवारा
50— राजकीय नलकूप निशान
51— दूधीरा
52— पैसारा
53— मौरा बादशाहपुर
54— कुण्डी
55— निशान
56— डेढुवाना
57— पनचुन
58— देदुवां
59— मजना
60— सुल्तानपुर
61— कसहरा
62— जलनिगम धर्मापुर
63— राजकीय नलकूप तरसण्ड
64— सुल्तानपुर
65— गौराबादशाहपुर
66— उदियासन
67— रामपुर
68— मुअल्ली
69— उत्तरगांवा
70— निशान
71— चौरलट
72— गिरधरपुर
73— कुरनी
74— कोहारी
75— धर्मापुर टाउन
76— देवावल पुर
77— सरौन
78— सहरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० पृ०सं० 70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

दोषी पाये गये अधिकारियों के नाम व वर्तमान पदनाम एवं तैनाती स्थान

क्रम-संख्या	नाम/पदनाम	तैनाती स्थान
1—	सर्व श्री ओ० पी० धमीजा, मुख्य अभियन्ता	सेवा निवृत्त
2—	" आर० डी० कटियार, मुख्य अभियन्ता	सेवा निवृत्त
3—	" एस० पी० सिंह, मुख्य अभियन्ता	महाप्रबन्धक, अनपरा "अ" परियोजना
4—	" बी० बी० सक्सेना, मुख्य अभियन्ता	सेवा निवृत्त/दिवंगत
5—	" एस० डी० गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता	सेवा निवृत्त
6—	" के० के० सिंह, अधीक्षण अभियन्ता	अनपरा–"अ" परियोजना
7—	" बी० सी० वार्ष्णेय; मुख्य अभियन्ता, स्तर–2	अनपरा–"ब" परियोजना
8—	" भूषण लाल, अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, इलाहाबाद से सम्बद्ध
9—	" एच० सी० शर्मा, मुख्य अभियन्ता स्तर–2	उप महाप्रबन्धक, अनपरा–"अ" परियोजना
10—	" आर० सी० बत्रा, अधीक्षण अभियन्ता	अनपरा–"अ" परियोजना
11—	" के० श्रीनिवासन, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	तापीय परिकल्प एवं अभियन्त्रण इकाई, लखनऊ
12—	" जी० आर० रावत, अधिशासी अभियन्ता	अनपरा–"अ" परियोजना
13—	" रमेश पाण्डे, अधिशासी अभियन्ता	अनपरा–"अ" परियोजना
14—	" राम मूरत राम, अधिशासी अभियन्ता	अनपरा–"अ" परियोजना
15—	" आर० डी० एस० मौर्य, अधीक्षण अभियन्ता	ओवरा "अ" विद्युत गृह

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र०सं० 89 का उत्तर पीछे पृष्ठ 76 पर)

	इकाई/कार्यालय का नाम	वार्षिक किराया रु०	कारपेट एरिया वर्गफीट	प्रति वर्ग फुट रु०	परिषद् द्वारा निर्धारित प्रति-माह किराया।
1	2	3	4	5	6
1–2–	मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध) मु० अ० एवं भण्डार नियंत्रण	44.400	3858	0.95	3700
3–	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार निरीक्षण मण्डल	60.000	2522	2.00	5000
4–	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत इस्पात कक्ष	36.990	1289.75	2.39	3082.50
5–	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार क्रय मंडल–प्रथम	1.38.600	4645.72	2.49	...
6–	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार क्रय मण्डल, द्वितीय	91.440	3052	2.50	7630
7–	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार क्रय मण्डल, तृतीय	27.600	2308	1.00	2300
8–	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत अनुतरंग एवं दूरसंचार मण्डल	48.000	2000	2.00	4000
9–	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत अनुतरंग एवं दूरसंचार खण्ड	31.200	1300	2.00	2600
10–	निदेशक, विशेष तकनीकी सेवा इकाई	35.907.10	1329.80	2.25	2992.23
11–12–	मुख्य अभियन्ता पारेषण मध्य एवं उप मुख्य लेखाधिकारी (पा० मध्य)	74.520	3105	2.00	6210
13–14–	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन मण्डल तथा उप निदेशक (आंतरिक सम्प्रेक्षा)	99.600	3320	2.50	8300
15–	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड	15.960	1330	1.00	1330

1	2	3	4	5	6
16–	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड–प्रथम	33.600	1599.50	1.75	2800
17–	उप खण्ड अधिकारी, विद्युत प्रेषण उपखण्ड प्रथम	8.400	473.50	1.48	700
18—	उप खण्ड अधिकारी, विद्युत प्रेषण उपखण्ड, द्वितीय	9.600	450	1.77	800
19—	उप खण्ड अधिकारी, विद्युत प्रेषण उपखण्ड, तृतीय	7.200	416	1.44	600
20—	अधि० अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय				
21—	उप खण्ड अधि०, विद्युत पारेषण उपखण्ड–1				
22—	उप खण्ड अधिकारी, विद्युत पारेषण उपखण्ड–द्वितीय	41.400	1726	1.99	3450
23—	उप खण्ड अधिकारी, विद्युत पारेषण उपखण्ड–तृतीय	...	...	...	...
24—	विद्युत जनपद निर्माण खण्ड-1	31.680	847	3.11	2640
25—	विद्युत जनपद उपखण्ड–प्रथम	8.880	389	1.90	740
26—	विद्युत जनपद निर्माण उपखण्ड द्वितीय एवं तृतीय	12.900	619	1.74	1075
27—	विद्युत जनपद पोल निर्माण खण्ड	22020	1048	1.75	1835
28—	विद्युत जनपद खण्ड (वितरण) गोमतीनगर	28152	1173	2.00	2346
29—	विद्युत जनपद खण्ड (वितरण)	24582	1024.25	2.00	2048.50
30—	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्य मण्डल	21676.80	903.20	2.00	1806.40
31—	अधि० अभियन्ता विद्युत माध्यमिक कार्य खण्ड	22334.40	940	1.98	1861.26
32—	मुख्य अभियन्ता, नलकूप विद्युतीकरण (विश्व बैंक०)	72360.00	2680	2.25	6030
33—	अधि० अभि० नलकूप विद्युतीकरण खण्ड	51300	1710	2.50	4275

1	2	3	4	5	6
34—	मुख्य अभियन्ता (जनपद)	41400	1385	2.49	3450
35—	विद्युत जनपद निर्माण मण्डल	29232	1624	1.50	2436
36—	विद्युत जनपद अभिकल्प मण्डल	61284	2043	2.50	5167
37—	विद्युत जनपद निर्माण खण्ड-द्वितीय	13200	1371.10	0.80	1100
38—	विद्युत जनपद निर्माण उपखण्ड-प्रथम	6000	673	0.74	500
39—	विद्युत जनपद निर्माण उपखण्ड-द्वितीय	10800	525.55	1.71	900
40—	विद्युत सेवा आयोग	36000	3015	1.00	3000
41—	विद्युत भण्डार मण्डल	48000	2200	1.76	4000
42—	मुख्य अभियन्ता (जांच)	54000	1867	2.41	4500
43—	विद्युत भण्डार खण्ड	48000	2297	1.74	4000
44—	मुख्य अभियन्ता, लेसू	76995	2566.25	2.50	6416.25
45—	अधीक्षण अभियन्ता (एस-एण्ड टी) लेसू	22800	1904.60	1.00	1900
46—	स्थानीय अभियन्ता (वितरण-I)	96000	2517	3.18	8000
47—	उप स्थानीय अभियन्ता (हुसैनगंज)	...	...	...	...
48—	उ० प्र० प्रबन्धक (तकनीकी सेवायें) लेसू	...	...	...	...
49—	अधिशासी अभियन्ता (निर्माण) सिस गोमती लेसू	44640	1550	2.40	3720
50—	आदर्श नगर (शिकायत कक्ष) आलमबाग, लेसू	9600	601.38	1.33	800

1	2	3	4	5	6
51—	राजाजीपुरम् (शिकायत कक्ष लेसू)	9000	409.62	1.47	750
52—	स्थानीय अभियन्ता (वितरण लेसू	61067.52	2366.74	2.15	5088.96
53—	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, लेसू)	48000	3172	1.26	4000
54—	उप स्थानीय अभियन्ता (इन्दिरा नगर) लेसू	68880	2296	2.50	5740
55—	अधि० अभि०, विद्युत वितरण खण्ड, लेसू	48531.60	2074	1.95	4044.30
56—	अधि० अभि० (निर्माण) खण्ड, लेसू	30214.20	1361	1.85	2517.85
57—	सहायक अभियन्ता(मीटर) इन्दिरानगर लेसू	30000	1000	2.50	2500
58—	मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)	...	...	...	...
59—	मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण विद्युतीकरण)	...	...	...	...
60—	मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र)	...	...	...	...
61—	अधी० अभि०, विद्युत प्रेषण मण्डल	5184.60	6865	0.06	432.05
62—	उप मुख्य लेखाधिकारी, लखनऊ क्षेत्र	...	...	...	...
63—	क्षेत्रीय लेखा, लखनऊ	...	...	...	...
64—	पुलिस अधीक्षक, उ० प्र० सतर्कता अधिष्ठान (विद्युत कोष्ठ)	50940	1698	2.50	4245
	कुल योग	2050071.22	...	...	...

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र०सं० 102 का उत्तर पीछे पृष्ठ 81 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–102 के उत्तर का संलग्नक।

क्र० सं०	नाम/पद नाम	विषय	मा० न्यायालय का नाम	कब से लम्बित है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री				
1	एस० पी० सिंह, निजी सचिव	वरिष्ठता संबंधी	मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ	1990	
2	एस० पी० सिंह, निजी सचिव	"	"	1992	
3	एस० सी० शर्मा, वैयक्तिक सहायक	"	"	1990	
4	मो० नासिर खाँ, वैयक्तिक सहायक	"	"	1990	
5	आर० डी० श्रीवास्तव, वैयक्तिक सहायक	"	"	1990	
6	बी० आर० प्रजापति, वैयक्तिक सहायक	"	"	1990	
7	बी० आर० प्रजापति,	"	"	1990	
8	आर० सी० सक्सेना, निजी सचिव (सेवा निवृत्ति)	"	"	1992	
9	सी० पी० सिंह, निजी सचिव (सेवा निवृत्ति)	"	मा० औद्यो० ट्रिब्यूनल	1980	
10	राहत हुसैन, निजी सचिव	"	"	1988	
11	पी० के० बजाज/शाहिद अली, निजी सचिव	"	"	1987	
12	बी० आर० प्रजापति, वैयक्तिक सहायक	"	"	1987	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
13	कृष्ण मुरारी सक्सेना, प्र० व० सहा०	"	लोक सेवा न्यायाधिकरण	1991	
14	रामानन्द गुप्त व अन्य	"	उच्च न्यायालय, लखनऊ	1983	
15	एम० एल० भसीन, वै० सहा०	समतुल्य वेतन प्रदान करने संबंधी	मां० उप श्रमायुक्त संसाधन अधिकारी	1991	
16	तुलसी राम व चार अन्य, वै० सहा०	"	"	1991	
17	बी० आर० प्रजापति, वै० सहायक	"	"	1990	
18	औद्योगिक न्यायाधिकरण–2, लखनऊ बनाम उ०प्र० रा० वि०प० ।	"	उच्च न्यायालय	1992	
19	रमेश चन्द्र जायसवाल, प्र० व० स०	परिषदीय आवास खाली न करने एवं फैनल रेंट वसूलने संबंधी	उच्च न्यायालय	1986	
20	सी० पी० तिवारी	समयबद्ध वेतनमान की स्वीकृत	उच्च न्यायालय, लखनऊ	1993	
21	पी० पी० सिंह तोमर	"	श्रम न्यायालय	1992	
22	एस० ए० एस० जाफरी	"	"	1993	
23	काजी अहमद अब्बासी	"	"	1992	
24	पी० के० जैन व अन्य	वेतन निर्धारण	मा० उच्च न्यायालय	1992	
25	बी० के० सिंह व अन्य	प्रतीक्षा सूची के संबंध में।	मा० उच्च न्यायालय लखनऊ।	1992	
26	के० पी० सिंह	लिपिक पद की सेवाओं को अ० व० स० की सेवा में सम्मिलित का त्याग	मां० श्रम न्यायालय	1992	

1	2	3	4	5	6
27	ओंकार नाथ पाण्डे	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	मा० श्रम न्यायालय	1992	
28	प्रेम चन्द्र गुप्ता	न्यायालय की अवमानना		1991	
29	मो० अफजाल एवं अन्य	स्थानान्तरण के संबंध में।	मा० उच्च न्यायालय	1993	
30	दुर्गा दत्त भट्ट	अधिवर्षता की आयु (0) वर्ष करने के संबंध में।	मा० उच्च न्यायालय	1990	
31	राजकुमार मिश्र एवं 9 अन्य कनिष्ठ सहायक	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अ० व० स० बनाये जाने की मांग	मा० श्रम न्यायालय	1992	
32	जे० पी० शुक्ला, वी० के० श्रीवास्तव, धीरेन्द्र कुमार मिश्र, वीरेन्द्र विक्रम सिंह अनिल कुमार श्रीवास्तव व अन्य।	तदर्थ दैनिक श्रेणी लिपिक की नियुक्ति	मा० उच्च न्यायालय लखनऊ।	1987	
33	बिशनु कुमार व अन्य	उच्च वेतनमान के लिये	मा० उच्च न्यायालय,	1989	
34	दशरथ प्रसाद व अन्य	उक्त	उक्त	1989	
35	रामतेज व अन्य	उक्त	उक्त	1989	
36	प्रदीप कुमार अग्निहोत्री/ विनय कुमार त्रिवेदी, आई० एल० ए०	वेतन पुनरीक्षण	उक्त	1992	
37	विशेष चन्द्र शर्मा, अनुसचिव	दोहरा भत्ता संबंधी	लोक सेवा न्यायाधिकरण	1991	
38	एम० एल० भसीन, वै० सहा०	वरिष्ठता संबंधी	मा० उप श्रमायुक्त संराधन अधिकारी।	1991	

नत्थी 'ब'

(देखिये अता० प्र०सं० 116 का उत्तर पीछे पृष्ठ 88 पर)

प्रतापगढ़ जनपद में प्राइवेट बस स्वामियों को जारी किए गये परमिटों का विवरण–

स्टेज कैरिज परमिट	मार्ग का नाम	जारी परमिटों की संख्या
(1)	रानी गंज–पट्टी	3
(2)	रानी गंज–जामताली	3
(3)	पट्टी–कादीपुर	12
(4)	चिलबिला–अटेहा	22
(5)	कटरा क्रासिंग–कटरा गुलाब सिंह	3
(6)	कटरा मैदनीगंज–बाबागंज	3
(7)	प्रतापगढ़ कादीपुर	01
(8)	प्रतापगढ़–कुन्डा वाया ढकवा	01
(9)	प्रतापगढ़–ढकवा वाया मधुपुर	04
(10)	प्रतापगढ़–रायबरेली	04
(11)	प्रतापगढ़–जगदीशपुर	04
कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट		
(1)	आल यू०पी०	32
(2)	आल इण्डिया टूरिस्ट	06
		98

नत्थी 'ज'

(देखिये अता० प्र०सं० 126 का उत्तर पीछे पृष्ठ 94 पर)

फील्ड के जिन कर्मचारियों को कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है उनके नाम पद नाम निम्नवत् हैं :–

क्रम०-सं०	नाम	पदनाम
1	2	3
	सर्वश्री श्रीमती	
1	बुद्धा	श्रमिक
2	नजत आरा	-तदैव-
3	छित देवी	-तदैव-
4	राजकुमारी	-तदैव-
5	बिटन रानी	-तदैव-
6	प्रभू देई	-तदैव-
7	नफीस जहां	-तदैव
8	कलावती	-तदैव-
9	कमला देवी	-तदैव-
10	कान्ती	-तदैव-
11	सूरज पता	-तदैव-
12	बदुन नाथ	-तदैव-
13	धन बहादुर	-तदैव-
14	राम प्रसाद	-तदैव-
15	चन्द्र नारायण	-तदैव-
16	हरीशचन्द्र	-तदैव-
17	कामता प्रसाद	-तदैव-
18	एस० बी० सिंह	फिटर
19	राम स्वरूप मिश्रा	कण्डेसर अटेन्डेन्ट
20	सुशीला देवी	श्रमिक
21	जय श्री	-तदैव-
22	जमरानी	-तदैव-
23	रामदुलारी	-तदैव-
24	गुलाबी देवी	-तदैव-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
25	जैनुल आब्दीन	-तदैव-
26	अर्जुन सिंह चौहान	-तदैव-
27	रामचन्द्र	-तदैव-
28	माया	-तदैव-
29	जय प्रकाश पाण्डे	-तदैव-
30	तीर पारु	-तदैव-
31	राम प्यारे	-तदैव-
32	अशोक कुमार यादव	-तदैव-
33	एम० के० दुबे	पेट्रोल मैन
34	अवधेश कुमार दुबे	बोर्ड कुली
35	मोती	बेलदार
36	गिरीश प्रसाद	-तदैव-
37	अम्बर लाल	बोर्ड कुली
38	रमेश	कुली
39	राजेश कुमार	बोर्ड कुली
40	किशोर कुमार	श्रमिक
41	राकेश कुमार अवस्थी	-तदैव-
42	बाल कृष्ण	-तदैव-
43	मुईनउद्दीन	-तदैव-
44	शहाबुद्दीन	-तदैव-
45	मो० इश्तियाक	-तदैव-
46	के० पी० तिवारी	मेट
47	रतन लाल श्रमिक	श्रमिक
48	हरी मोहन	श्रमिक
49	राम आधार यादव	कुली
50	राधा देवी	-तदैव-
51	लालता प्रसाद	कुली
52	राजेश्वरी सिंह,	लैब ब्वाय
53	जगमता	कुली

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 121 विधान सभा—(172)—1994—813—कम्प्यूटर/आफसेट।